राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ५] तृतीय विधान सभा के पञ्चम् सत्र, १६६४ का ३६ वां दिवस [संख्या २८

शुक्रवार दिनांक, २७ मार्च, १६६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, गृह खाद्य, सामान्य प्रशासन, सिंचाई, पशु-पालन, राजस्व एवं चिकित्सा, विभाग]

प्रश्न संख्या ६६७

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल बरदिया ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाचन्द सोन ।

बरसाती पानी रोकने हेतु निर्मित कच्ची दीवार से खतरा--बारां

६६८. **श्री दयाचन्द सोन** : (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बारां नगर में बरसाती पानी को रोकने के लिए एक कच्ची दीवार (पाल) बनी हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस पाल के नीचे व आसपास में हरिजन बस्तियां हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इसके टूटने में व कटने से इन बस्तियों के बह जाने का खतरा है ?

(४) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाना चाहती है तथा कब तक ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) दीवार टूटने से खतरा हो सकता है ।

Page No. 2

(श्री दौलतराम सारण)

(४) नगरपालिका के बजट में इस काम के लिए अभी प्रावधान नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : क्या यह सच है कि ४-५ वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा इस पाल की मरम्मत के लिए कुछ धनराशि दी गई थी ?

श्री दौलतराम सारण : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : आपने प्रश्न के भाग (३) में कहा है कि टूटने का खतरा है तो आप उनके हाल पर रहम करने के लिए क्योंकि वह हर साल दिक्कत से रहते हैं और ५६-५७ में भी वहां पर सैकड़ों मकान गिरे थे तो इसका कोई प्रबन्ध करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : अभी जो दीवार बनी हुई है वह नगरपालिका के क्षेत्र में है और नगरपालिका के बजट में अभी प्रावधान नहीं है ऐसी सूचना नगरपालिका ने हमें दी है।

श्री दयाचन्द सोन : तो फिर यह किस प्रकार होगा ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका विधिवत् कार्यवाही करेगी।

श्री जयलाल (डग) : दीवार के टूटने के बाद जो जान और माल को हानि होगी उसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री दौलतराम सारण : यह काम तो नगरपालिका के अधिकार में है।

श्री अध्यक्ष : क्या कानून में ऐसा प्रावधान है कि राज्य सरकार नगरपालिका को बाध्य कर सके ऐसा कार्य करने के लिए जिससे कि सामान्य जनता को इतना खतरा हो। वह अपना फर्ज नहीं करते हैं तो सरकार को अधिकार है कि वह ऐसा करा सकती है ?

श्री दौलतराम सारण : हां, सरकार कह तो सकती है।

श्री दयाचन्द सोन : अध्यक्ष महोदय, पाल के टूटने की आशा है और पास ही हरिजनों के मकान हैं। कम से कम सौ डेढ़ सौ मकान तो पिछली साल ही गिर गये और हर साल बरसात में दिक्कत रहती है।

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका से प्रस्ताव भिजवा दें तो आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री दयाचन्द सोन : उनको ४-५ हजार मिल चुके हैं। अगर वह नहीं कराते हैं तो सरकार को कराना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : मैं इसकी जानकारी करूंगा।

प्रश्न संख्या ६९९

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा।

Page No. 3

झुंझुनू नगरपालिका की बैठकें

७००. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनू नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष के पदासीन होने के बाद बोर्ड की अब तक कुल कितनी साधारण बैठकें हो चुकी हैं ? कृपया उनकी संख्या मय तारीख बतायें ।

(२) क्या अध्यक्ष नगरपालिका की बैठक प्रति मास बुलाते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(३) क्या नगरपालिका की कार्यवाही २४ घण्टे के भीतर कलेक्टर के पास पहुंचनी आवश्यक है ? इस नगरपालिका की कार्यवाही कलेक्टर के पास कितने समय बाद पहुंचती है ?

(४) क्या झुंझुनू नगरपालिका अध्यक्ष ने साधारण बैठकों के बुलाने तथा उनकी कार्यवाही भेजने में कानून का उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) जी नहीं ।

(३) नगरपालिका की कार्यवाही कलेक्टर के पास भेजना आवश्यक है, परन्तु समय निर्धारित नहीं है ।

(४) जी हां । कार्यवाही की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दौलतराम सारण : चेयरमैन को सस्पेन्ड किया जा चुका है और उसको हियरिंग का मौका दिया जा चुका है ।

श्रीमती सुमित्रा : सस्पेन्शन क्या माने रखता है जब कि चार्ज ही किसी ने नहीं लिया है ?

श्री दौलतराम सारण : इसके लिए पहले से ही आश्वासन दिया जा चुका है ।

श्रीमती सुमित्रा : मैं ऐसे आश्वासनों में विश्वास नहीं करती जब तक आप उनसे चार्ज न लें ।

श्री दौलतराम सारण : आप विश्वास रखें या न रखें लेकिन जो कार्यवाही होती है वह की जाती है ।

श्रीमती सुमित्रा : जब सस्पेन्शन कर दिया गया है तो किसी दूसरे को क्यों नहीं देते ?

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न अलग है, इससे संबंधित नहीं है लेकिन

Page No. 4

(श्री दौलतराम सारण)

इस पर पहले मैं निवेदन कर चुका हूं हाउस में ।

श्रीमती सुमित्रा : क्या सस्पेन्शन से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : चार्ज दिलाने का कह रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं पहले आश्वासन दे चुका हूं । इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है यह मैंने निवेदन किया है ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है कि सस्पेन्शन करने के बाद भी वह काम कर रहा है और सरकार यह नहीं बता सकती है कि कब तक वह दूसरे को चार्ज देगा ।

श्री दौलतराम सारण : यह तो आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूं कि चार्ज दिया गया है या नहीं दिया गया है ।

श्रीमती सुमित्रा : आप कह रहे हैं कि चार्ज नहीं दिया है ।

श्री दौलतराम सारण : यह आप कह रही हैं । इस सम्बन्ध में मैं पहले निवेदन कर चुका हूं ।

श्रीमती सुमित्रा : चार्ज किसको दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : यह इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता है । इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दूंगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : माननीय मंत्री रोजाना टालू मिक्स्चर देते रहते हैं ।

श्रीमती सुमित्रा : किस को चार्ज दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : किस को दिया गया है या नहीं दिया गया है यह मैंने निवेदन नहीं किया । मैंने यह निवेदन किया कि जो वस्तुस्थिति माननीय सदस्या ने रखी है उसके लिए मैंने निवेदन किया कि मैं पहले हाउस में एश्योरेन्स दे चुका हूं कि उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी ।

श्रीमती सुमित्रा : मेरी समझ में यह नहीं आया कि चार्ज दिया गया है या नहीं दिया गया है, और मैंने यह कहा है कि चार्ज नहीं दिया गया है तो इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : इसका मतलब यह हुआ कि आपने कहा था कि चार्ज नहीं दिया गया है । मैंने इस सदन में आश्वासन दिया था कि चार्ज दिलाने की कार्यवाही की जायगी । मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि चार्ज दे दिया गया है । अगर चार्ज नहीं दिया गया है तो मैं समझता हूं कि निश्चित कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न संख्या ७०१

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७०२

श्री मनफूलसिंह ।

(अनुपस्थित)

पीने के पानी की व्यवस्था

७०३. श्री मोहनराज (बाली) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बाली तहसील के ग्राम चाणोद व पाली तहसील के ग्राम खोड़ में इस वर्ष अकाल की स्थिति होने के कारण पीने के पानी का भारी अभाव है ?

(२) क्या यह सही है कि जिला पाली अकाल राहत समिति ने इन दोनों ग्रामों को जवाई से जोधपुर पीने का पानी ले जाने वाली नहर से पानी सप्लाई करने की तत्काल व्यवस्था करने की मांग राज्य सरकार से की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ? इन ग्रामों में पीने के पानी की सप्लाई कब तक सम्भव हो सकेगी ?

उप मंत्री, वित्त (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । राज्य सरकार ने पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में १,६०,०००) रु. की धन राशि करदी है । तथा जिलाधीश, पाली को तार द्वारा आदेश दे दिया है कि वह जवाई नहर से ग्राम चाणोद तक नहर खुदवाने का कार्य इसी वर्ष राजस्व मद की बचत से आरम्भ कर दे । जब तक नहर का कार्य पूरा न हो तब तक ट्रकों द्वारा इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री मोहनराज : ग्राम खोड़ के विषय में क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, ग्राम खोड़ जवाई नहर के लेवल से ऊंचा है इसलिए वहां पर नहर खोदकर ले जाना संभव नहीं है । दूसरे प्रभावशाली कदम उठाने के लिए कलेक्टर को लिखा गया है ।

एक माननीय सदस्य : चाणोद गांव के आसपास कई छोटे-छोटे गांव हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था होगी क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सारी कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

मृत्यु-भोज

७०४. श्री शंकरलाल (सादड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम के अधीन राज्य में मृत्यु भोज करने

Page No. 6

(श्री शंकरलाल)

वालों पर कितने मुकद्दमें दायर हुए है, उनमें से कितने के फैसले हुए हैं और कितने पेंडिग हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह सही है कि कानून बनने के बावजूद भी अनेकों जगह मृत्यु-भोज हो रहा है ?

(३) यदि हां, तो मृत्यु--भोज को कतई बन्द करने के विषय पर सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) ५०५ मुकदमे दर्ज हुए, उनमें से ३८८ के फैसले हुए । ११७ मुकदमे पेंडिग हैं ।

(२) जी हां, पर अधिक संख्या में नहीं, और जहां भी रिपोर्ट मिलती है, कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

(३) सरकार ने इस सामाजिक दोष को दूर करने हेतु मृत्यु-भोज निवारण नियम, १९६० को लागू किया और एक्ट के तहत धारा ७ में पंचों, सरपंचों, पटवारियों को हिदायत दी थी कि वे पास के थाने में इसकी सूचना करें ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : फैसले हुए उनमें से सजा कितने लोगों को मिली ?

निरंजननाथ आचार्य : इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । इस प्रश्न में यह नहीं पूछा गया था कि कितनों को सजा मिल गई ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह तो खास प्रश्न था । ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं कि उनको छोड़ दिया जाता है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस प्रश्न में नहीं आया कि कितने फैसलों में कन्विक्शन हुआ है और कितनों में एक्वीटल हुआ है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या आप मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं अलग से दे दूंगा आपको मंगाकर ।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : यह मामले जो दर्ज हुए है उनमें कितने केसेज में सजा हुई है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वही प्रश्न आपने पूछा है ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : पंचों और सरपंचों को हिदायत करने की ही बात नही है पटवारियों की भी ड्यूटी है कि सरकार को इत्तला करें, लेकिन आज तक तो कई मोसर होते हैं लेकिन वे इत्तिला नही करते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर सख्त कदम उठाये जायं और यह जो अच्छा कानून है इस पर अमल किया जाय ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नम्बरदार का भी है । वह भी इत्तिला करेंगे । सभी तरफ से की जाती है ।

श्री तेजाराम गहलोत : नम्बरदार तो खत्म हो चुके हैं, पटवारियों का है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सरकार का ऐसे केसेज को प्रोसीक्यूट करने के लिए प्रोसीक्यूटिंग ऐजेन्सी कायम करने का विचार है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह नॉन-कॉग्निजेबल है।

श्री भीमसेन : इसीलिए तो केसेज सफल नहीं होते हैं। इसमें पी० एस० आई० की ड्यूटी लगायेंगे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह नॉन-कॉग्निजेबल है उसके आधार पर जिसकी ड्यूटी पड़ती है वह करता है।

श्री तेजाराम गहलोत : नॉन-कॉग्निजेबल ऑफेन्स है तो कम्प्लेनेन्ट थोड़े ही उसको प्रोसीक्यूट करेगा। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि उसको प्रोसीक्यूट कौन करेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वही कम्प्लेनेन्ट होता है उसी का दायित्व है।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यह सही है कि जब से यह कानून मृत्यु-भोज का बना है तब से मृत्यु-भोज के बजाय गंगोज के नाम से रसोई की जाती है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कानून में यदि मृत्यु-भोज को दूसरे तरीकों से किया जाय तो वह भी मृत्यु-भोज है। लेकिन गंगोज क्या है ? इसका सरकम्स्टान्सेज और सरकम्स्टान्शिल एवीडेन्स पर है। यह बात ठीक है कि गंगोज का रिवाज ज्यादा बढ़ा है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि ऐसे केसेज पुलिस की तरफ से कन्डक्ट किये जायें और वह उनको प्रोसीक्यूट करने में एसिस्ट करे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पुलिस को तो दूर ही रखें आप।

यह बहस भी हुई थी कि इसको नॉन्-कॉग्निजेबल आफेन्स करें या नहीं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि गवर्नमेंट उसको प्रोसीक्यूट करे। गवर्नमेंट प्रोसीक्यूटर या वकील किस तरह से इससे सम्बद्ध हो सकें, इस पर आप विचार करें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : गंगोज में क्या मंत्री महोदय शामिल होते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीय सदस्या तो कई बार गंगोज में गई हैं आपने इलाके में। मुझे मौका नहीं मिला है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपके साथ।

एक माननीय सदस्य : क्या गंगोज

(एक माननीय सदस्य)

शहरी इलाके में नहीं होता है केवल गावों में होता है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सारे राजस्थान में होता है।

बढ़ती हुई मंहगाई पर नियन्त्रण

७०५. **श्री नत्थीसिंह** (गोबिन्दगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मंहगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) आज से छः माह पूर्व गेहूं, जौं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्की, उड़द, मूंग का प्रति मन क्या भाव था और आज क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या सरकार इस बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने का विचार रखती है। अगर हां, तो किस तरीके से ?

उप मंत्री, खाद्य एवं रसद (श्री परसराम मदेरणा) : (१) हां, यह सही है। मूल्यस्तर सारे भारत में ही गत वर्ष से बढ़ते जा रहे हैं। इसका मूल कारण पैदावार की कमी है। दैवी प्रकोप के कारण भी गत वर्षों में फसल का नहीं होना है। गत पन्द्रह दिन से भाव गिरे हैं अथवा कुछ कम हुए हैं।

(२) सूची संलग्न है।

(३) हां, इस संबंध में सरकार ने निर्णय किया है कि सरकार राजकीय सस्ते अनाज की दुकानें खोले जहां पर जनसाधारण को उचित मूल्यों पर उनकी आवश्यक वस्तुएं, जैसे अनाज, चीनी, गुड़ आदि प्राप्त हो सकें। इस ओर सरकार ने सहकारी उपभोक्ता भंडारों का भी निर्माण किया है, जहां पर रोज के उपभोग में आने वाली वस्तुऐं प्राप्त हो सकें। सरकार ने आगामी वर्षों में कृषि-उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया है और इस ओर अग्रसर है कि मंहगाई को हर कीमत पर रोका जावे।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि इस तरीके से थोड़े समय में भाव का उतार-चढ़ाव होने से उपभोक्ता और काश्तकार दोनों का ही नुकसान होता है और काफी नुकसान होता है। एक-एक मन पर १९--१० रुपये का फर्क है। उप-भोक्ता और किसान दोनों का नुकसान होता है और दोनों ही गरीब आदमी हैं ? इसके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और रेटों का किस तरह से रोकना चाहती है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि किसान से जिस कीमत पर व्यापारी माल खरीदता है और उससे जो उपभोक्ता लेता है उसकी प्राइस में जरूर फर्क रहता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि १० रुपये का फर्क रहता है। मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, व्हीट खास तौर से मार्केट में अब आयेगा। पहले जो लिया हुआ था वह पहले से परचेज किया हुआ था। भाव निश्चित तौर पर पूरे देश भर में बढ़े हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

और राजस्थान सरकार ने फूड कन्ट्रोल ऑर्डर के जरिये कुछ प्रभावशाली कदम भी उठाये है, सिक्योरिटीज के बारे में और जोन-एस्टेब्लिश करके और मैं समझता हूं कि नई फसल जब मार्केट में आ जायेगी तो निश्चित तौर से भाव गिरेंगे।

श्री रामकिशन (भैर) : सवाल यह है कि जब नई फसल आयेगी तो भाव गिरेंगे और जब फसल निकल जाती है तो भाव बढ़ जाते हैं तो सरकार की क्या नीति है कि एक फसल से दूसरी फसल तक भाव उत्तरोत्तर चढ़ते रहें ? किसी प्रकार से सस्ते गल्ले की दुकानों से कीमत नहीं रुकेगी तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री परसराम मदेरणा : नीति तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अनाज के भाव चढ़ गये थे इसलिए जोन एस्टेब्लिश करके और सिक्योरिटीज से लाइसेन्स देने के लिए दुबारा उस चीज को रिवाइज करके, इस तरह के कदम इसीलिए उठाये गये हैं कि इन सारी चीजों को चैक किया जा सके और एक्सपोर्ट बन्द होने से राजस्थान में अनाज के भाव गिरेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बजट की डिबेट में और क्वेश्चन आॅवर्स में कई दफा इस बात को माननीय खाद्य मंत्री ने इसकी चर्चा की है। भाव जहां तक बढ़े हैं तो यह ऑल इंडिया पॉलिसी है और इस तरह से एक स्टेट में हम अलग नीति निर्धारित नहीं कर सकते।

श्री रामकिशन : आप जवाब दूसरा दे रहे हैं, बिना सरकारी कार्यक्रम के गिर जायगा। यदि आपकी अखिल भारतीय नीति है तो राज्य सरकार को क्या इस बात का पता है कि किसान से सस्ता खरीदते हैं और तेज भाव से बेचते हैं इसमें किस प्रकार का सामंजस्य हो उसके लिये क्या प्रस्ताव रखा है ?

श्री परसराम मदेरणा : जिस वक्त उन्होंने जोन्स स्थापित करने की यहां घोषणा की थी उस दिन बताया था कि जो प्राइस फिक्स की जायेगी उस निश्चित प्राइसेस के नीचे बाजार भाव गिरता है या प्रोडक्शन से कम कॉस्ट आयेगी तो राज्य सरकार खुद बाजार में आकर किसानों के प्रोड्यूस को खरीदेगी ऐसा इसलिये किया था कि किसानों को प्रोड्यूस का कम पैसा न मिले, उनको प्रॉफिट मिले अपनी महनत का। इसको ध्यान में रख कर राज्य सरकार चलेगी। आज जो भाव हैं वे पूरे देश में ऊपर गये हैं, राज्य सरकार और दूसरे स्टेट्स की सरकारें और भारत सरकार इसके लिये चिन्तित हैं कि फूड ग्रेन्स के भाव गिराये जायं।

श्री रामकिशन : समस्या दूसरी है और जवाब दूसरा दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या फूड ग्रेन्स का लाइसेन्स देने के लिये आपने कोई एक्ट बनाया है ? इन दिनों में फूड ग्रेन्स सेल करने के लिये लाइसेन्स लेने के लिये कोई एक्ट बनाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान

(श्री परसराम मदेरणा)

फूड ग्रेन्स लाइसेन्स ऑर्डर, १९५८ को रिवाइज किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इस संबंध में अनाज के व्यापारियो का डेपुटेशन सरकार से मिला था और उन्होंने धमकी भी दी थी ?

श्री रामकिशन : मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह केवल भाव नीचे लाने के बारे में दिया है। आपने कहा कि खास रेट से नीचे भाव नहीं जाने दिये जायेंगे लेकिन फसल के समय किसानों से सस्ता लेकर जो लोग दूनी कीमत पर बेचते हैं उनके लिये अभी खाद्य मंत्री श्री स्वर्णसिंहजी ने ऐलान किया था कि एक फसल से दूसरी फसल के बीच में विशेष रिश्ता कायम किया जायगा, क्या यह आपके ध्यान में है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्राइसेज कंट्रोल करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत के फूड मिनिस्टर ने लोक सभा में अनाउन्स किया था कि प्राइसेज कंट्रोल करने की बात सोच सकते हैं। जब तक भारत सरकार निर्देश नहीं दे, राजस्थान सरकार स्टेप्स नहीं ले सकती।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या राज्य सरकार न्यूनतम और अधिकतम दरें निर्धारित करेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स के अध्यक्ष

७०६. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में किन-किन नगरों में अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाये गये हैं व कौन-कौन उनके अध्यक्ष मुकर्रर किये गये हैं व कब से ? उनको क्या तनख्वाह या ऑनरेरियम दिया जाता है ?

(२) उक्त नगरो में नगरपालिकाओं के चेयरमेन को क्या तनख्वाह या ऑनरेरियम दिया जाता है ?

(३) क्या प्रश्न के भाग (१) व (२) में ऑनरेरियम में भेद है ? यदि हां, तो यह भेद रखने का क्या कारण है ?

उपमंत्री स्वायत्त (श्री परसराम मदेरणा): (१) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर तथा भरतपुर में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बनाये गये हैं।

जयपुर में श्री रामकिशोर व्यास, जोधपुर में श्री जगन्नाथ पुरोहित, अलवर में श्री शोभाराम, अजमेर में श्री कृष्णगोपाल गर्ग, उदयपुर में श्री बलवंतसिंह मेहता, बीकानेर में श्री रावतमल कोचर, भरतपुर में जिलाधीश भरतपुर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये गये हैं। इनकी नियुक्ति भरतपुर में १६-१०-१९६१ व अन्य जगह १-११-१९६३ और जयपुर में ता० ६-१-६४ को हुई है। इन्हें तनख्वाह या ऑनरेरियम नहीं दिया गया है।

(२) इन नगरों में भरतपुर नगरपालिका के चेयरमेन को ७५) रु० माहवार अलाउंस

(श्री परसराम मदेरणा)

व अन्य स्थानों के चेयरमैन को १५० रु० माहवार अलाउन्स दिया जाता है।

(३) इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों के अध्यक्षों को अलाउन्स नहीं दिया गया अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामकिशन (वैर) : सब जगह कांग्रेस के मेम्बर हैं तो भरतपुर से क्या दुश्मनी थी वहां भी किसी को ले सकते थे। वहां भी बहुत से ऐसे कांग्रेसी बैठे हैं जो शरणार्थियों की तरह घूमते हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या और जगह भी ये ट्रस्ट बनेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : बहुत सी जगह अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बनाने का विचार राज्य सरकार का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ट्रस्ट का चेयरमैन जब आप किसी को नियुक्त करते हैं तो उस वक्त किन आधारों पर नियुक्त करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आधार....

श्री अध्यक्ष : कुछ तो बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : पब्लिक लाइफ में काम करने वाला होना चाहिये यही आधार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सरकार ऐसे व्यक्तियों को चेयरमेन नहीं बनाती जिसके खिलाफ किसी भी संस्था या सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप हो ?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न हाईपोथेटिकल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि अलवर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के चेयरमेन श्री शोभाराम के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टिक्चर पास किया है ?

उसमें इस बात का सबूत हैं कि उन्होने ८ लाख रुपये नेहरू फन्ड में अलवर में इकट्ठे किये थे जिसका दुरुपयोग किया और उसमें बड़ा भारी घोटाला है।

श्री परसराम मदेरणा : जो रूलिंग आपने कोट किया था हाउस में उसमें शोभाराम पार्टी नहीं थे। जो व्यक्ति किसी केस में पार्टी न हो, जिसको अपॉरचुनिटी न मिले, अपने कंडक्ट को एक्सप्लेन करने की, उसके खिलाफ यह स्टिक्चर पास करदे कि क्योंकि वे चेयरमेन हैं और उस संस्था का अकाउन्ट ठीक नहीं है, उनको अपारचुनिटी होती अपने कंडक्ट को एक्सप्लेन करने की अदालत में तो और बात थी। इसलिये राज्य सरकार नहीं मानती कि शोभारामजी ने नेहरू फंड में घोटाला किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आन्ध्र के मुख्य मंत्री का उदाहरण आपके ध्यान में नहीं है क्या ? सुप्रीम कोर्ट ने स्टिक्चर दिया था कि ट्रान्सपोर्ट के परमिट गलत ढंग से दिये गये हैं उनमें संजीवा रेड्डी का हाथ है।

Page No. 12

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

श्री रेड्डी ने उदाहरण रखा हालांकि वे इसमें पार्टी नहीं हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियरी की सर्वोच्च संस्था है उसने कुछ मेरे खिलाफ कहा है चाहे मैं उसमें नहीं हूं, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र देकर उदाहरण सामने रखा ।

श्री परसराम मदेरणा : आन्ध्र प्रदेश में जो प्रश्न खड़ा हुआ था वह इससे भिन्न है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर नीलम संजीवा रेड्डी के लिये किया है कि उन्होने विल फुल्ली पर्टिकुलर रूट के लोगो को हैरेस करने के लिये परमिट दिया इसलिये वे चीफ मिनिस्टर के पद से हट गये । लेकिन इस रूलिंग मे हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस बॉडी का हिसाब ठीक नहीं जिसके श्री शोभारामजी चेयरमेन हैं । शोभारामजी, जिसके चेयरमेन हैं वहां कोई गलती भी कर सकता है और कोई गलती करता है तो उसके लिये शोभारामजी कहां तक जिम्मेदार है ? मान लीजिये मैं किसी संस्था का चेयरमेन हूं और आप उसके मेम्बर है, आप कोई एम्बेजलमेन्ट करलें तो उसके लिये मैं कैसे जिम्मेदार हूं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल इस बात का है कि राजस्थान सरकार के नोटिस में यह चीज है कि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ इस तरह सेस्ट्रिक्चर्स किये हैं । उन रिमार्क्स के बाद में उनको चेयरमेन अपॉइन्ट किया है तो कैसे किया ? यदि जजमेन्ट आने से पहले अपॉइन्ट करते तो बात समझ में आ सकती थी ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह जानकारी नहीं है कि कब जजमेन्ट पास हुआ क्योंकि मैंने पहली दफा सदन में सुना, मुझे मालूम नहीं कि डेट क्या है और जब ये अपॉइन्ट हुए हैं उस डेट में और इसमें फर्क है या नहीं । आप जजमेंट हाउस में पढ़ रहे थे उसके आधार पर मैं नही समझता कि सरकार ने बेजा किया हो ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार ने इस बात की जांच की कि जिस समय माननीय सदस्य ने जजमेन्ट के बारे में कहा वैसा जजमेन्ट हुआ या नही ?

श्री परसराम मदेरणा : जजमेन्ट हुआ है, सदन मे रखा है ।

श्री भैरोंसिह : आपने उस जजमेंट को देखा होगा कि माननीय सदस्य ने जो बात कही उसको आप सही मानते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जजमेन्ट को सही मानता हूं लेकिन उन पर कितना इंपीचमेन्ट है उनके कंडक्ट के बारे में जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं उससे दोषी शोभारामजी ठहराये जा सकते हैं या नहीं, यह मैं नही कह सकता ।

श्री भैरोंसिह : उन्होने कहा था कि जजमेन्ट के आधार पर शोभारामजी दोषी है....

श्री परसराम मदेरणा : It is a matter of opinion.

दोषी आप मानते हैं । जो जजमेन्ट आपने पढ़ा मैं समझता हूं इसके आधार पर दोषी नही है ।

Page No. 13

श्री भैरोंसिंह : क्या यह गवर्नमेन्ट की राय है ?

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेन्ट बोल रही है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट ने जजमेन्ट नहीं देखा जैसा कि आपने फरमाया लेकिन जब आपके सामने यह बात लाई गई तो गवर्नमेन्ट ने इस बात की जांच की या नहीं कि इसके अनुसार उनकी कितनी रेस्पोन्सिबिलिटी है और उसके अनुसार ये चेयरमेन रह सकते हैं या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : इस दृष्टि से गवर्नमेन्ट ने एग्जामिन नहीं कराया, मैं करा लूंगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : जब आपने इसको एग्जामिन नहीं किया है तो आप सदन में ओपीनियन कैसे देते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : Because I am a lawyer. I can interpret law.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न नहीं है जब आपने जजमेन्ट देखा ही नहीं तो उसके बारे में ओपीनियन दे कैसे सकते हैं हाउस में ?

श्री परसराम मदेरणा : रिलेवेन्ट पोर्शन उन्होने पढ़ा था हाउस में, उसको मैंने सुना था; इसलिये इस बेसिस पर कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या लिखा था उसमें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि शोभारामजी उस केस में पार्टी नहीं थे--इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैंने सारा जजमेंट पढ़ कर सुनाया था लेकिन मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर हाईकोर्ट ने भी उनके बारे में कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया--यह सच है, पर जो ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट जैसी ऑथोरिटी देती है, एक जुडिशियल ऑथोरिटी देती है--उस पर यह सरकार कहे कि हाईकोर्ट का स्टेन्डर्ड इस प्रकार का है कि जिस प्रकार चाहे ऑब्जर्वेशन दे देती है—इसलिए सरकार को कोई मान्यता नहीं रखनी चाहिए, जैसे काफी समय पहले एक जेब कतरे को आपने प्रोफेसर के पद पर एपॉइन्टमेंट दे दिया था और यह कह दिया था कि हाईकोर्ट किसी को सजा दे दे तो उसको हम प्रोफेसर एपॉइन्ट कर सकते हैं। तो सरकार अपनी सोचे लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस प्रकार की अच्छी परम्पराएं डालनी हैं जिन परम्पराओं की दुहाई मुख्य मंत्री ने दी थी तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में दिये जाते हैं, उसके पब्लिक कन्डक्ट को हाईकोर्ट के द्वारा सेंसर किया जाता है, उसको आप आफिस में बैठाना चाहते हैं। और जिसके साफ प्रूफ हो कि रिश्वत ली है—ऐसे वेसेज सदन के सदस्य लाकर दें, यह सदन के सदस्यों के लिए सम्भव नहीं है। एक व्यक्ति के पब्लिक कन्डक्ट के बारे में हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, हाईकोर्ट के रिमार्क हैं, हाईकोर्ट ने जिसको सेंसर किया है, ऐसी स्थिति में सरकार केवल, क्योंकि वह कांग्रेस कार्यकर्त्ता

Page No. 14

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, इसलिए यह सोचे कि इसको निकाल देंगे तो अत्याचार होगा। हमे एतराज नही आप एक कांग्रेसी की जगह दूसरे को वहां कर दें लेकिन जिस कांग्रेसी के कन्डक्ट को हाईकोर्ट ने सेंसर किया हो, उसको एक ट्रस्ट के अन्दर रखें जो एक विश्वास की चीज है उसको आप भारत सेवक समाज में भेज दें, विमुक्त जाति संघ मे भेज दें, खादी भंडार में भेज दें, दा साहब की जगह लगा दें, लेकिन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक पब्लिक ट्रस्ट की जगह है वहा ऐसे डिस्ट्रस्टेड आदमी को रखें जो ट्रस्ट करने के काबिल नही है, जिसको हाईकोर्ट ने सर्टीफिकेट दे दिया हो वह इस ट्रस्ट के काबिल नही है, he is not worthy of the trust. He has embezzled, misappropriated money worth 8 lakhs.

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मिस एप्रोप्रियेशन का उस रूलिंग में आब्जर्वेशन है, यह ऑब्जर्वेशन अकाउन्ट्स के बारे में है। आपने जब पढ़ा था, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसलिए जैसा मैंने निवेदन कर दिया था, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है यह फरदर इन्क्वायरी का मैटर है। मैंने यह भी कहा था कि इन्क्वायरी करके हम लीगल तौर पर देख लेंगे कि उसका क्या इन्टरप्रिटेशन निकलता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गवर्नमेंट को यह भी आश्वासन देना चाहिए कि एडवर्स आब्जर्वेशन है, तो शोभारामजी पार्टी नही थे, फिर भी उसको एग्जामिन करके, जब वास्तव में उनके कन्डक्ट के बारे में ऐसे आब्जर्वेशन हैं, तो वह पार्टी न भी हों, गवर्नमेंट उनको इस पद पर नही रखे और उनको हटाने का फैसला ले ?

श्री अध्यक्ष : एग्जामिन करने से मतलब यह है with a view to taking some decision and action एग्जामिन करके सदन को बता सकते हैं, 'ना' या 'हां,' कुछ भी रखेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपके नोटिस में है, हाउस मे हाई कोर्ट के डिसीजन को साइट किया है लेकिन गवर्नमेंट ने उस डिसीजन को मंगा कर अभी तक देखा नहीं जबकि उसको देख कर डिसीजन ले लेना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा है, हम जाच करेंगे और क्या इम्प्लीकेशन्स हैं उनको देखेंगे इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और देरी हुई हो ऐसी बात भी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस जजमेंट मे लिखा था, केबिनेट की मीटिंग १६६० में हुई थी, उस समय केबिनेट के सामने यह मसला उठाया गया था और एक लैटर लिखा गया था मंत्री महोदय की तरफ से कि उनके एकाउन्ट्स के मसले को सैटल किया जायगा। १६६० में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जो केबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसके बाद के आपके लैटर एक्जीबिट हुए हैं और आपके दूसरे जवाब एक्जीबिट हुए हैं, most probably it is Ex. 83 or 87 मुझे जहां तक स्मरण है, यह सारी चीजें हुई थीं। और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हाई कोर्ट में जो एवीडेन्स हुई हैं उनमें एक क्लर्क का स्टेटमेंट हुआ है जिसमें उसने कहा है कि काउन्टर फॉइल और वाउचर नहीं रखे जाते थे। इसका मतलब है कि एकाउन्ट्स में घोटाला है। उसके बाद सरकार भी सरकार के नोटिस में यह मसला था और जब मसला ट्रिब्यूनल के सामने था, उस समय एपॉइन्टमेंट हो चुका था। हाई कोर्ट की बाद में मोहर लगी है। यह एक गम्भीर मामला है। पब्लिक ऑफिस में, जिस व्यक्ति को हाई कोर्ट ने सेंसर किया है, उसको प्रोटेक्शन दिया है, एपॉइन्टमेंट दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : चिट्ठी लिखी है या नहीं लिखी है, यह मैटर डिबेट का नहीं है। हाई कोर्ट का आब्जर्वेशन है, वह डिबेट का मसला है। हम उसको एग्जामिन कर लेंगे और उसके बाद में पोजीशन क्या है, उसके बारे में कह सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाई कोर्ट के उस डिसीजन मे एडवर्स आब्जर्वेशन हैं, यह सरकार को मालूम है। यही नहीं है, गवर्नमेंट के नोटिस मे यह भी है कि १६५७ मे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके हिज हाइनस, अलवर की जमीन को ले लिया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मामला सदन में आ चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और ए. आई. सी. सी. ने इस बिना पर टिकट देने से इन्कार कर दिया और जब तक जमीन नहीं लौटा दी गई तब तक टिकट नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : यह मसला हाउस में भी आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मसला हाउस में भी आया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार का कन्डक्ट उनका लगातार रहा है। यह प्रश्न है, इसके साथ ही कांग्रेस के नेता स्वर्गीय जयनारायण व्यास ने अपने अखबार में लिख कर स्टेटमेंट दिया है और अपने लैटर्स के जरिये ए. आई. सी. सी. को लिखा है पब्लिक स्टेटमेंट दिया है—इतनी कई बातें होते हुए भी गवर्नमेंट के सामने ऐसी कौनसी मजबूरी थी कि इस प्रकार के व्यक्ति को उस पद के लिए चुना गया और इसके साथ ही जो कोई हारे हुए लोग थे, उन तमामों को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अन्दर थोपा है? कौनसी आवश्यकता थी कि इस तरह की परम्परा कायम की गई? एक व्यक्ति को जनता ने अपनी भावनाओं के अनुसार रिजेक्ट कर दिया, उस व्यक्ति को रखने की कौनसी परम्परा आप डाल रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी इजाजत से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जजमेंट मेरे पास मिल गया है जिसमें लिखा है "Improper utilisation of Nehru Fund." के बारे में रिमार्क पास किये हैं। यह आपके पास नहीं हो तो जजमेंट मेरे पास है, आप इसको ले लें। यह जजमेंट हाई कोर्ट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के जस्टिस मोदी और जस्टिस छंगानी का है। इसकी साल भी मैं आपको बता देता हूं, इसके देख लीजिये, १६ जनवरी, १९६४ का गजट है, इसमें शाया हुआ है और जजमेंट २२ नवम्बर, १९६३ का है। इसमें ट्रिब्यूनल ने जो आब्जर्वेशन और रिमार्क दिये हैं वह अलग हैं। वह बहुत सीरियस हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मुझसे जो इन्फोर्मेशन मांगी वह मैंने दे दी। यह आवश्यक नहीं कि अब वादविवाद में पड़ा जाय। मैंने कहा है कि हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर गवर्नमेंट एग्जामिन करायेगी। इसलिए इसमें विवाद का या भाषण देने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री भैरोंसिंह : यह क्वालिफिकेशन है चेयरमैन बनाने की!

कोटा में टूरिस्ट बंगले व टूरिस्ट ब्यूरो

७०७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिस गति के साथ कोटा का विकास हो रहा है तथा उसे देखने के लिये यात्रियों का जो आवागमन बढ़ रहा है उसे देखते हुए क्या सरकार वहां टूरिस्ट बंगला बनाना आवश्यक समझती है ?

(२) क्या यह सही है कि बूंदी में पहले टूरिस्ट ब्यूरो खोला गया था पर बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार अब कोटा की प्रगति देखते हुए कोटा या बूंदी में इसकी आवश्यकता महसूस करती है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इन प्रश्नों पर विचार रही है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) कोटा मे यात्रियों के आवास की उपलब्ध सुविधा को बढ़ाने का प्रश्न सरकार के बराबर विचाराधीन है।

(२) जी हां। बूंदी में खोला गया टूरिस्ट ब्यूरो वहां पर्याप्त काम न होने से बन्द कर दिया गया था। सरकार कोटा या बूंदी में फिलहाल टूरिस्ट ब्यूरो खोले जाने की आवश्यकता नहीं समझती।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : कोटा में टूरिस्ट बंगला कब तक बनाया जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : टूरिस्ट बंगला बनाने का अभी तक विचार नहीं है लेकिन वहां पर २५ बैड का एक होटल बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, जो कॉरपोरेशन बन रहा है, होटल कॉरपोरेशन उसके अन्तर्गत!

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह विचाराधीन है, यह कब तक बना लेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं कह रहा

(श्री परसराम मदेरणा)

हूं कि यह डिसीजन लिया है कि होटल कॉरपोरेशन बनाया जाय। उस कॉरपोरेशन की जो स्कीम बनी है डिटेल में, उसमे यात्रियों को सुविधा देने के लिए एक पच्चीस बैड्स का अच्छा होटल कोटा में बनाया जायेगा, यह विचाराधीन है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सरकार को इस तरह पूरी आवास--सुविधा न होने के कारण लाखों रुपयों की आमदनी का नुकसान हो रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जो बूंदी में खोला गया था उसको क्यों बन्द कर दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : कोटा के सर्किट हाउस में १६ कमरे, डाक बंगलों में ६, चम्बल रेस्ट हाउस में ६ और नवरंग होटल में अच्छी एकोमोडेशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : किसका है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिश खां।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम नहीं है आप हाउस में यह क्यों नहीं कहते कि धारीवालजी का है।

श्री परसराम मदेरणा : यह गैर सरकारी है, चाहे धारीवाल का हो या सतीशचन्द्र जी का हो। मैं कह रहा हूं, गैर-सरकारी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बूंदी में खोला गया था वह बन्द कर दिया गया है। वह महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री अध्यक्ष : बूंदी की बात फिर करेंगे।

नहर के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा-तहसील कामां

७०८. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील कामां के ग्राम खोहरा में एक पुराना बांध है जो टूटा पड़ा है ?

(२) क्या इसकी मरम्मत कराये जाने की कोई योजना है ?

(३) क्या इसके पानी को कैथवाड़ा बांध में डालने के लिए कुछ साल पहले नहर की खुदाई भी कराई गई थी ?

(४) यदि हां, तो क्या उस नहर द्वारा पानी को कैथवाड़ा बांध तक पहुंचा दिया गया है ?

(५) यदि नहीं, तो क्या उस नहर के सम्बन्ध में किसानों का जो रकबा अवाप्त किया गया है उसका मुआवजा चुका दिया गया है ?

(६) अगर नहीं, तो कब तक चुका दिया जावेगा ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) यह बांध पंचायत समिति से संबन्धित है।

(३), (४), (५) और (६) : ऐसी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है।

श्री मजलिसखां : अध्यक्ष महोदय, एक नहर की खुदाई की जा रही है वहां बगैर गवर्नमेंट की सेंक्शन के नहर की खुदाई कैसे हो रही है जैसा आप फरमा रहे हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : मुझे इस संबन्ध में जानकारी उपलब्ध हुई है वह मैंने आपको दी है। आपके पास जानकारी हो तो आप बता दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्वायत्त शासन संबन्धी विषयों के लिए नियुक्त स्टडी टीम की रिपोर्ट

७०६. श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सन् १९५८ में स्वायत्त शासन सम्बन्धी विषयों के लिए श्री आर. के. शास्त्री, आई. ए. एस; की अध्यक्षता में एक स्टडी टीम नियुक्त की की गई थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट कब पेश की गई और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(ख) क्या सरकार ने सन् १९५८ से लेकर अब तक नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में कुछ और भी समितियां नियुक्त की हैं ? यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिए ? उनके प्रतिवेदन कब-कब पेश हुए और उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां। १९६० में। विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

(१) नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने।

(२) नगरपालिकाओं से बिजली व पानी की बकाया वसूल करने एवं नगरपालिकाओं द्वारा राजकीय विभागों से चुंगी बकाया वसूल करने। प्रथम समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। दूसरी समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।

(ग) निर्णय होने पर रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखी जा सकेगी।

श्री भैंरोंसिंह : पहले जो समिति मुकर्रर हुई थी उसने कब रिपोर्ट की थी।

श्री दौलतराम सारण : पहली समिति ने ६० में, मैंने निवेदन किया।

Page No. 19

श्री भैरोंसिंह : आपने क्या एक्शन लिया उस रिपोर्ट पर।

श्री दौलतराम सारण : वह विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : दूसरी समिति कब बनी ?

श्री दौलतराम सारण : आप दूसरी समिति के लिये पूछ रहे हैं। यह १७--१--५९ को।

श्री भैरोंसिंह : इसको भंग कब किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : कौनसी समिति ? १९५९ वाली ? यह अलग समिति है।

श्री भैरोंसिंह : उसको भंग कब किया गया था ? यह आपकी जानकारी में नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : पहली कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। ६० में जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। ५९ में जो समिति बनी थी उस समिति में दुबारा और सदस्य बढ़ाये गये। उसने दो तीन बार बैठकें कीं मगर अभी तक उसने रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें योजना मंत्री भी हैं।

श्री दौलतराम सारण : पहले बनी थी उसमें थे। उसके बाद कौल साहब की चेयरमेनशिप में समिति बनी, उन्होंने भी इससे त्यागपत्र दे दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि चेयरमेन समिति के त्यागपत्र देने से समिति भंग हो जाती है ?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : माननीय सदस्य भी तो सदस्य थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप किसी समिति को भंग करते हैं तो उसकी सूचना भी नहीं देते। यह गवर्नमेंट का एटीट्यूड है। आप किसी एम. एल. ए. को एपॉइन्ट करते हैं। आपने दूसरी समिति बनाई उसमें आपने उसको रखा। मगर आप उनको लिख कर कोई सूचना नहीं देते कि दूसरी समिति मुकर्रर करते हैं। आपका यह तो कोई तरीका नहीं की आप सदस्यों को नॉमीनेट करते जावें।

श्री भैरोंसिंह : जब समिति ने १९६० में रिपोर्ट पेश कर दी तो उस पर अभी तक विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका के चेयरमैन और एक्स ऑफिशियल्स के सामने पेश हुई थी। वह रिपोर्ट अभी तक सरकार के विचाराधीन है। अभी फाइनल नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : एक तो सरकार पहले समिति बनाती है और उसके मेम्बरों को एपॉइन्ट करती है, उसमें वे लोग जानकारी करते है उसमें राजस्थान सरकार का खर्चा होता है। और जब वे अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं तो सरकार दो-दो वर्षों तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती, और कहती है

Page No. 20

(श्री भैरोंसिंह)

कि यह रिपोर्ट अभी तक सरकार के विचाराधीन है। आखिर गवर्नमेन्ट समिति एपॉइन्ट करती है तो उसकी रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए अन्यथा समिति एपॉइन्ट ही क्यों की जाती है? जब आप दो-दो वर्षों तक उसकी रिपोर्ट को कोल्ड रेस्टोरेज में रख कर उस पर कोई एक्शन नहीं लेते।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह चार सदस्यों की समिति बनी थी। उनको अधिकार दिया गया था कि वे आंध्र और पंजाब में जा कर वहां की म्युनिसिपेलिटीज में चुंगी दरों आदि के बारे में व आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से सुधार हो सकते हैं देखें। इस समिति ने टूर किया और रिपोर्ट सब्मिट की वह रिपोर्ट जैसा मैंने कहा कि सरकार के विचारधीन है। कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रिपोर्ट एवेलेबल नहीं है?

श्री दौलतराम सारण : यह सही नहीं है, रिपोर्ट एवेलेबिल है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने को तैयार हैं?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास वह रिपोर्ट इस समय भी मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह : आप स्पीकर महोदय को बता दीजिए।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह कह रहा हूं कि रिपोर्ट है।

श्री भैरोंसिंह : अच्छी बात है। आप अध्यक्ष को बतादें।

श्री दौलतराम सारण : रिपोर्ट अध्यक्ष को देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं देख लूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह कह रहा हूं कि यह समिति सन् ५८ में मेरी अध्यक्षता में बनाई गई थी उस वक्त न तो मैं मिनिस्टर था न मैं विधान सभा का सदस्य ही था। मैं पार्लियामेंट का सदस्य था। उसके बाद में हमने कुछ एग्जामिनेशन्स होल्ड किये उसी दौरान में मैं कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, और समिति से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद ६१ में समिति बनी और उसके चैयरमेन कौल साहब बने। उसके बाद चुनाव आ गये और कौल साहब ने भी त्यागपत्र दे दिया और तीसरी और समिति बनी। इसमें यह प्रश्न था कि म्युनिसिपेलिटीज़ के टैक्सेशन के बारे में दूसरी जगह क्या व्यवस्था है उसको जानने का मेन ऑब्जेक्ट था। यह समिति इसलिए बनाई गई थी क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट चल रहा था कि कौन से टैक्स मेन्डेटरी और कौनसे ओब्लीगेटरी रखे जावें और उसके बाद क्योंकि यह बिल बहुत जल्दी पास करना था गवर्नमेंट ने इस बिल को एक्ट बना दिया और फिर जो यह कमेटी बनी थी उसके लिये एक्सपीडिसियस डिस्पोजल का प्रश्न खत्म हो गया और आगे के लिए क्या किया जावे यह बहुत बड़ा और गम्भीर प्रश्न है। इसलिए म्युनिसिपल बोर्ड को और जिला परिषदों में टैक्स के दृष्टिकोण से किस प्रकार

Page No. 21

(श्री मथुरादास माथुर)

जोड़ा जावे इस पर विचार कर रहे हैं इसलिए अभी तक इसमें पंचायत राज्य और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पूरा अध्ययन करने के लिये समय लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह सदन की मेज पर रखी गई है इसको हम देख सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : स्पीकर को देखने के लिए दी गई है, यह हाउस की प्रोपर्टी नहीं है यह हमने साफ कह दिया। यह स्पीकर को दी गई है देखने के लिए क्योंकि आपने चैलेंज किया था कि रिपोर्ट नहीं है अगर है तो स्पीकर महोदय को दिखा दी जावे। इसलिए इसको सदन की मेज पर रखी हुई नहीं समझी जा सकती क्योंकि इसमें अभी तए कोई निर्णय नहीं लिया गया है और कई एक्सायरोज करनी पड़ी हुई हैं। हमने इसको सदन की मेज पर नहीं रखा है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि जो रेकार्ड आपको दिया जावेगा वह सदन की प्रोपर्टी होगी। और जब वह हाउस की प्रोपर्टी हो जाती है तो उसे कोई देख सकता है।

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है इसके लिए सदन में अब तक जो परम्परा रही है और व्यवस्था रही है वह यह कि कोई माननीय सदस्य कोई फॉर्म या किताब आदि सदन की मेज पर रखते हैं तो उसको ओब्लीगेटरी सदन की मेज पर रखा जाता है, ऐसा नहीं मानते हैं। हर एक विशेष डोक्युमेन्ट रखा जाता है। उस पर विचार किया जाता है और जब तक व्यवस्था न हो जावे उसको नहीं लिया जाता। इसलिए इस प्रश्न को अलग रखते हैं। सामान्य व्यवस्था इस प्रकार ही है कि रखने के बाद भी उस पर विचार किया जाता है और फिर व्यवस्था दी जाती है। लेकिन इसको रिकार्ड में लिया जावे या नहीं, इसकी विशेष परिस्थिति है इसलिये इसको इसके साथ नहीं जोड़ा जावे। लेकिन सामान्य तौर से किसी को यहां रख दिया जावे उससे वह रेकार्ड पर आ जावे यह नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो रिपोर्ट आपके पास आई है वह हम देख सकते हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर This will be returned to the Government by the Speaker with thanks.

श्री भैरोंसिंह : हाउस की प्रोपर्टी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से कहा कि सारी परिस्थिति देख कर निर्णय लिया जावेगा, लेकिन इसके सम्बन्ध में क्या किया जावे, मैं कहूंगा कि वही कार्यवाही इस सम्बन्ध में की जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके बारे में आप निर्णय देंगे या नहीं या इसको स्थगित रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट

७१०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर):

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्या मंत्री, पशुपालन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) संचालक, पशुपालन विभाग, जयपुर के कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) क्या इन कर्मचारियों की सीनियोरियटी लिस्ट बन चुकी है ? अगर नहीं, तो कब तक बन जायगी ? अब तक नहीं बनने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, पशु पालन (श्री भीमसिंह) : (क) संचालक, पशुपालन विभाग के कार्यालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों (मिनिस्ट्रियल स्टाफ) की कुल संख्या ५७ है ।

(ख) कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट बन चुकी है । नहीं बनने के कारण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : कब बनी है ?

श्री भीमसिंह : २९-१-६४ को ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम ।

भू-राजस्व पर सरचाज

७११. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि भू-राजस्व पर लगाया गया सरचार्ज दूसरे राज्यों की कई राज्य सरकारों ने वापिस ले लिया है ?

(२) क्या राजस्थान सरकार ५०) रु० से ज्यादा लगान देने वाले किसानों पर लगाये गये २५ परसेंट सरचार्ज के रूप में टैक्स को वापिस लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

(२) जी नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रलाल (अलवर) : क्या यह सरकार को जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सरकारों ने इस प्रकार के टैक्स लगाये थे वे वापिस ले लिये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार के इम्पोर्टेन्ट मामले अखबारों में आते हैं तो क्या एक जागरूक सरकार को वहां की सरकारों से जानकारी करना आवश्यक नहीं है ?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : Sir, we have no official knowledge.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, जानकारी के प्रश्न के अलावा जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया था उसी भाषा में मैंने उत्तर दिया है । वरना सरचार्ज के सम्बन्ध में कन्सेशन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एग्जेम्प्शन्स की लिमिट बढाने वगैरह सारे सवाल पहले सदनके सामने आ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम।

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह सरचार्ज दूसरी सरकारों ने हटा लिया है और यहां सदन में इधर के माननीय सदस्य और उधर के माननीय सदस्य इस सरचार्ज का विरोध करते हैं। यह कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं है, १० लाख रुपया कुल सरकार को इससे मिलेगा, २० लाख की छूट कर दी है और सैल्स टैक्स से जो सरकार का लक्ष्य पैसे वसूल करने का था वह वसूल कर लिया है तो महज किसानों के ऊपर ही यह भार क्यों रखा जा रहा है? आज उस तरह की स्थिति भी नहीं है। आपत्कालीन परिस्थितियों की वजह से यह टैक्स लगाया था। अब मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार आज मोरेली इस तरह नहीं कह सकती कि इस टैक्स की आज जरूरत है। इसलिये राजस्थान सरकार को इस टैक्स को वापिस ले लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल!

श्री रामनन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत से प्रश्न बाकी हैं। इस प्रश्न पर बहुत बहस हो चुकी है।

(विराम)

श्री कृष्णकुमार गोयल!
Yes.

सार्वजनिक शौचालय, सीकर

७१२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सीकर नगर में श्री कल्याण जी के मंदिर के पास में नगरपालिका की ओर से सार्वजनिक शौचालय बना रखा है?

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय नागरिकों की ओर से इसका विरोध किये जाने पर इस शौचालय को नगरपालिका ने वहां से हटा दिया?

(ग) क्या यह सही है कि नगरपालिका ने वहां फिर शौचालय बनवा दिया जो जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी हानिप्रद है और जनता ने बार-बार इसका विरोध किया है?

(घ) क्या यह सही है कि स्थानीय अधिकारियों ने भी इस शौचालय को वहां से हटाने को लिखा है?

(ङ) यदि हां, तो यह शौचालय वहां से क्यों नहीं हटाया जा रहा है?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां।

(ख) शौचालय को प्रयोग में लाना बन्द कर दिया गया था?

(श्री दौलतराम सारण)

(ग) जनता के चाहने पर प्रयोग में लेना पुनः प्रारम्भ किया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ.) स्थानीय निवासियों व सम्बन्धित वार्ड के नागरिकों के चाहने पर पुनः प्रारम्भ करवाए गये हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि यह पब्लिक लेट्रिन ग्राबादी के बीच में बनी हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : यह कोई एक सीकर रोवजी का परकोटा है उसके पास है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि ग्राबादी के बीच में है कि नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : ग्राबादी के बीच में तो होगी ही पर मैं डेफिनेट स्थान का नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से वहां के कलेक्टर ग्रौर हैल्थ ग्रॉफिसर ने इस शौचालय को हटाने के लिये नगरपालिका को लिखा था ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने (घ) के उत्तर में कहा है 'जी हां'।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर उसे क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका से वहां के रहने वालों ने मांग की ग्रौर पुनः चालू किया गया।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर ग्रौर हैल्थ ग्रॉफिसर ने यह रिपोर्ट की है कि यह जनता के स्वास्थ्य के लिये वहां रखना ठीक नहीं है इसलिये इसे हटाया जाय, हैल्थ ग्रॉफीसर ग्रौर कलेक्टर की इस तरह की रिपोर्ट के बावजूद भी चन्द ग्रादमियों की मांग पर इसे चालू किया जाना क्या उचित है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी मैं पुनः जानकारी करा लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस शौचालय का शिलान्यास कौन से मन्त्री महोदय ने किया था ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय भैरोंसिंहजी ने किया था।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो ग्रापके साथ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्होंने तो उद्घाटन के पहले का कार्य किया है, ग्रापने बाद का फ्लश खींचने का काम किया।

श्री अध्यक्ष : Next. Shri Hardatt Singh !

भाखरा नहर, अमरसिंह ब्रांच

७१३. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरदत्तसिंह)

(१) सन् ६३ व सन् ६४ के लिये अमरसिंह ब्रान्च भाखरा नहर को पानी मिलने का दैनिक कितने क्यूसेक्स पानी की राशि निर्धारित है ?

(२) क्या यह सही है कि अमरसिंह ब्रांच को सन् ६३ में अगस्त से लेकर दिसम्बर तक पूरी महीने किसी भी माह में उसकी निर्धारित पूरी राशि पानी की प्राप्त नहीं हुई ?

(३) अमरसिंह ब्रान्च भाखरा नहर के द्वारा भाखरा क्षेत्र में सन् ६३ व सन् ६४ में सिंचित भूमि की प्रतिशत औसत क्या है ?

(४) अमरसिंह ब्रान्च भाखरा नहर पंजाब में किस हैड पर से राजस्थान मे प्रवेश करती है ? क्या यह सही है कि उस हैड पर राजस्थान व पंजाब सरकारों के अलग-अलग पानी नापने के पैमाने लगे हैं और सन् ६३-६४ में उन पैमानों की दैनिक रिपोर्टों में काफी अन्तर हैं ?

(५) अगर ऐसा फर्क है तो वह सन् ६३ के पूरे वर्ष से दुरुस्त क्यों नहीं कराया गया ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) २६० क्यूसेक्स ।

(२) जी हां ।

(३) खरीफ ६३ में २५ प्रतिशत व रबी ६३-६४ में दिसम्बर तक २६-६ प्रतिशत ।

(४) (अ) अमरसिंह ब्रान्च भाखरा नहर पंजाब की फतेहबाद शाखा के किशनगढ लिंक की टेल से राजस्थान में प्रवेश करती है ।

(ब) जी नहीं । पैमाने अलग नहीं हैं । किन्तु गेज के लेवल की बाबत आपस में विवाद है ।

(५) उचित कार्यवाही सन् ६३ के पहिले से ही की जा रही है ।

श्री हरदत्तसिंह : इस विभाग के मुताबिक कितने क्यूसेक्स पानी का पंजाब के और हमारे हिसाब से अन्तर है ।

श्री दौलतराम सारण : १० परसेंट पानी हमारे हिसाब से कम मिलता है ।

श्री हरदत्तसिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने यह पूछा है कि पंजाब का गेज लगा हुआ है और हमारा गेज लगा हुआ है उसके बारे में विवाद आप बताते हैं तो कितने क्यूसेक्स पानी का विवाद है, पंजाब सरकार कितने क्यूसेक्स पानी ज्यादा बतलाती है अपने गेज के हिसाब से ?

श्री दौलतराम सारण : जो पानी इस समय हमें मिलता है उस पानी के सम्बन्ध में जो गेज लगा हुआ है उसके सम्बन्ध में हमारी मांग थी कि ०.४ फीट होना चाहिये उन्होंने ०.२ तक तो एग्री कर लिया है, बाकी विवाद है ०.२ बढाने की बात है ।

(श्री दौलतराम सारण)

जितना पानी हमें मिलना चाहिये उससे १० परसेंट कम पानी मिलता है।

श्री हरदत्तसिंह : पंजाब में जो आखिरी हैड पर गेज लगा है वह ५० क्यूसेक्स पानी का ज्यादा डिस्चार्ज बताता है। और हमारे हैड पर जो पहला गेज लगा हुआ है वह ५० क्यूसेक्स कम बताता है। पंजाब का गेज ज्यादा बताता है, पंजाब की रिपोर्ट के माफिक जो हमें दिया जाने वाला पानी बताया जाता है वह ज्यादा बताया जाता है, जबकि हमारा गेज बताता है कि कम दिया जाता है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि अपना गेज खराब है तो उसे दुरुस्त किया जाय और यदि पंजाब का गेज खराब है तो भारत सरकार से कह कर उसे दुरुस्त कराया जाय।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया उसे माननीय सदस्य ने ठीक तरह से नहीं समझा। बोटम लेवल गेज का है उसके सम्बन्ध में विवाद है। हमारा कहना है कि ०.४ फीट टोटल होना चाहिये, वे ०.२ तक तो एग्री हो गये हैं ६१ में। बाकी पर नेगोसियेशन्स चल रही हैं। अभी मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक १० परसेंट कम मिलता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): पंजाब के क्षेत्र में जो रेगूलेटर हैं उसको देखने के लिये क्या एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर मुकर्रर कर दिया है?

श्री दौलतराम सारण : हमारा एस० डी० ओ० रहता है, तभी तो हमें पता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह बराबर वहीं रहे, आपका और पंजाब सरकार का गेज, दोनों गेजेज बराबर पेरेलल चलते रहें, इस प्रकार की व्यवस्था आपने की है क्या?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल !

भूमि एकीकरण तहसील सिकराय

७१४. श्री लक्ष्मणसिंह पटेल (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय की अधिकांश आबादी खेतीहर है?

(२) क्या सरकार उस क्षेत्र में भूमि एकीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो, क्यों?

(३) क्या यह भी सही है कि तहसील सिकराय में कुछ गांवों का भूमि एकीकरण हो चुका है?

(४) क्या सरकार को उस तहसील का पर्चा तब्दिली सैटलमेंट भी करवाना है? यदि हां, तो क्या सरकार उस तहसील में सीलिंग, सैटलमेंट व भूमि एकीकरण एक साथ करने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) जी हां । जब पंचायत समिति इस विषय का प्रस्ताव पारित कर देगी उसके उपरान्त क्षेत्र में भूमि एकीकरण कार्य कराया जावेगा ।

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं । बन्दोबस्त की मियाद सम्वत् २,०२२ तक है, मियाद समाप्त होने के बाद रिविजन बन्दोबस्त की कार्यवाही की जाया करती है । सीलिंग कार्य १५-१२-६३ से प्रभाव में आ चुका है। भूमि-एकीकरण कार्य कराने का प्रश्न उस समय तक नहीं उठता जब तक पंचायत समिति सहमति प्रकट नहीं करें ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : किस सिद्धान्त के आधार पर यह तय किया गया है कि पंचायत समिति पहले प्रस्ताव पास करे तभी भूमि एकीकरण किया जा सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मामला सदन में डिस्कस हुआ है । भूमि-एकीकरण के बारे में सदन में बहस उठाई गई थी कि लोग एकीकरण नहीं चाहते तो सरकार क्यों मजबूर करती है ? सरकारी कर्मचारियों की तरफ से या किसी दोष पूर्ण तरीके से गड़बड़िया होती हैं भूमि एकीकरण में । जमीन से काश्तकार को मोह होता है। इस प्रकार की सदन में चर्चाएं हुई थी । इस पर सरकार ने मुनासिब समझा कि जो जनता की इलेक्टेड बॉडी पंचायत समिति है वह प्रस्ताव पास कर दे तो उस पंचायत समिति में भूमि एकीकरण कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : क्या यह सही है कि भूमि के एकीकरण के बारे में पंचायत समिति ने आपके पास निर्णय भेजा है और कहा है कि एकीकरण वाले यहां भ्रष्टाचार फैलाते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने उल्टे पंचायत समिति को लिखा हैं कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करके भेजे तो हम कार्यवाही करें ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल: प्रस्ताव दिन प्रति दिन आते होंगे जो कन्सोलिडेशन हो गया है वह बहुत से नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुकदमें होते है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायत समिति प्रस्ताव पारित करके भेज दे तो हम नियमानुसार बहुत अच्छे ढंग से जितना संभव हैं उस प्रकार करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) क्या सरकार यह विचार रखती है कि जब से सीलिंग कानून लागू हुआ उसका क्या इम्पैक्ट बनता है, उसके बाद कन्सोलिडेशन के सारे काम को हाथ में ले लिया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि इस बात की जबर्दस्ती नहीं करते हैं । सीलिंग तो लागू होगा लेकिन हम तो जब कोई पंचायत समिति प्रस्ताव पारित करती है फिर एकीकरण को लेते हैं ।

Page No. 28

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी कि जब सीलिंग कानून लागू हो गया, तो दुबारा कन्सोलिडेशन करने के बाद में सीलिंग में से कुछ भूमि निकाल कर फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने कन्सोलिडेशन के काम की रफ्तार धीमी कर दी है। जो चालू काम है उनको पूरा कर रहे हैं, नया काम जब तक पंचायत समिति प्रस्ताव पारित न करे, तब तक नहीं करते। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया जिसके आधार पर कार्य करने का प्रश्न पैदा होता हो।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : यह जो बताया गया है कि बन्दोबस्त की मियाद समाप्त होने के बाद तबदीली सेटलमेंट की जायगी। क्या सरकार आश्वासन देगी कि इस साल में किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आश्वासन इस समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राजस्थान के अन्दर काफी क्षेत्र रिवीजन के लिए ड्यू हो गए हैं। ऐसे क्षेत्र में वहां ड्यू हुए काफी टाइम हो गया है। इसलिए सारा सवाल आर्थिक स्थिति का है। इन सारी बातें को ध्यान में रखते हुए फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार यह कार्य किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री झुझारसिंह।

देहाती डिस्पेन्सरियों में विद्युत सुविधायें

७१५. **श्री झुझारसिंह** (चेचट) : Will the Medical and Health Minister please reply :

(i) Whether the Government, in view of the spread of electric facilities to rural dispensaries and medical outposts, contemplate to provide refrigerators and other electricity run equipment to such dispensaries in the future ?

(ii) If so, by what time the dispensaries ot Chechat, Ramganj Mandi and Sangod would get these equipments ?

उपमन्त्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं। हर एक डिस्पेन्सरी व एड-पोस्ट में रेफ्रीजरेटर्स देना सम्भव नहीं है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री झुझारसिंह : मेरा सिर्फ रेफ्रीजरेटर्स से मतलब नहीं है। दूसरे जो इलेक्ट्रीसिटी से चलने वाले इक्विपमेंटस हैं जैसे स्टरेलाइजर्स जिनमें ज्यादा खर्च नही होता और जिन जगहों पर बिजली पहुंच चुकी है वहां आपकी हॉस्पीटल के इन्टरेस्ट में है कि आप इस तरह की सूचनायें उपलब्ध करें

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) सरकार की नीति का प्रश्न है। जहां जहां देहातों में विद्युतकरण हो रहा है, उन डिस्पेंसरीज में सरकार एप्लायंसेज देने का विचार रखती है या नहीं ?

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : It depends upon the nature of the dispensary. It is A Class dispensary, it is a Hospital, or it is a district dispensary, all that depends upon the nature of the dispensary.

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से क्लास की हास्पीटल्स तक आप इस तरह की एप्लायन्सेज देने का विचार रखते हैं ? देहातों में तो ए क्लास और बी क्लास नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य संभवतया यह चाहते हैं कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के अन्तर्गत कस्बों और गांवों में बिजली जा रही है तो क्या वहां पर जो डिस्पेन्सरीज हैं वहां पर भी विद्युतीकरण किया जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि इस पर राज्य सरकार को बिजली देने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे डिस्पेन्सरीज है, दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहां पर सब्जेक्ट टू रिसोर्सेज हम इलेक्ट्रीफिकेशन करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंह नगर) प्रश्न एप्लायन्सेज का है।

श्री मथुरादास माथुर : एक सवाल है बिजली बिल्डिंग को देने का ! हमारे यहां पर जहां-जहां पर बिजली पहुंचती है वहां पर डिस्पेन्सरीज को जैसे-जैसे हर साल बिल्डिंग को इलेक्ट्रीफिकेशन पर लाते हैं तो करते हैं। रहा सवाल इक्विपमेंट का, वह नेचर आफ डिस्पेन्सरी पर डिपेंड करता है, हॉस्पीटल है या बी क्लास डिस्पेन्सरी है।

श्री अध्यक्ष : प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स में रेफ्रीजरेटर्स का प्रावधान है ?

श्री मथुरादास माथुर : सब डिस्पेन्सरीज में नहीं हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : रेफ्रीजरेटर्स होने चाहिए। पागल कुत्तों का गांवों में इलाज हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर: गांवों में पागल कुत्ते कम होते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : शहरों से कई जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उनका माकूल इन्तजाम करेंगे, अगर शहरों से चले गए तो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह रेफ्रीजरेटर्स का सवाल है, पागल कुत्तों का सवाल नहीं है। कई गांवों के अन्दर बिजली ले जाते हैं और वहां पर अगर अस्पताल है तो कोई कारण ऐसा नहीं मुझे देखने में आता कि वहां पर रेफ्रीजरेटर न हो। अगर गांवों में बिजली आती है तो अस्पताल में मेरे ख्याल से रेफ्रीजरेटर का होना एक परमावश्यक वस्तु है।

श्री मथुरादास माथुर : It all

Page No. 30

(श्री मथुरादास माथुर)

depends upon the funds and all that. We would like to give other facilities of refrigerator etc, but if the funds are there.

जहां पर गांव में बिजली नहीं है वहां पर यदि जरूरत समझी जाती है कि रेफ्रीजरेटर होना चाहिए तो हम ऑयल रेफ्रीजरेटर्स भी देते हैं जो ऑयल से चलते हैं कैरोसिन से चलते हैं, इसलिए नेसैसिटी और रिसोर्सेज पर डिपेन्ड करता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is a question of priority also.

श्री जुझारसिंह : मेरा यह निवेदन था कि बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसका कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है जो डिस्पेन्सरी के फन्ड्स में से लिए जा सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वहां पर हीटर हो सकता है, बॉइलर हो सकता है, जिस पर इन्स्ट्रूमेंटस स्टेरीलाइज किए जाते है। इलेक्ट्रीकल इक्विपमेंट कौन सा ऐसा जरूरी है, अगर माननीय सदस्य सूचित करेंगे तो Surely the Government will consider subject to its rosources.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अगर पब्लिक कन्ट्रीब्यूट करती है तो मेंटेन कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन देती है तो हम रकेरिंग एक्सपेंडीचर को देखते हैं। It means additional expenditure of Doctors etc., and that depends upon the funds.

प्रश्न संख्या ७१६

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

७१७, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मेडीकल रीइम्बर्समेंट बिल Will the Minister for Medical & Health be pleased to reply:.

(1) Is it a fact that Mr. T. P. Bharadwaj, Head of Pathology Department, S. M. S. Medical College, Jaipur submitted twice the bill for medical reimbursement and drew the amount ?

2. Was any complaint received in this behalf ? If so, what action was taken in that regard ?

उपमन्त्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) (१) जी हां।

(२) जी हां। इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। एक एन्क्वायरी बोर्ड द्वारा तहकीकात कराई गई थी तथा बोर्ड को सिफारिश प्राप्त होने पर डॉक्टर भारद्वाज को चार्जशीट दे दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि डाक्टर भारद्वाज ने जो दो बार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मेडीकल रिएम्बर्समेंट दिया उसमें दूसरा जो मेडीकल रिएम्बर्समेंट का बिल सबमिट किया उसमें पहले बिल के साथ जो वाउचर्स सबमिट किये थे, उन वाउचर्स को निकालकर दूसरे बिल के साथ उन्हीं वाउचर्स को लगाया गया और पैसे प्राप्त किए गए।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैं क्लीयर नहीं कह सकती हूं कि क्या हुआ लेकिन बोर्ड ने जो इन्क्वायरी कराई उसमें पाया गया कि उसकी गल्ती है इसलिए चार्जशीट दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो इन्क्वायरी की गई उसमें इस बात का उल्लेख है कि डाक्टर भारद्वाज ने पहले बिल में से वाउचर्स निकालकर दूसरे बिल के साथ लगा लिए और इस प्रकार दो बार रिएम्बर्समेंट लिया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह चार्जशीट कब दिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : १८-१२ ६३ को दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि आपकी जो इन्क्वायरी रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है :

"It seems to me that Dr. T.P. Bharadwaj has taken its bills from the first bill and has resubmitted with the other Bill."

जिसके ऊपर डिप्टी ए० जी० श्री मलकानी ने लिखा है :

"If it is correct, then it is a very serious matter."

इस प्रकार जिस हैड आॅफ दी डिपार्टमेंट के खिलाफ फाल्स टी. ए. बिल बनाने का चार्जशीट दिया गया है, जिस हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने डबल रिएम्बर्समेंट चार्ज किया है, रिपोर्ट है इन्क्वायरी आॅफिसर की, यह बात साबित हो गई कि उसने फोर्ज्ड टी. ए. बिल बनाया, और फोर्ज्ड रिएम्बर्समेंट लिया। जिसके बारे में प्रिंसीपल के रिमार्क्स हो गये, डिप्टी ए.जी. के आब्जर्वेशन्स हो गए, इन्क्वायरी आॅफिसर की रिपोर्ट हो गई, तो जब आप छोटी-छोटी बातों पर ८ आने की भी एकाउन्ट्स में गल्ती हो जाती है तो आप चुने हुए प्रतिनिधियों को सस्पेंड कर देते हो तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि इस प्रकार की सीरियस चार्जेज के लिए जिसमें प्राइमा फैसी केस बन गया हो, उस हैड आॅफ दी डिपार्टमेन्ट को सस्पेन्ड किया जाय ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, चार्जशीट देने के बाद डा० भारद्वाज ने यह मांग की है कि उनको कागजात दिखाये जाय ताकि वे उसका जवाब दे सकें। बिना उनको अपॉर्चुनिटी दिये हुए एक तरफा कार्यवाही हो सकती है इसलिए प्राइमा फेसी उनके खिलाफ साबित होने पर भी उनको कागज़ात देखने की इजाजत दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये सारी बातें और कागज़ात उनको बता दिये थे और

Page No. 32

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एन्क्वायरी ऑफिसर ने उनका स्टेटमेंट रेकार्ड करने के बाद इन्क्वायरी रिपोर्ट दी।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: इसका मुझे ज्ञान नहीं। जो परिस्थिति थी वह मैंने रख दी है। चार्ज-शीट देने के बाद उन्होंने कागजात दिखाने की मांग की है और कागजात दिखाने के बाद जो उचित फैसला होगा वह किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि यह इन्क्वायरी राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तर्गत की गई थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी शुरु हुई है।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी में रिपोर्ट करने से पहले जिसके खिलाफ क्या क्या चार्जेज हैं उसको नोटिस दिया जाय क्या नोटिस दिया गया था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: चार्ज शीट में चार्जेज दिये जाते हैं वे कागजात देखना चाहते हैं कि किस बेसिस पर उनको यह चार्ज शीट दी गई है। उसके बाद एक्शन उसी पर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी शुरु हुई है। पहले जिसके खिलाफ इन्क्वायरी की जाती है उसको नोटिस देना लाजिमी है। क्या उनको वह नोटिस दिया गया है ?नोटिस दिया गया है तो उसका जो जवाब देते हैं तो पूरे पेपर्स देख कर ही देते हैं। डिपार्टमेन्टल इन्क्वाइयरी फिर किस बात की ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा देखा है कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के बाद चार्ज शीट देते हैं और चार्ज शीट में नॉर्मली हरएक आदमी को कागजात दिखाये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : प्रेलिमिनरी इन्क्वायरी तो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के पहले ही शुरु हो जाती है और उसमें तो सारा प्रोसेस शुरु हो गया।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी, कमिशनर इन्क्वायरी करते हैं। पहले एक्स्प्लेनेशन मांगते हैं। इन्क्वायरी डिपार्टमेन्टल सम्बन्धी कमिश्नर करते हैं तो चार्ज शीट देते हैं।

श्री अध्यक्ष ; सस्पेन्ड कब करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : प्रेलिमिनरी इन्क्वायरी और डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी पूरी होने के बीच में।

श्री अध्यक्ष : चार्ज शीट देने का मतलब है प्राइमा फेसी किसी केस को एस्टेब्लिश कर देना। चार्ज शीट फोर्मली देने का मतलब यह है कि प्राइमा फेसी इन्क्वायरी से सरकार को संतोष है।

श्री मथुरादास माथुर : But in all cases of prima facie, Government is not bound to suspend.

श्री अध्यक्ष : That amounts to debate.

श्री सतीशन्द्र अग्रवाल: They must...

Page No. 33

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस केस की ऐसी कौनसी विशेषता है कि नॉर्मली आप को चार्जशीट देकर सस्पेन्ड कर देना चाहिये, आपने क्यों नहीं किया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो तथ्य थे वे मैंने सदन के सामने रख दिये प्रेलिमिनरी इन्क्वायरी होने के बाद चार्ज शीट दे दी गई और कागज़ात दिखाने के बाद जो उचित कार्य-वाही की जानी चाहिये वह की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : चार्ज शीट किसके द्वारा दी गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : डिपार्टमेन्ट के द्वारा।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेन्ट ने नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : Some enquiry officer must have given.

श्री मथुरादास माथुर : कमिश्नर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ ने चार्ज शीट दी है और उन्होंने रेकार्ड देखने की मांग की है।

श्री भैरोंसिंह : आप तसल्ली करलें कि कमिश्नर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के पास यह केस रेफर ही नहीं किया गया है ?

(विराम)

आप यह बतायें कि किस तारीख को डिपार्ट-मेन्टल इन्क्वायरी कमिश्नर को यह सारा मामला दिया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : I will personally look into this case.

श्री भैरोंसिंह : This is an incorrect reply.

श्री अध्यक्ष : इसको कल लिया जाय। सारी इन्क्वायरी करने के बाद रखें।

(करतलध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : यह कैसे कह दिया कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कमिश्नर ने चार्ज शीट दी है ?

श्री अध्यक्ष : In good faith.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let this be taken on Monday.

श्री अध्यक्ष : Yes, on Monday.

स्थगित प्रश्न श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

स्थगित प्रश्न

(१३-३-६४)

एरोड्रोम, कोटा

४०८. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा एरोड्रोम केवल डकोटा विमान उतारने की ही क्षमता रखता है और कोटा शहर का मास्टर प्लान बना उसमें बड़े विमान उतराने के लिये एरोड्रोम की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रावधान

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत)

नहीं रखा गया है और एरोड्रोम के आस-पास की जमीन बेचने की योजना है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि कोटा जिस तेजी से औद्योगिक शहर बनता जा रहा है और जिस तरह से डकोटा विमानों का स्थान दूसरे बड़े विमान लेते जा रहे हैं उन्हें देखते हुए एक माकूल एरोड्रोम की जरूरत कोटा शहर को निकट भविष्य में पड़ेगी ?

(३) क्या सरकार उस मास्टर प्लान में एरोड्रोम को बढ़ाने के लिए यथेष्ठ स्थान रखने पर विचार करेगी ?

उपमन्त्री यातायात (श्री भीमसिंह) :

(१) कोटा एरोड्रोम केन्द्रीय सरकार के सिविल एवियेशन विभाग के आधीन है, अतः राज्य सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलायेगी ?

श्री भीमसिंह : आपका प्रश्न आया है, अवश्य दिलायेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी कुमरी चूण्डावत : क्या वास्तव में इस एरोड्रोम का प्लान केन्द्रीय सरकार ने बनाया था ?

श्री भीमसिंह : केन्द्रीय सरकार ने और टाउन प्लॉनिंग ने बनाया था।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : टाउन प्लॉनिंग का स्थान क्या रखा है ?

श्री भीमसिंह : ऑलरेडी एरोड्रोम है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : एकोमोडेशन को देखते हुए रखा गया है या नहीं ?

श्री भीमसिंह : सिविल एवीएशन डिपार्टमेंट से मांग आने पर जरूर इस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन—उदयपुर

२३०. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) गत १० साल में उदयपुर नगर में बस्ती हेतु कौन सी कृषि योग्य भूमि आबादी में परिवर्तित की गई ? यह भूमि किस २ की थी ? सूची दीजिए। सिटी इम्प्रूवमेंट ने उस पर क्या किया ?

Page No. 35

(श्री विजयसिंह झाला)

(२) इसके लिये निवेदन-पत्र किस तारीख को दिये गये तथा उसकी स्वीकृति सिटी इम्प्रूवमेन्ट उदयपुर से किन तारीखों को दी गई ? सूची दीजिये ।

(३) ऐसे कितने निवेदन-पत्र हैं जो कृषि योग्य भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के लिये दिये गये । लेकिन उस पर स्वीकृति नहीं हुई ? ऐसे आवेदन-कर्त्ताओं के नामों की सूची दीजिये ।

(४) कृषि योग्य भूमि को आबादी में परिवर्तित करने का क्या आधार है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भूमि विक्रय करने तथा किराये पर देने के नियम

२३१. श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर)— क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(१) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में चौकड़ी पुरानी बस्ती में नदी मे खाम मकानात कुल कितने बने हुए है और कब से ?

(२) नदी के इन खाम मकानात में से कितने मकानों की भूमि नगरपालिका ने विक्रय की है और कितने मकानों की भूमि किराए पर दी है ?

(३) क्या नगरपालिका ने भूमि विक्रय करने या किराए पर देने के कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रतिलिपि सदन के समक्ष रक्खें । और यदि नहीं, तो अब तक भूमि किस आधार पर विक्रय की जाती है और किराए पर दी जाती है ?

(४) क्या राज्य सरकार ने अब तक के निर्मित मकानों में बर्ती गई अनियमितातओं को रेगुलराइज करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो किस आज्ञा द्वारा ? प्रतिलिपि सदन के समक्ष रक्खें ।

(५) क्या राज्य सरकार, जिन व्यक्तियों का भूमि पर कब्जा हो रहा है उन्हें भूमि बेचने या किराए पर देने को तैयार है ?

उत्तर

१—नदी एरिया में लगभग ५२५ खाम घर बने हुये हैं जो कई वर्षों से चले आ रहे हैं । अतः यह मकान कब कब बने इसका विवरण देना सम्भव नहीं हैं ।

२—नदी एरिया में स्लम क्लीयरेंस स्कीम के अन्तर्गत लगभग ३० प्लाट अलाट किये गये हैं और उन पर पक्के मकानों का निर्माण हो रहा है । नदी एरिया में कोई भी भूमि किराये पर नहीं दी गई है ।

३—भूमि विक्रय के सम्बन्ध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ८० के अन्तर्गत व समय समय पर राजस्थान सरकार से प्राप्त आदेशानुसार कार्यवाही की जाती है । हरिजनों को क्राउन ग्रान्ट एक्ट के तहत भूमि विक्रय की जाती है । अस्थाई रूप से जमीन किराये पर परिषद् प्रस्ताव

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

संख्या ८ दिनांक ११-४-५१ के अनुसार दी जाती रही है। प्रतिलिपि संलग्न है।

४—इस एरिया में लगभग ५० व्यक्तियों ने बिना स्वीकृति निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर लिया है। जिनको शीघ्र बन्द करवाये जाने की कार्यवाही की गई एवं की जा रही है। ऐसे मामलों को रेगुलराइज करने की अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

५—नदी एरिया में परिषद् की ओर से स्लम क्लीयरेंस स्कीम के अन्तर्गत प्लाट अलाट करने की कार्यवाही की जा रही है। किराये पर देने की कोई योजना नही है।

(सरकार से सूची प्राप्त नहीं हुई)

बावड़ी बाग; ग्राम नोनेरा

२३२. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम नोनेरा तहसील पीपल्दा के बावड़ी बाग को कोलोनाईजेशन विभाग द्वारा बेच दिये जाने के कारण इस बाग में से निकलने वाले सभी रास्ते बन्द हो गये हैं? क्या सरकार इस जमीन को वापस छुड़वाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं तो क्यों?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

थानों में दर्ज चोरी के मामले--बीकानेर

२३३. श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर शहर में १९६१-६२ व १९६२-६३ में कुल कितनी सूचनायें थानों में चोरी की दर्ज की गईं व उनमें कुल कितने रुपयों का माल चोरी किये जाने की सूचनायें हैं?

(२) उक्त मामलों में कितने रुपये का माल बरामद किया जा चुका है, कितनों का चालान किया जा चुका है, कितनों में फाइनल रिपोर्ट दी जा चुकी है व कितनो में जांच चल रही है?

उत्तर

(१) बीकानेर शहर के थानों में चोरी और नकबजनी की सन् १९६१-६२ में कुल ११७ रिपोर्ट एवं सन् १९६२-६३ में कुल ११८ रिपोर्ट दर्ज हुई जिनमें कुल रुपये १,१७,६०९:११ नया पैसा का माल चोरी गया।

(२) उक्त मामलों में कुल रु० ७९,८८८:६८ नया पैसा का माल बरामद किया जा चुका है। ९१ मुकदमों का चालान किया जा चुका है, १४३ में पुलिस द्वारा फाईनल दी जा चुकी है और एक मुकदमे में अभियुक्त फरार होने से ५१२ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। जैर तफतीस कोई मुकदमा नहीं है।

चोरियों के पेंडिंग केस--कस्बा राजगढ़

२३४. श्री रावतराम (सादुलपुर) : क्या

(श्री रावतराम)

गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कस्बा राजगढ़ जिला चूरू में पिछले एक साल में कितनी चोरियां हुईं ?

(२) पिछले पांच साल की चोरियों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल में चोरी ज्यादा हुई या कम ?

(३) फिलहाल चोरी के कितने केस पेण्डिंग हैं ?

उत्तर

(१) कस्बा राजगढ़ जिला चुरू में पिछले एक साल में अर्थात् १९६३ में कुल ७ चोरियां हुई ।

(२) पिछले पांच सालों की औसत ५:६ आती है । इस हिसाब से पिछले साल में मामूली वृद्धि हुई है ।

(३) सन् १९६३ की उपरोक्त घटनाओं में से कोई भी जेर तहकीकात नहीं है ।

काश्तकारों को खानात पत्थर के सम्बन्ध में रियायतें

२३५. श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) खानात पत्थर के सम्बन्ध में काश्तकारों को मकान व काश्त सम्बन्धी क्या क्या रियायतें सरकार द्वारा मान्य हैं ?

(२) कृपया आदेश, जिसके द्वारा ये रियायतें प्राप्त हैं, सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) अ—राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, १९५९ के अध्याय १ की धारा ४ के अन्तर्गत कृषकों को सहूलियतें दी गई वह निम्न हैं :—

(क) कि ऐसे क्षेत्रों से जो किसी पट्टे के चालू सक्रिय खान (गड्डे) न हो बजरी, इमारती पत्थर अलावा पट्टी और कातले के तथा सामान्य मिट्टी जिसमें ईंटे बनाने की मिट्टी शामिल है खोदने पर कोई भाटक, अधिशुल्क या अनुमति शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(ख) उन क्षेत्रों से जो किसी पट्टेदार द्वारा अभिधारित न हो, चूने के पत्थर या कंकर उक्त क्षेत्र के मानिंग इन्जिनियर या सहायक माइनिंग इंजीनियर या तहसीलदार द्वारा ५) रु० भाटक एवं अधिशुल्क भुगतान करने पर जारी किये गये दो महिने के लिये वैध किसी अनुमति-पत्र के अन्तर्गत उत्खनित किये जा सकेंगे ।

ब—कृषक व खेती हर मजदूर, कारीगर बगैर किसी परमिट फीस लगान, शुल्क सरकार के दिये साधारण मिट्टी तथा वो मिट्टी जिससे ईंटे बनाई जाती है, बजरी रेत तथा चुनाई के पत्थर (सिवाय पट्टियें कातले तथा सलेब्ज) उस क्षेत्र से जो कि किसी पट्टाधारी के क्षेत्र में नहीं है लाकर उपभोग में ला सकेगा ।

(२) संबंधित आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

रिज्यूम की गई जागीरें--जिला पाली

२३६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा २१ के अन्तर्गत पाली जिले की जागीर के पुनर्ग्रहण की कौन २ सी तारीखें किस जागीर के लिए मुकर्रर की गईं व किन किन तारीखों के राज-पत्र में प्रकाशित कीं ?

(२) क्या राज्य सरकार ने उक्त मुकर्रर शुदा पुनर्ग्रहण की तारीखों में परिवर्तन किया ? यदि हां, तो किन २ जागीरों के लिए व कब ?

(३) क्या यह भी सच है कि जागीर पुनर्ग्रहण विभाग के अधिकारियों ने जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की अवहेलना कर कई जागीरों की पुनर्ग्रहण की तारीखें बदली ? यदि हां, तो किन २ जागीरों की ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें व उन जागीरों के सम्बन्ध मे यह भी सूचना दें कि राज्य सरकार ने उनके लिये कौन सी तारीख मुकर्रर की व विभाग ने कौनसी तारीख पुनर्ग्रहण की मानी ?

(४) क्या यह भी सच है कि जागीर पुनर्ग्रहण की विज्ञप्ति धारा २१ के अन्तर्गत प्रकाशित होने के जागीर पुनर्ग्रहण विभाग ने जागीर को पुनर्ग्रहण के बाद भी पुनर्ग्रहण मुक्त किया ? यदि हां, तो किन २ को ? उक्त जागीरों की माली आय क्या थी व वे कब रिज्यूम की गई ? उक्त श्रेणी की दूसरी जागीरें कब रिज्यूम की गई व ऐसा करने से राज्य सरकार को कितना आर्थिक नुक्सान उक्त समय में हुआ ? इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या यह भी सच है कि प्रश्न के भाग में (४) बताई हुई जागीरों के बारे में राज्य सरकार ने जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा २१ के अन्तर्गत कोई आज्ञा उनकी पुनर्ग्रहण की तारीख परिवर्तन बाबत जारी नहीं की व क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम के अनुसार केवल राज्य सरकार ही ऐसा कर सकती है और वह भी जागीर पुनर्ग्रहण के पूर्व हीं ?

उत्तर

(१) पाली जिले के लिये अलग से कोई तारीख पुनर्ग्रहण को मुकर्रर नहीं हुई।

परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) उक्त मान चित्र परिशिष्ट (क) में सूचना उपलब्ध है।

(३) जी नही। तारीखों में परिवर्तन सरकार द्वारा किया गया।

सूची परिशिष्ट (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी नही, कोई जागीर मुक्त नही की गई।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(९. १६ म. पू.)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९६४।

स्थगन प्रस्ताव

(१) हनुमानगढ़ में साम्यवादी दल के लोगों पर हमले विषयक स्थगन—प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है हनुमानगढ़ में हमारे कुछ साथियों के साथ जिसमें श्री श्योपतसिंह भी उपस्थित थे, मुख्य मंत्री जी के मौजूदगी मे उनके दौरे के समय, उन पर हमला किया गया जिसमें छः आदमी बुरी तरह जख्मी हुए थे। यह १९ तारीख की घटना है। उस समय ब्लेक फ्लेग डिमोन्स्ट्रेशन काफी लोग कर रहे थे केनाल वाटर और मंहगाई के बारे में और चीफ मिनिस्टर साहब तब तक गेस्ट हाउस नहीं पहुंचे थे उससे पहले ही प्रदर्शन शान्तिपूर्वक हो रहा था। वहां पर कांग्रेस के लोग टिकट वगैरा के सिलसिले में मुख्य मंत्रीजी से मिलने आये हुए थे। मुख्य मंत्रीजी वहां पहुंचे। डिमोन्स्ट्रेशन पीसफुली हो रहा था, इन्टर-फियरेन्स किसी प्रकार का नहीं हो रहा था। मुख्य मंत्रीजी पहुंच गये थे तब उनके अन्दर पहुंच जाने के बाद रेस्ट हाउस के अन्दर से कुछ लोग निकलते हैं, उनके हाथो मे लकड़ियां थीं और वे डिमोन्स्ट्रेशन में जो कुछ लोग आगे थे उन पर हमला करते हैं और पुलिस उन हमला करने वालों को प्रोटेक्ट करती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, गृह) : माननीय सदस्य श्री हरिरामजी ने उसको रख दिया था।

श्री अध्यक्ष : कल उत्तर देने की व्यवस्था थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर कोई नहीं मिला। २० तारीख को एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया, २१ तारीख को उत्तर मिला था कि मुख्य मंत्रीजी हैं नहीं, आने पर वे उत्तर देंगे। इसके बावजूद मुख्य मंत्रीजी यहा होने पर भी इस क्वेश्चन को अवायेड किया गया और इस पर अब तक कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर इस डेमोक्रेसी में गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी लॉ एण्ड आॅर्डर को मेन्टन करने की है और सब लोगों को आजादी के साथ भाषण करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने और मीटिंग करने आदि के अधिकार है। एक चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में, जो खुद होम मिनिस्टर भी हैं, फिर पुलिस का इन्तजाम भी होता है उस वक्त ऐसी घटना हो तो अन्दाज लगाये कि यह प्लान्ड वे में चीफ मिनिस्टर के सहयोग से यह घटना हुई है, इस तरह की बात होती है।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन-प्रस्ताव आया था। इस पर इस तरह की व्यवस्था थी कि गृह विभाग की बहस के समय कट मोशन्स रखे जावेंगे उस समय सारी स्थिति पर स्पष्टीकरण करने के हेतु सरकार की ओर से

(श्री अध्यक्ष)

वक्तव्य दिया जाय। अभी वह नहीं दिया गया है, अब दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल गिलोटीन एप्लाई हो गया, इसलिए नहीं दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आसन का यह आदेश था कि यह कट मोशन के आधार पर तय किया जा सकता है, इसलिए केस फिर भिन्न हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा कोई नहीं था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्षीय आसन से इस तरह के ऑब्जर्वेशन्स थे और उसको, माननीय सदस्य जो भी उपस्थित थे उन्होंने शिरोधार्य किया। आसन की इसी मान्यता के आधार पर माननीय श्रीहरिरामजी ने काफी प्रकाश डाला विश्लेषणात्मक।

ऐसी स्थिति में दूसरा प्रश्न होता है सरकार की ओर से निराकरण हो सका या नहीं। वह कल की स्थिति विशेष पर आधारित है, अध्यक्ष महोदय। चूंकि माननीय सदस्यों ने ऐसी बाधायें पहुंचाई कल जिससे सरकार की ओर से किसी कट मोशन पर जवाब नहीं दिया जा सका। ऐसी स्थिति में आपका हक प्रश्न मांगने का था वह वेग समझा जाना चाहिये। क्योंकि सरकार उत्तर न दे सकी है। इसलिए यह प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, इस वक्त उपस्थित नहीं हो सकता है और ऐसा समझा जाना चाहिये कि एडजोर्नमेन्ट मोशन लेप्स हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने यह व्यवस्था दे दी थी कि पुलिस की मांग पर जब वाद-विवाद होगा तो सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में निराकरण कर दिया जायगा। कल परिस्थितियां जैसी कुछ रही हैं सरकार की ओर से, गृह विभाग की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही किसी बात का इस सम्बन्ध में निराकरण किया गया। कल निराकरण न हो सका तो आगे उसका निराकरण हो सकता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आसन की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने के पश्चात् भी उसकी ओर से इस प्रकार कन्नी काटने की कोशिश करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कन्नी काटने का प्रश्न नहीं है। हम तो निराकरण करना चाहते थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब यह कह दीजिये कि आज नहीं दे सकता, कल दूंगा, परसों दूंगा। यह तो कोई बात हो सकती है। आप तो कहते हैं प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न उठा, अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी। आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिये। आप तो हमेशा ही ट्विस्ट कर देते हैं हर प्रश्न को।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कोई पार्टी पोलि-

Page No. 41

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

टिक्स का नहीं है। यह फन्डामेन्टल राइट्स का प्रश्न है। लॉ एन्ड ऑर्डर का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चन्द व्यक्ति रैस्ट हाउस से बाहर निकले और मारा-मारी हुई और पुलिस के प्रश्रय द्वारा वे वापिस चल गये। इसमें मुख्य मंत्री का नाम भी इम्पलीकेट किया जाता है। कल गुलेटिन एप्लाई होने से सरकार की तरफ से उत्तर हमको नहीं मिला। मेरे खयाल से सदन को यह अधिकार है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हो।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी उप-गृह मंत्री महोदय ने प्रवचन करते हुए फरमाया कि कल सदन में माननीय सदस्यों ने बाधा पहुंचाई, इस कारण हम उत्तर नहीं दे सके। उस समय सदन के आसन पर माननीय उपाध्यक्ष विराजमान थे उन्होंने अपनी तरफ से इस प्रकार का कोई रिमार्क नहीं लगाया इससे इस बात का संकेत मिलता है कि किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई। माननीय उपगृह मंत्री कह रहे हैं कि बाधा पहुंचाई, यह सदन के ऊपर रिफलेक्शन है और आसन के ऊपर विशेष रूप से है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उप-मंत्री महोदय ने जो आसन के प्रति इस प्रकार की बात कही है उनको यह कहने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिये और ये शब्द वापिस लिये जाने चाहिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने जो भी बात कही है गंभीरता से विचार कर रही है। कल आध घण्टा और इससे भी ज्यादा समय तक, ज्यादा समय नहीं बता रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : इतने में तो जानकारी दे देते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी कारण तो आपका प्रमोशन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : आप तो उत्तर देने की कृपा करिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस प्रकार बकरी दूध देती है लेकिन मींगनी करके दूध देती है उसी प्रकार उप-मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे तो मी-मी करके देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की गंभीरता को सरकार को महसूस करना चाहिये। एक सीरियस पोजीशन है। मुख्य मंत्री महोदय अपने खिलाफ एडवर्स डिमौन्स्ट्रेशन को टोलरेट नहीं कर सकते और लॉ एन्ड ऑर्डर जब कि उनके हाथ में है उनकी उपस्थिति में इस प्रकार की घटना होती है यह बहुत ही....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय चाहें तो आज वक्तव्य दे दें, अन्यथा कल दे दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आज तो इस स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : कल तो थे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कल वाला मैटीरियल आज मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय की इच्छानुसार इस पर कल वक्तव्य देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको शनीश्चर ही सूट करता है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जवाब कल देते हैं तो गृह मंत्रालय से संबन्धित कितने भी मोशन्स हों उन सब का दिलवा दिया जाय।

(९.२३ म० पू०)

कामां तहसील में तस्कर व्यापार विषयक, स्थगन प्रस्ताव

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी था कामां तहसील में हो रही स्मगिंलग, तस्कारी के बारे में। जिसमें तीन लाख मन गुड़ आया है।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैंने व्यवस्था दे दी थी कि इसको अस्वीकार किया जाता है और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को बहस उठाने का अच्छा अवसर मिला था और उसका आपने काफी अच्छा उपयोग भी किया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वे तैयार हैं दिलवा दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : कल बाहर चले गये थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाहर जाने का हमारा अधिकार है।

आय व्ययक एवं विशेषाधिकार प्रश्नों सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल कल पास हो जायगा और मैंने महत्वपूर्ण प्रिविलेज का प्रश्न वित्त मंत्री कौल के खिलाफ एवं संचालक सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के खिलाफ रखा था उसके सम्बन्ध में कल इस बिल के पास होने के बाद कोई महत्व नहीं रहेगा। इस बारे में भी उत्तर सरकार की ओर से आ गया होगा। उस बारे में भी व्यवस्था दे दी जाय। वेतन भी सब का मन्जूर हो चुका है इसलिये आज इसको ले लिया जाय।

(९.२५ म० पू०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के विशेषाधिकार सम्बन्धी चल रहे प्रश्न विषयक वाद-विवाद

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन-प्रस्ताव दिया था वह एक खास मुद्दे पर था जिस प्रकार यू० पी० में हाउस के प्रिविलेज का प्रश्न चल रहा है वह अपनी विधान सभा से सम्बन्धित भी है उस सम्बन्ध में यहां भी विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सदन में इसकी चर्चा की जाय

(श्री अध्यक्ष)

मैं इसको अनुपयुक्त समझता हूं। पहली बात यह है कि यह एक Abstract legal problem, लीगल इश्यू खड़ा हो गया है जिसके सम्बन्ध में हम यहां बात नहीं कर सकते और न उसका निराकरण ही कर सकते हैं। इसलिये इस समय उपयुक्त यही होगा कि इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं करे। इसी प्रकार की सूचना आपको दी गई थी कि आपका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबन्ध में निवेदन है कि सदन के प्रीविलेजेज काफी कन्फ्यूजिंग हैं। इसलिये इनफोर्मल मीटिंग बुला कर हाउस के प्रिविलेजेज एवं सदस्यों के प्रिविलेजेज क्या क्या हो सकते हैं, उनकी थोड़ी चर्चा की जाय। ताकि सदन की प्रतिष्ठा और सदस्यों के क्या क्या प्रिविलेजेज हैं उनका सबको पता चल सके। अपने रूल्स में और कॉन्स्टीट्यूशन मे केवल वर्ड्ई हैं जिनको कोडिफाइ नहीं किया गया है। प्रिविलेजेज को कोडिफाइ नहीं करेंगे, चर्चा करके निश्चित स्थिति पर नहीं पहुंचेंगे तो इस प्रकार की स्थिति रिपीट हो सकती है। इसके लिये अपना सदन अग्रसर होकर अन्य विधान सभाओं को गाइडेन्स दे सकता है, चर्चा करके इसको कोडिफाइ किया जा सकता है इसके लिये आप व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मसला सभी विधान सभाओं से सम्बन्धित है। इस प्रकार का भी डिसीजन हो सकता है जिसमें हमारे अधिकार एक्सटेन्ड भी हो सकते हैं और करटेल भी हो सकते हैं। इसलिये हमारा भी इसमें इन्ट्रेस्ट है। इस सम्बन्ध में जो वाद-विवाद यू० पी० में खड़ा हुआ है वह सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हमारे विधान सभा मे हमारी क्या राय है सरकार की क्या राय है वह सदन में रखी जानी चाहिये। इस समय गंभीर मसला खड़ा हुआ है विधान सभा के अन्दर सदस्यों के प्रीविलेजेज क्या हैं, जुडिशियरी के क्या राइट्स हैं, क्या सदन जुडिशियरी के मामले में इन्टरवीन कर सकता है या जुडिशियरी सदन के मामले से इन्टरवीन कर सकती है, ये सब मसले हैं जिन पर विचार होना चाहिये। राइट्स एवं प्रीविलेजेज के सम्बन्ध में कौन क्या हस्तक्षेप कर सकता है इस सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है कि हम हिन्दुस्तान में किस प्रकार की डेमोक्रेसी कह सकते हैं यहां लेजिस्लेचर को क्या स्थान है, जुडिशियरी को कौनसा स्थान है यह इस बहस में इनवॉल्व्ड है। हो सकता है किन्हीं देशों में जुडिशियरी को ज्यादा पावर्स दिये गये हो, लेकिन हमारे अपने देश में यह जरूरी नहीं कि उन्हीं परम्पराओं को उन्हीं तरीकों को यहां अपनाया जाय इसलिये इस देश में हम लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी को किस हद तक एस्टेब्लिश करा पा सकते हैं? कन-वेन्शन्स के जरिये, आया क्या कन्वेन्शन होने चाहिये ये तमाम प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया गया है, इसका प्रभाव जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा सभी लेजिस्लेचर पर पड़ेगा बहुत उपयुक्त यह होगा कि इस सदन में भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपनी मर्यादा कायम रखने के लिये अपने अधिकारों के लिये अपने व्यूज रखने का मौका मिले ताकि जिस जगह पर यह बहस हो रही है उस स्थान पर इस सदन में अपने विचार ठीक तरीके से, उपयुक्त तरीके से व्यक्त कर सकें। यह प्रश्न बहुत आवश्यक है। माननीय सदस्यों को इस प्रश्न पर जरूर बहस करने का अवसर मिले। हम नई परम्पराओं को वास्तव में डेमोक्रेसी को कामयाब बनाने के लिये आवश्यक समझते हैं। उनको कायम करने के लिये हम आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो वाद-विवाद उत्तर-प्रदेश में खड़ा हुआ उसमें भी यह प्रश्न इनवोल्व्ड है। इस प्रकार की परिस्थिति रोजमर्रा आ सकती है, अपने देश में नये तरीके की शासन-व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। नये तरीके का कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन जुडीशियरी जो शायद कई बार इन नये विचारों को अपना नहीं सकती, अपने पुराने विचारो के कारण नये विचार और नई दिशा में जो चलना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं उनके रास्तों में रुकावट पैदा करती है। जो इसलिये यह आवश्यक है कि कम से कम हिन्दुस्तान जैसे देश में, जो तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, जनता को चुनी हुई विधान सभा और संसद् में डेमोक्रेसी को मजबूती से कायम किया जावे परम्पराओं और कानूनों के जरिये। यदि किन्ही परम्पराओं में इसके लिये खामी हो, कानून में खामी हो डेमोक्रेसी को मजबूती से पनपाने में तो मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि कानूनी कदम भी उठाकर लेजिस्लेचरों को और पार्लियामेन्ट को मजबूत बनाया जाय, उसे आगे बढ़ाया जाय और एक तरह से उनकी सर्वसत्तात्मक स्थिति को स्थापित किया जाय।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक दिन इसकी बहस के लिये अलग से रखा जाय जिससे इस पर ठीक तरह से बहस हो सके और माननीय सदस्यों को इस पर पूरी तरह से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बांसपुर): मैं समझता हूं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु यह विषय सब-जूडिस है। राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध मे सुप्रीम कोर्ट की राय ली है। इस सदन के प्रिविलेजों का जहां तक प्रश्न है वह माननीय सदस्यों के लिये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमको कोई हार्ड और फास्ट डेफीनिशन सीक नहीं करनी चाहिये सम्भवतः इससे हानि भी हो सकती है।

यह तो कन्वेंशन की चीज है और इसके द्वारा ही प्रिविलेजेज की, जो अनडिफाइन्ड हैं, स्वस्थ परम्परा स्थापित होती है। इसलिये मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि जब तक इस प्रश्न का कोई स्पष्टीकरण राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हो पाता, हमें इस सदन के अन्दर इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह सदन के सदस्यों का और सदन के मौलिक अधिकारों का प्रश्न है। संविधान में इस सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएं हैं वे १९५ में हैं उसमें व्याख्या की

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

गई है कि लेजिस्लेचरों के ये प्रिविलेजेज होंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के रहे हैं। इसके माने यह है कि इंग्लिश कॉन्स्टीट्यूशन की तरफ इशारा करके चला गया है। Unless it is codified by the Statutes in a proper way. तो इस तरह से निवेदन यह है कि अब तक हिन्दुस्तान में व्यवस्थापिका सभाओं में या लोक सभा में इन प्रिविलेजों को कोडीफाई करके स्थिर रुप नहीं दिया गया है। इसके साथ ही केवल स्पष्ट यह निर्देश कर दिया है कि जो इंगलैंड का कॉन्स्टीट्यूशन है, हाउस आफ कामन्स की परम्पराएं हैं, उनके आधार पर गवर्न होंगे ये प्रिविलेजेज।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यहां पर स्पष्ट हो जाती है कि इंगलैंड का संविधान अलिखित है। वह परम्पराओं पर आधारित है। वह बहुत ही दीर्घकालीन ट्रेडीशन पर आधारित है। अब हाउस आफ कामन्स ने समय समय पर क्या-क्या व्यवस्थाएं दी हैं, किस-किस तरह के प्रिविलेजज़ रखे हैं यह इस तरह का सवाल है जिसको फाइन्ड आउट करना, अपने आप में एक बड़ा भारी दूभर सा काम हो जाता है। इसलिये इन तमाम चीजों को देखकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आ जाता है।

लेजिस्लेचर, जूडीशियरी और एग्जीक्यूटिव इन तीनों का सम्बन्ध परस्पर में एक दूसरे से क्या है इस सम्बन्ध में अमेरिका का संविधान चैक्स और बेलेंस की थ्योरी पर आधारित करके वैल एस्टेब्लिश्ड कर दिया गया है। अब हिन्दुस्तान में हमारी जो लेजिस्लेचर हैं उनके बारे में यह बात कह दी कि जो कुछ फलोर आफ दी हाउस पर होगा वह प्रिविलेज है उसका। पर साथ ही साथ वहां पर जो हमारी जूडीशियरी है उसके बारे में आर्टिकल २११ और २१२ है उनके तहत बात कह दी कि जूडीशियरी सार्वभौम है, उसकी प्रतिष्ठा जरूर रखी जानी चाहिये। इसके माने यह कि हमारा संविधान एक तरफ तो जूडीशियरी की प्रतिष्ठा को कायम रखकर अलग हो जाता है, उसको सर्वोपरि कह देता है और दूसरी तरफ लेजिस्लेचर के लिये भी अक्षुण्णता प्रदान करके हट जाता है। फिर दोनों के बीच अगर रस्सा-कस्सी हो, टसल हो तो क्या स्थिति होगी, इस बारे में संविधान चुप्पी साध गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह कन्वेन्शन पर छोड़ दिया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नहीं, इसमें एक प्रश्न और भी है। कोई भी सदन किसी भी प्रश्न पर विचार करता है तो सदन का रूप नहीं धारण करके कोर्ट का रूप धारण कर लेता है, न्यायालय का रुप धारण कर लेता है। जैसे प्रेसीडेन्ट के एम्पीचमेन्ट का सवाल है तो पार्लियामेन्ट कोर्ट के रुप में परिणत हो जाता है। इसी तरह यू. पी. ने जो फैसला दिया, मेरी मान्यता है, कि हाउस को एक तरह से न्यायालय के रूप में परिणत करने की घोषणा करदी गई और जब न्यायालय हो गया तो इधर सदन न्यायालय और उधर हाईकोर्ट न्यायालय, दो न्यायालय हो गये। अब जब इनमें संघर्ष होगया तो १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने इस प्रश्न को लोक महत्व का मानकर सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित किया है।

Page No. 46

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

तो यह हमारा प्रारम्भ काल है हम हमारे देश में जनतन्त्र की परम्पराएं कायम करने जा रहे हैं इसको देखते हुए यह एक बहुत बड़ा महत्व का प्रश्न खड़ा हो गया है। यहीं नहीं संसार भर में जनतान्त्रिक परम्पराओं में यह एक बहुत महत्व का प्रश्न हो गया है। दुनियां भर की कमेन्ट्री आप इस पर देखिये। विदेशी समाचार पत्रों में भी इसकी चर्चा है और सब कहते हैं कि जनतन्त्र के इतिहास में ऐसा कभी मौका नहीं उत्पन्न हुआ।

तो निहायत नम्रता के साथ निवेदन करूं कि जहां पर विधायिका ने उत्साह दिखाया है, वहां पर जुडीशियर ने भी २८-२८ जजों द्वारा एक जगह एकत्रित होकर जिस फोर्स के साथ अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये उत्साह दिखाया है वह इतिहास की वस्तु बन गई है। आजतक न्यायालयों के इतिहास में भी यह नहीं देखा गया कि २८-२८ जज एक जगह इकट्ठे होकर कोई निर्णय लें। तो इतना अपने बहुमत के आधार पर अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का जोरदार कदम उन्होंने उठाया है।

यह चूंकि वास्तव में एक बहुत लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये इसे मुरलीधरजी व्यास ने एडजोर्नमेन्ट मोशन के रूप में यहां प्रस्तुत किया है राष्ट्रपति महोदय स्वयं मानते हैं कि यह लोक महत्व का है और इसीलिये इसे १४३ के तहत सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है। सदन में....

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : I rise on a point of order, Sir, my point of order is this, under wnat rules of our procedure, the Hon. Membbr has been allowed to speak ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Under the discretionary powers of the Hon. Speaker in which you have no faith.

श्री भगराज चौधरी : I think, Sir, when the matter has already been referred to the Supreme Court it will not be advisable to discuss this matter further till any decision is given by the Supreme Court.

श्री रामानन्द अग्रवाल : The Hon Member is also expressing his opinion.

श्री भगराज चौधरी : We should not express any opinion in this matter.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : On a point of order.

श्री भगराज चौधरी : No Member should be allowed to raise any point of order unless my point of order is decided.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहना चाहूंगा

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कि यह लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये सदन को जरूर मौका दिया जावे कि सदस्यगण इस पर अपने विचार यहां प्रस्तुत कर सकें कि जनतन्त्र में जनतन्त्र की इस सबसे बड़ी संस्था की क्या परम्पराएं हों, क्या अधिकार हों, और इसके लिये जो उचित हो वह कदम उठाएं ।

(एक माननीय सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न उठाने पर) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हर चीज पर-पॉइन्ट ऑफ आर्डर क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया है कार्य संचालन के नियम ५० के अन्तर्गत किया है । यह एक लोक महत्व के प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव है ।

अब यह लोक महत्व का प्रश्न है या नहीं इस पर जो संविधान की धारा १४३ के अन्तर्गत इस मसले को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को राय जानने के लिये भेजा गया है, इसी से स्पष्ट है । इसमें लिखा है :

"यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, अथवा उसके उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो इस प्रकार का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना इष्टकर है, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को विचारार्थ सौंप सकेगा तथा वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसा कि) वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा ।"

तो जहां तक लोकमहत्व 'का सवाल है' तो आर्टिकल १४३ में स्वयं राष्ट्रपति ने भी इसको लोकमहत्व का माना है इसीलिए उसको आगे सुप्रीम कोर्ट को भेजा और स्थगन-प्रस्ताव लोक-महत्व का होता है तो उसे भी मान्य किया जाता है और मान्य किया जाकर उस पर डिसकशन किया जाता है । तो मेरा निवेदन है कि यह क्योंकि लोकमहत्व का प्रश्न है ऊपर तक राष्ट्रपति ने भी इसे लोकमहत्व का माना है ऐसे प्रश्न पर जैसा अन्य सदस्यों ने अपनी राय दी है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे कई मसले हुए हैं जिनमें थिमैया का सवाल था क्योंकि यह पार्लियामेन्ट की सुप्रीम पावर थी इसलिए थिमैया को त्यागपत्र देना पड़ा था । यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी सवाल उठाया था कि हमारी पावर्स क्या है तो उस पर भी पार्लियामेन्ट में पंडितजी ने कहा था कि यह संसद है यह सुप्रीम है और इसकी पावर्स अधिक हैं । तो इन हालात में जो चर्चा चल रही है, जहां तक विधान सभायें और संसद हैं यह इन मामलों में सुप्रीम मानी गयी है और क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारार्थ के लिए गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी राय दे तो ऐसी स्थिति में जहां तक डिस्कशन करने का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य को ठीक तरह से सुना नहीं । केवल लोकमहत्व का प्रश्न होने से स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता । आप आगे चल कर ५० के साथ-साथ ५१ और ५२ और पढ़ लेते तो कई बातें उसमें ऐसी हैं कि—

(श्री अध्यक्ष)

"The motion shall not raise a question of privilege."

उसके अलावा भी व्यवस्था यह दी कि एवस्ट्रैक्ट लीगल पॉइन्ट्स को डिसकस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता है। इसलिए आपके स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कई कारण थे जिनमें से दो मुख्य कारण यह थे कि प्रिवलेज का प्रश्न है जो कि स्थगन प्रस्ताव के द्वारा नहीं उठाये जा सकते। नियमों में स्पष्ट प्रावधान है। और एबस्ट्रैक्ट लीगल प्रोबलेम है उसको स्थगन प्रस्ताव के द्वारा यहां पर विचार नहीं कर सकते। इसलिए माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है और लोक महत्व के तो कई प्रश्न होते हैं। अगर यहां पर सब को डिसकस करने और स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने लगें तो विशेष मुद्दों पर बहस हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण तो बताये गये हैं इसके साथ-साथ....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह व्यवस्था दी कि यह एवस्ट्रैक्ट लीगल क्वेश्चन है यह बिलकुल सम्पूर्ण रूप से सही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एबस्ट्रैक्ट लीगल क्वेश्चन हमारे सारे सदन के सामने है इसके महत्व को चन्द साधारण लोग भी पूर्ण रूप से नहीं समझ पाये हैं। बहुत से लोग महसूस करते हैं जैसे यू० पी० की लेजिस्लेचर ने या विधायिका ने हाई कोर्ट के जजेज़ को चुनौती दी है और उनको अपनी पावर्स के तहत गिरफ्तार करके बुलाया है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न तो महत्व का यह है कि वास्तव में विधायिका ने न्यायपालिका को चुनौती नहीं दी है बल्कि न्याय-पालिका ने हिन्दुस्तान की विधायिका को चुनौती दी है। क्योंकि आज तक सैकड़ों जितने भी हमारे एक्ट्स हैं या रूल्स हैं उनको हाई कोर्ट ने नल एण्ड वॉयड घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। लेकिन लेजिस्लेचर आज तक कभी भी आफेन्डेड नहीं हुआ कि आपने अमुक एक्ट या बिल को किस प्रकार से नल एण्ड वॉयड घोषित कर दिया। कई एक्ट्स को उन्होंने इस प्रकार से घोषित किया है जिसके बहुत फार रीचिंग कान्सीक्वेन्सेज होते हैं। मद्रास में सीलिंग के कानून को नल एण्ड वॉयड डिक्लेयर किया किया और राजस्थान के अन्दर भी उसको स्टे दिया हुआ है। तो यहां भी जो सीलिंग के कानून को स्टे दिया गया है इसके भी सीरियस रिपर्कशन्स होंगे। हो सकता है कि यह मामला दो साल तक पेन्डिंग रहे। तो सीलिंग की जो नीति है उसकी तरफ हम नहीं जा सकते। लेकिन सारी चीजों के बावजूद हम अपने आदर्शों की तरफ हाई कोर्ट के जजमेन्ट के कारण विधान सभा या पार्लियामेन्ट कभी आफेंडेड नहीं हुआ। लेकिन यू० पी० की हाई कोर्ट ने जो भी एक्शन लिया है वह स्पष्ट रूप से लेजिस्लेचर को चुनौती है और यदि हाई कोर्ट का कन्टैम्प्ट जो भी करता है उसको सजा होती है, लेकिन हाई कोर्ट ने कभी महसूस नहीं किया कि लेजिस्लेचर का कन्टैम्प्ट हो तो उस परिस्थिति में लेजिस्लेचर और पार्लियामेन्ट की क्या पॉवर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि सारी हिन्दुस्तान की लेजिस्लेचर हैं उनके जो भी अधिकार हैं, जो भी कन्टैम्प्ट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के प्रावधान है उनको चुनौती दी गयी है और संविधान के तहत अध्यक्ष महोदय, यह फैसला भी जुडीशियरी करेगी कि जुडीशियरी के पॉवर्स क्या हैं और लेजिस्लेचर के पॉवर्स क्या हैं। इसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, जो हाई कोर्ट में जजेज बैठे हैं उनमें रत्ती भर भी विश्वास मुझे विश्वास नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे हाउस के जो अधिकार हैं जिनकी तरफ जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान भी आकर्षित किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हाउस के प्रिवलेजेज की रक्षा करने के लिए इस हाउस की तरफ से कोई भी एडवोकेट या इस हाउस की तरफ से जैसा भी विधि मंत्री और आप उचित समझें इसको रिप्रेजेन्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने किया जाये कि हमारे हाउस के अधिकारों की रक्षा की जाय और हमारे सारे पॉइन्ट ऑफ व्यू को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाये ताकि भविष्य में जुडीशियरी को अधिकार न हो कि जब भी कन्टेम्प्ट आफ लेजिस्लेचर में सजा हो उसमें इन्टरफियरेन्स न कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर को नहीं दिये हैं लेकिन जहां कन्टेम्प्ट आफ लेजिस्लेचर का सवाल है और जहां लेजिस्लेचर कन्टेम्प्ट में किसी को सजा देती है वहां जुडीशियरी इन्टरफियर नहीं कर सकती। इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए इस हाउस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रिप्रेजेन्ट करने की व्यवस्था आप करें, यह मैं आप से निवेदन करता हूं। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमारे राष्ट्र की जो जनतांत्रिक परम्परायें हैं, उनका सारा महत्वपूर्ण सवाल इससे संबंधित है। इसलिए हमको रिप्रेजेन्ट करने की व्यवस्था आप करें इस निवेदन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, यदि हाउस सैशन में नहीं होता तो हम एक आइडियल स्पेक्टेटर्स के रूप में सारी चीजें देख सकते थे। लेकिन जब कि आज हाउस सैशन में है तो यह हमारा अधिकार है और जिस इश्यू पर सारा जनमत बन रहा है उसमें यदि हम अपने को कन्ट्रीब्यूट नहीं कर सके तो हमें अफसोस रहेगा। इसलिए चाहे आप इस पर बहस करने की इजाजत दें या नहीं, लेकिन जो जयपुर से आते वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी बात कहेंगे और हमारी राय की भी बहुत बड़ी कीमत होगी। यह स्टेट का बहुत बड़ा फैसला है। We owe our existence to the electorates. डेमोक्रेसी जो आज औ कर रही है इस समय इस इश्यू पर सारी चीजें वे weigh करेंगी। मुझे आशा है कि आपकी इजाजत होगी इस बारे में कि हाउस सैन्स ली जाये ताकि जो बहुत बड़ा मसला है उसके बारे हम अपने विचार भेज सकें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, सभी दलों के नेताओं की एक कमेटी बुला ली जाये और उसमें विचार-विमर्श हो जाये। विरोधी दल के नेता हैं और दूसरे दलों के जो भी नेता हैं वह इसमें हों....

Page No. 50

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : May I say a few words, if you kindly permit me to say in English.

श्री अध्यक्ष : After others have spoken you may please speak.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो आपने व्यवस्था दी कि यह क्वेश्चन एबस्ट्रेक्ट लीगल इन्टरप्रिटेशन का है वह सही है। लेकिन इसके अलावा भी अध्यक्ष महोदय दो प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं। एबस्ट्रेक्ट लीगल प्रश्न का इस रूप में है कि मौजूदा कॉन्सटीट्यूशन और रूल्स आफ बिजनेस हमारे हाउस के हैं उनका इन्टरप्रिटेशन क्या होना चाहिए वह तो एबस्ट्रेक्ट लीगल क्वेश्चन है। उसमें तो जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें भी अपना केस एडवोकेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी के रूप में वहां पर शामिल होना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपना निर्णय देंगे, यह मैं आशा करता हूं।

दूसरा प्रश्न इतना ही है कि यह एबस्ट्रेक्ट लीगल क्वेश्चन ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा कॉन्स्टीट्यूशन में भी अगर कोई अड़चन हो और जो मौजूदा लीगल इन्टरप्रिटेशन पर सुप्रीम कोर्ट की क्या एडवाइस प्रेसीडेन्ट महोदय को मिलती है उसके बारे में वह सामने आयेगी। मैं तो इस हद तक कहता हूं कि हम आयन्दा कौनसी परम्परायें कायम रखना चाहते हैं? इस लेजिस्लेचर को कौन सा स्थान देते हैं और जुडीशियरी को कौन सा स्थान देते हैं। अगर मौजूदा कॉन्स्टीट्यूशन में भी, मौजूदा रूल्स ऑफ बिज़नेस में भी कोई खामियां हैं तो उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं यह समझता हूं कि हमें अपने प्रिविलेजेज क्या होने चाहिए जो मौजूदा परम्पराओं के अनुसार भी नहीं है, हाउस ऑफ कामन्स के अनुसार भी नहीं हैं। हमें हिन्दुस्तान में एक नई तरह की व्यवस्था कायम करनी है। उसके अनुरूप हमें प्रिविलेजेज स्थापित करने पड़ेंगे और उसका मुख्य आधार यह हो कि इस जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सुप्रीम माना जाय। सुप्रीम ऑथोरिटी हो कानून का इन्टरप्रिटेशन करने में नहीं लेकिन इस समाज में जिस तरह के समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं, जिस तरह से बिजीनेस को कन्डक्ट करना चाहते हैं इस लेजिस्लेचर का सम्मान करना चाहते हैं, इस लेजिस्लेचर का सम्मान रखना चाहते हैं, उस सम्बन्ध में इस समय मौजूदा कानून में प्रावधान न हो तो जिस कानून को परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, अगर कॉन्स्टीट्यूशन के किसी भी आर्टीकल में और संशोधन की आवश्यकता हो, यह सदन उसकी मांग कर सकता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अपने जो बिज़नेस रूल्स हैं उसकी धारा २७ के तहत वह बहस हो सकती है, और यदि आप उस प्रकार की व्यवस्था करें तो दूसरी तरह से मोशन लाया जा सकता है और उस पर एक विशेष दिन रख कर इस क्वेशचन पर बहस का मौका मिलना चाहिए और दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल को अपनी तरफ से भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, यह मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जहां तक हाउस के प्रिविलेजेज का है वह बिल्कुल कॉन्स्टीट्यूशन के जरिये डेफिनिट कर दिया गया है, और जहां विधायकों के राइट्स और प्रिविलेजेज का ताल्लुक है कॉन्स्टीट्यूशन में ऐसी धारा मौजूद है कि जब तक कि कोई कानून इस तरह का इस सदन का इस सदन के जरिये नहीं बना दिया जाय उस वक्त तक राइट्स एण्ड प्रिविलेजेज जो हाउस के हैं वे हाउस आफ कामन्स की जो परिपाटी और जो कन्वेन्शन्स हैं उनके जरिये गवर्न होंगे। और इस धारा के तहत में जहां तक लेजिस्लेचर के राइट्स का सवाल है जब तक कि कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं हो उस वक्त तक हम उन्हीं कन्वेन्शन्स से गवर्न होते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के कन्वेन्शन्स हैं।

प्रश्न यह है कि हमारे प्रिविलेजेज को देखते हुए सदन हमारा फैसला पर देता है और उस फैसले में किसी अमुक व्यक्ति के बारे में सजा सुना दे या उसके ऊपर कोई दोषारोपण करके उसको दण्डित कर दे वह हमारा प्रिविलेज है। उस प्रिविलेज के एक्सरसाईज़ करने में हमने उसको सजा देदी या दण्डित कर दिया उसके बाद क्या पोजीशन एराइज़ होती है आर्टीकल्स २२५ और २२६ जो कॉन्स्टीट्यूशन के हैं, उन २२५ और २२८ में हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन है कि किसी भी पर्सन के विरुद्ध या उसके बारे में जहां यदि कोई लीगल राइट का और उसका सवाल आता है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस प्रकार से बहस होने के बजाय एक समय निर्धारित कर दिया जाय तो सब तैयार होकर आयेंगे और फिर वाद-विवाद हो जाय। यह चीज कन्टीन्यू करती रहेगी तो समय जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप बोल लिये। आपका नाम तो आ जाय और वे रह जायं।

श्री अध्यक्ष : सभी संक्षेप में बोलें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं २२५ और २२६ आर्टीकल्स की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिनके अन्दर हाईकोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वह सुप्रीम ऑथोरिटी है अपने जुरिस्डिक्शन के अन्दर। कोई भी पर्सन के राइट्स पर कोई हस्तक्षेप होता है, चाहे वह राइट हुआ हो या रोन्ग हुआ हो तो वह करने का हाईकोर्ट को अधिकार है, चाहे हाईकोर्ट का गलत फैसला हो या सही फैसला हो। यह एक ऐसी चीज है जिसकी आज तक इस देश में कोई परम्परा स्थापित नहीं हुई है और न इसके बारे में कोई निर्णय अभी तक हुए हैं। ऐसी सूरत में सिवाय १४३ के तहत प्रेसीडेन्ट ने इसको सुप्रीम कोर्ट में राय के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए भेजा है। मैं समझता हूं कि उसके बारे में हम यहां पर कोई निर्णय लें या बहस करके किसी नतीजे पर पहुंचें तो कोई हमारे लिए फायदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो भी राय सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में देगी वह राय फाइनल होगी, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दरपेश है तो उस वक्त इस सवाल को यहां पर उठाना कोई माने नहीं रखता। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि हम

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

इस विषय पर बहस करें और कोई निर्णय पर पहुंचें कोई उपयुक्त चीज नहीं होगी, और हमको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो और राय हो उसके अनुसार करना चाहिए, और उसके ऊपर फैसला यहां पर दें, मैं समझता हूं अनुपयुक्त होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Mr. Speaker, Sir, I would like to take only two minutes.

I am very largely in agreement with what the Hon. Member from Bundi says. This is not a new thing. There have been conflicts in other countries between the Legislature and the Supreme Judiciary. These things are natural and they can best be left to nature how things take shape, how things evolve. Being a member of this august House, I am very proud that the privileges of this august House should be preserved. From this selfish consideration, if I was to express an opinion, we have a Constitution, we have accepted that Constitution and it is open to the people of this country to amend the Constitution. But, Sir, so long there is a Constitution, I for one do not see how the matter can be disposed of by the president in any other way. But by a reference to the Supreme court under Article 243 of the Constitution. That being the case, as the Hon. Member from Bundi has just submitted, I also feel that it would be premature to take into consideration what has been happenig in U P. Whether these incidences are unfortunate or fortunate is entirely a different thing. But to my mind, it is very clear that the Will of the people is supreme. it is a matter that can only be decided by history and future how things take shape. Whether the supreme expression of the people as embodied by the Lok Sabha or whether the existing provisions of the Constitution, the dignity of law, the Government of law is the supreme authority that again is a matter for the people of this country to decide

I, therefore, submit that at this moment, I do feel in my mind that it would be premature for us to take this subject under discussion, because I feel that we might be shaping or participating in a loosing faith. These things should best be left to the history and conventions. Thats' all.

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं विशेष तौर पर यह कि जो प्रश्न यहां पर विचार करने के लिए आया है, मैं समझता हूं कि वह विधान सभा और हाई कोर्ट के विवाद का प्रश्न नहीं है। जिस पृष्ठ भूमि में वह चीज वहां पर प्रस्तुत हुई थी मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों

Page No. 53

(श्री रामकिशन)

की जानकारी में होगा कि यह विवाद सोशियलिस्ट कार्यकर्त्ता से शुरू हुआ है। वह विवाद इस तरह ने शुरू हुआ है कि नरसिंह नारायण पांडे ने वहां के एक मंत्री पर आरोप लगाया........

(कई माननीय सदस्यों की ओर से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस सारे तथ्य में जाने से मतलब क्या है ? प्रश्न यह है कि इस सदन में किसी तरह से इस पर विचार किया जाय या नहीं किया जाय।

श्री रामकिशन : वह घटना तो नहीं बतला रहा हूं। मैं इतना ही बतला रहा हूं कि नरसिंह नारायण पाण्डे ने एक मंत्री पर आरोप लगाया कि वह गांजे के व्यापार में शामिल हैं। उसके बाद नरसिंह नारायण पाण्डे का नाम भी उस बही में निकला जिसमें कि गाजे के व्यापार की रकम निकली हुई है। उस पर केशवसिंह नाम के आदमी ने कुछ पर्चे सदन के बाहर बांटे। कुछ लोग उसको सदन में ले आये। उस पर उसको हाउस ने सजा दी। उसका हाउस को अधिकार है या नहीं इस सम्बन्ध में सारी बातें बिल्कुल नई हैं और उन पर नये ढंग से विचार करना पड़ेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट और दूसरी पार्लियामेंट का हवाला देते हैं तो एक मायने में कन्जरवेटिव होते जा रहे हैं। हिन्दुस्तान का जो नया विधान बना है तो निश्चत तौर से नई प्रणाली लाने के लिए उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा और कुछ खतरे भी हमको उठाने पड़ेंगे। कुछ पुरानी बातें हो जाती है तो चूंकि ब्रिटेन में होती हैं इसलिए यहां पर भी होनी चाहिए....

(१०.०० म० पू०)

तो अधिकार हाई कोर्ट को है उच्च, इसमें दो राय नहीं है लेकिन जुडिशियरी यदि अन्याय करे, दखल दे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह मौलिक चीजें है। यदि एक को ऊपर दूसरे को रख दिया तो नयी क्रान्ति लाने के लिये नियम तोड़ने पड़ेंगे, चाहे इसके लिये कोई बन्दी बन जाय, किसी को जेल जाना पड़े। इस प्रकार तो कुछ बनेगा। अच्छी चीज और अच्छी परम्परा निभानी चाहिये। गलत परम्पराओं पर चलना उचित नही है।....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप यह समझ कर विचार करिये कि कोई सोशियलिस्ट कार्यकर्त्ता गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप तो इस कारण विचार कर रहे हैं कि सोशियलिस्ट कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है।

श्री रामकिशन : यह बात बिल्कुल नहीं है, यह जो मौजूदा नियम है, विधान से हमारी मान्यता है उसको निश्चित तौर से बदलना पड़ेगा और इसके लिये सजा और दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो बिल्कुल कंजरवेटिव ढंग की चीज है उसको बदलना आसान नहीं है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री रामकिशन : आप कॉंस्टिट्यूशनल पार्टी हैं।

Page No. 54

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम तो कांस्टिट्यूशनल है आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं।

श्री रामकिशन : हम एजिटेटर्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक प्रश्न कल गंभीर पैदा हुआ था, आप उस समय आसान पर नहीं थे अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो तीन टायर हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर उसके साथ चौथा प्रेस भी है। एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि प्रेस को निर्देश दे दिया जाय कि फलां फला कार्यवाही नहीं छापे। तो प्रेस का भी प्रिविलिज है, हमारा जो विधान है उसकी धारा १९४ (३) में दिया है स्टेट गर्वनमेन्ट लॉ बना सकती है, मेरी समझ में नहीं आता....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : १९५ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देख लेता हूं १९५ को भी। इसमें तो भत्ते और तनख्वाह की बात है जिसकी ओर समाजवादी ज्यादा ध्यान रखते हैं।

तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमें तो यह कहा जाता है कि गैलेरीज की ओर इंगित नहीं कर सकते, प्रेस की ओर इंगित नहीं कर सकते, ऑफिसर्स गैलेरी की ओर इंगित नहीं कर सकते लेकिन कल एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी। आसन से निर्देश दे दिया प्रेस गेलेरी को, कि फलां फलां चीज नहीं छपे, जब कि हम सदन में खड़े गैलेरी को निर्देश नहीं कर सकते, लेकिन आसन की ओर से संकेत कर दिया था उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे आसन को विचित्र स्थिति में डाल दिया।........

श्री अध्यक्ष : आसन कोई गलती नहीं करता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आसन की ओर से नहीं है, एबेटमेंट....

श्री अध्यक्ष : एबेटमेन्ट प्री-सपोज होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आसन मजबूत है। कभी नहीं हिलेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जितना ये रेल से उतारने की कोशिश करते हैं आसन को, उतनी कोई नहीं करता।

श्री भैरोंसिंह : जिस बात को आप समझते नहीं है उसमें क्यों पड़ते हैं।

श्री ज्वलाप्रसाद शर्मा : (अश्रव्य)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) Mr. Speaker Sir, this is a very important question that has been raised through an adjournment motion on the floor of this House.

श्री रामकिशन : हिन्दी में बोलिए।

श्री मथुरादास माथुर : When the Leader of Opposition spoke Socialists were sleeping.

श्री रामकिशन : वे राजाओं के

(श्री रामकिशन)

प्रतिनिधि हैं, साधारण जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वे भी जनता के उतने ही प्रतिनिधि हैं जितना मैं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपमें और उनमें इतनी ही समानता है कि वे टोप लगाते हैं, आप टाई लगाते हैं।

श्री मथरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष जी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या सदन के सामने बीकानेर मे आने वाले माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेन्ट मोशन रख कर इस सदन के समक्ष प्रस्तुत की है। यह समस्या केवल इस सदन तक ही सीमित नही है बल्कि भारत के अन्दर भविष्य में विधान सभाओं और विधायकों के क्या अधिकार रहें यह मूलभूत प्रश्न उत्पन्न किया गया है। उत्तर प्रदेश की धारा सभा में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ उसके बारे में चर्चा न करते हुए, क्योंकि उससे इस सदन का ज्यादा सम्बन्ध नही है, लेकिन जो तथ्य वहां पर उत्पन्न हुए उनसे मूलभूत प्रश्न पैदा होता है देश भर में और जिसका जिक्र लोक सभा मे भी हुआ और मुख्तलिफ धारा सभाओं मे भी उसका जिक्र हुआ है और अपने यहां भी इसका जिक्र हुआ। इस भारत का जो संविधान है वह सॉवरिन है। और हम भारत के संविधान से विधान सभा के लिए अधिकार प्राप्त करते हैं जो धारा १९४ के नीचे और उसके मातहत बताई गई है और जुडिशियरी भी सभी विधान की मातहत अपने अधिकार प्राप्त करती है जो सेक्शन २२४ और २२५ में बताये हैं।

अब सवाल यह पैदा होता है कि जो प्रिविलेजेज इस सदन को मिल गये, इस कॉंस्टिट्यूशन के मातहत और जो जुडिशियरी अधिकार मिल गये इस कॉंस्टिट्यूशन के मातहत उनमें यदि कॉनफिलक्ट हो तो उसका इलाज क्या है ? और इसके इन्टरप्रिटेशन में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय देश में बनी है। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के जजों ने मिलकर एतराज किया है, यदि इस प्रश्न को इस तरह लिया जाय कि उन जजों ने अपने अधिकार या प्रिविलेजेज के लिए एक ट्रेड यूनियन की तरह से अपनी बात सोची है और अपन भी उसी दृष्टिकोण से सोचने लगें तो इसका हल नहीं होगा। इसलिए यह मुनासिब समझा गया और उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि धारा १४३ के नीचे यह मामला राष्ट्रपति को सौंपा जाय और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर उस पर विचार करें। जब यह मामला इस प्रकार हो गया तो सदन में इस पर चर्चा करें चाहे इन्फॉरमली, या फॉरमली या नॉन ऑफिशियल रिजोल्युशन के जरिये चर्चा करें जिसके लिये रूल्फ ऑफ बिजनेस में अधिकार है, उसके अन्डर में चर्चा करें और किसी निर्णय पर पहुंचे तो इसका क्या महत्व है यह समझ में नहीं आता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राय पर राष्ट्रपति निर्णय करेंगे। लेकिन यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की धारा२४३(२) के अनुसार फैसला अनुसार करेगा। अब प्रश्न यह रह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस समय इस प्रश्न पर बहस सुने और अपनी राय बनाकर राष्ट्रपति को दे उस वक्त, क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ उत्तर

(श्री मथुरादास माथुर)

प्रदेश धारा सभा से ही सम्बन्ध नहीं रखता है बल्कि जितनी भी धारा सभाएं देश में हैं और पार्लियामेंट हैं और विधान के अन्तर्गत उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उन सबसे यह ताल्लुक रखता है तो हो सकता है कि उनके फैसले से कुठाराघात हो या और कुछ हो तो उसके लिये यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोगों की तरफ से एज इन्टरवोनर से हम पेश होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस को आर्ग्यू करें। अब सदन जो अपने माने में सुप्रीम है, सदन की तरफ से वकील मुकर्रर करे यह एडवोकेट जनरल को इंगित दे कि एडवोकेट जनरल एज इन्टरवीनर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाय या एडवोकेट जनरल एडवाइज करे कि किसी वकील को पेश करना है जो कॉस्टीट्युशनल विषय का माहिर हो तो राज्य सरकार को उस पर भी ऐतराज नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : कोई और ही एडवोकेट को करना।

श्री मथुरादास माथुर : एडवोकेट जनरल के साथ में दूसरा एडवोकेट जो मुनासिब समझा जाय उसको भेजा जाय क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : But not Shri Sarju Prasad in any case. Now relish it.

श्री मथुरादास माथुर : I have relished it.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : You should assure the House that you will engage the best lawyer.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But not a local lawyer.

श्री भैरोंसिंह : Specifically not from purani Basti.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : I will recommend your case.

श्री मथुरादास माथुर : Anyway, we will do our best.

और फिर इन्टरवीनर की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो जायं और अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को रखें। यह कॉन्स्टीट्यूशनल मैटर है, इसको रख कर जो फैसला हो सुप्रीम कोर्ट को...........

श्री भैरोंसिंह : कौनसा दृष्टिकोण रखें ?

श्री मथुरादास माथुर : जो सदन का दृष्टिकोण है।

श्री भैरोंसिंह : सदन को मौका दिया जाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दृष्टिकोण नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : यह कॉन्स्टीट्यूशनल मैटर है, कान्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट है, इसमें माइनोरिटी से मेजोरिटी डिसाइड करने का सवाल नहीं है। ऐसा सवाल नहीं है जिसको

(श्री मथुरादास माथुर)

बहस के द्वारा, भाषणों के द्वारा इस हाउस में बैठ कर तय कर लें। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टीट्यूशनल पंडित और लॉयर पेश होंगे, वे हाउस ऑफ कामन्स में क्या रिवाज है, और दूसरी जगह किस प्रकार हैं, प्रेसिडेन्स और केसेज लेकर वहां इन्टरवीन करेंगे और जो सही बात होगी, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। उसके पहले यहां इस सदन में चर्चा कर लें, फैसला कर लें तो उससे नतीजा क्या निकलना है इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों का सुझाव है कि इन्टरवीन करना चाहिए, मैं पहले से सोचता था कि इन्टरवीन करने के लिए, हमको किसी लॉयर की मार्फत कराने की बात करनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोडीफाई करने के बारे में ?

श्री मथुरादास माथुर : दूसरा प्रश्न है, १९४ के नीचे हमारे प्रिविलेजेज जो हैं वे कोडीफाई हो जाने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में भी इस तरह का सुझाव आया था और एक कमेटी कायम की गई थी, सुचेता कृपलानी की चेयरमैनशिप के अन्दर और उस कमेटी की रिपोर्ट छपी वह रिपोर्ट पार्लियामेन्ट के अन्दर पेश होकर पार्लियामेंट से, लोक-सभा से पास नहीं हुई और प्रिविलेजेज कोडीफाई नहीं हो पाये, मगर एक रिपोर्ट जरूर पेश हुई थी। यह प्रश्न ऐसा है, जिसके अन्दर यह प्रिविलेजेज-जो हाउस के है और वह भी कोई स्टेटिक प्रिविलेजेज नहीं, जो कन्सेप्ट चेंज होने के साथ साथ प्रिविलेजेज चेंज होते हैं...........

एक माननीय सदस्य : यह ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : कोडीफाई करके बांध देना उचित नहीं है। मैं मान सकता हूं कि इन्फार्मल कन्वेन्शन्स हैं और हाउस ऑफ कामन्स में कोडीफाइड प्रिविलेजेज हैं। कन्वेन्शन्स से वे प्रिविलेजेज डेवलप होते हैं और कन्वेन्शन डिफरेन्ट सरकमस्टान्सेज के अन्दर, डिफरेन्ट टाइम्स के अन्दर चेंज होते हैं। इस सदन की उम्र पांच साल की हो सकती है लेकिन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी बहुत लम्बी चलने वाली है इस देश में। इसलिए इस कोडीफाई करने के प्रश्न पर कोई कमिटमेंट देना मुनासिब नहीं होगा। यह प्रश्न अभी उठाया उस पर कोई कमिटमेंट दूं, यह नामुनासिब है। वैसे भी पार्लियामेंट ने जो कमेटी बना कर कोडीफाई करने की कोशिश की थी, वह नहीं कर सके और उस कमेटी की रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट रह गई।

उसमें कई तरह के प्रिविलेजेज हैं........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : General tendency is that as the time passes these privileges are more asserted, and, therefore, the least said about it is better. We don't want to define.

श्री मथुरादास माथुर : There are two things about it, and, therefore, the State Government is not in a position to commit in this way or that way.

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सुचेता कृपलानी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के अन्दर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इतने मान लिये हैं, उसमें से एक पॉइन्ट बताता हूं जो पार्लियामेन्ट के एम० पी० के लिए था कि किसी एम० पी० ने अपने मकान में किसी को किराये पर रख लिया, अपने कमरे के अन्दर एक दिन भी रख लेना without the consent of the House, it is a breach of privilege.

अब उसके बाद में होता है डिफाइन्ड....

एक माननीय सदस्य : इसको नहीं कर सकते।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए जो प्रिविलेजेज, प्रेक्टिस और अनुभव से हों उनको कोई ब्रीच करता है तो ब्रीच आफ प्रिविलेज है। अभी आंध्र में एक मजिस्ट्रेट ने एम. एल. ए. से मिस-बिहेव कर लिया तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया। तो इस प्रकार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का पैराकरस्नेलिया कितना होगा। इसलिए इस स्टेज पर मैं कोई कमिटमेंट न करते हुए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोडीफाई किया जाय या न किया जाय, मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न सामने आया है उसमें इन्टरवीन करायेंगे एडवोकेट जनरल या एडवोकेट के जरिये और जो माननीय सदस्य की ओपीनियन है उसको रेस्पेक्ट करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री मथुरादास माथुर : इसमें काफी बहस हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : काफी बहस हो चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं दो मिनट कहना चाहता हूं। माननीय विधि मंत्री ने कहा कि एडवोकेट जनरल को भेज देंगे, किसी और को भेज देंगे। यह ओपीनियन एक्सप्रेस की। सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस, ओपीनियन होगी वह राष्ट्रपति....

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं कॉन्स्टीट्यूशनल एमेंडमेंड के बारे में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह राष्ट्रपति पर बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट उनको क्या एडवाइज देती है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्या एडवाइज देती है, वह राष्ट्रपति पर बाइंडिंग होगी, इसलिए हमारी बहस का कोई भी उपयोग....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Under the provisions of Article 143, if the President makes a reference to the Supreme Court, the Supreme Court's finding is not in character a decision, but it is recommendatory, it is advisory, and that advice so tendered will be a binding on the President.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): It is not advisory.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : It is advisory.

श्री रामानन्द अग्रवाल : So that is the question.

Again that is the same question-who is the supreme authority? Whether the Supreme Court's advice is supreme or the advice of the Ministers? So this question will again come. Whether the Supreme Court's advice is binding or the Council of Ministers is binding? So I say, if there is any utility of any discussion, by this august House, it is at this juncture, that this House can send its opinion before the Parliament or the President, before the President takes any decision on the findings of the Supreme Court. After the President has accepted, or not accepted that recommendation, it will be inopportune or say by then we have missed the Bus, it will not be useful. It will be useful at this stage. When you have to brief the Advocate who is going to represent our case before the Supreme Court, he must know the views of this august House. He must know whether he has to put the views as expressed by the Leader of the Opposition, or whether that Advocate has to put the view that the Legislature should be the Supreme Authority in all these matters. So I think, a discussion in this House is very necessary, otherwise the decision of the Govt. for sending an Advocate will not be of any use.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Discussion may be purely of an academic value.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जनरल सेंस तो मालूम हो जायगा हाउस में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : These things can not be determined in this way. Let the nature look after it. Discussion is of no use.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो एक बहुत ही विषम परिस्थिति पैदा हो गई है देश में और जो एक संवैधानिक संकट सा पैदा हो गया है उसके सम्बन्ध में—अपने विचार रखे। अब प्रश्न यह आता है कि इस अवसर पर क्या हम औपचारिक रूप से या और तरह से नियमों के अन्तर्गत इस सदन में विचार करें और विचार करें तो किस प्रकार? माननीय सदस्यों ने यह भी कहा इसके बारे में कि सरकार की ओर से माननीय सदस्यों की भावनाओं को जानते हुए इन्टरलीन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला आये। उसके लिए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि ऐसा वे अवश्य करेंगे। एक बात यह भी आई कि सरकार ने अभी तक इतने वर्षों में, इन प्रिविलेजेज को कोडीफाई क्यों नहीं किया? संविधान में इस सदन के वे ही प्रिविलेजेज हैं जो संविधान और कानून के पंडित बनायें और जब तक ऐसा न हो तब तक हाउस आफ कामन्स और यूनाइटेड किंगडम में हैं वे हैं। अब माननीय सदस्यों को यह सोचना चाहिए कि उनको कोडीफाई करने से क्या स्थिति बनती है? कोडीफाई

(श्री अध्यक्ष)

करने के बादवे रिजिड हो जायेंगे। उसमें भी दो मत हैं सदस्यों के सामने कि रिजिड होने से फायदा है या अधिक से अधिक एक्सपांडिग रखे जायं तो फायदा है। इसका एक पहलू और है और वह यह है कि अगर कानून बना कर हम उसको कोडीफाई करते हैं तो कानून का क्या स्टेटस रहता है ? इस सदन की ओर से बनाये एक कानून के नाते उसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इन्टरप्रिटेशन कर सकते हैं। आज प्रिविलेजेज के नाते हम कह सकते हैं कि हमारी सुप्रीमेसी है। अब यदि संविधान में परिवर्तन करके यह हमारे प्रिविलेजेज हैं उनको विशेष रूप दिया जाय तब तो समझ में आ सकता है लेकिन कानून बनाने से, जैसे सदन कई कानून पास करता है उसी तरह एक कानून यह हो गया, उसमें माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि ज्यादा अधिकार मिलें, निश्चित अधिकार मिलें, स्पष्टतया कोई अधिकार मिलें—तो उसका जो कानून बनेगा वह अदालतों में जा सकता है और उसका इन्टरप्रिटेशन हो सकता है। इसलिए इन सारी बातों को तय करने की कोशिश करें बहस के द्वारा-यह आवश्यक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में जो प्रश्न गया है उसके सम्बन्ध में मुद्दे बहस के दौरान में रहे हैं कि वह एडवाइजरी ओपिनियन हैं, और वह राष्ट्रपति किस हद तक मानते हैं, मानने के बाद भी क्या असर होता है विधान सभा के अधिकारों पर, यह केवल संकेत मात्र है। संवैधानिक समस्या उत्पन्न हुई है उसके बारे में यह सारी बातें बाद में आयेंगी, जिन पर कि समय समय पर विचार किया जायगा। जब कभी प्रिविलेज का विषय आता है तो प्रिविलेजेज के बारे में खुलासा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका सम्बन्ध होता है और जो फंडामेन्टल राइट्स हैं संविधान में हैं। एक तरफ हमारे सामने इधर सदन के प्रीविलेज का प्रश्न है और उधर जनता के फन्डामेन्टल राइट्स हैं, हमें यह देखना है कि हम उनका किस तरह से समन्वय कर सकें। ऐसा हो सकता है कि हमारे संविधान में ऐसा नहीं हो तो सही तरीके से समाधान हो सकता है लेकिन उस बात के लिये तो सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न गया है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट यह बतावेगी कि आज जो संविधान है उसमें क्या स्थिति है। संभव हो सकता है विधान में कोई ऐसा लेकुना ध्यान में आ जावे जो रह गया हो तो उस पर विचार किया जाये कि वह किस तरह ठीक हो सकता है। फिर यह राजनैतिक प्रश्न बन जाता है कि किस हद तक उसको किस रूप में एमेन्ड किया जावे। मैं समझता हूं कि सिम्पली मोशन के द्वारा हम इसकी बहस करें वह उचित नहीं होगा। जैसा माननीय मंत्री ने कहा, माननीय सदस्यों से समय समय पर अनौपचारिक रूप से विचार होता रहेगा और माननीय सदस्य भी विचार करें। इस पर एक बहुत प्रभावशाली तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का क्या तरीका हो सकता है। मैं समझता हूं और आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जावेगी। और इसमें कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि अभी हम इस पर कोई चर्चा न करें और फिर आपस में विचार करके सदन के

(श्री अध्यक्ष)

समक्ष लावें। हम कभी भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको अभी बन्द कर दें। जल्दी में और जल्दी बाजी में हम जो बात चाहते हैं वह नहीं हो सकेगी। एक डेफिनेट स्टेप लिया गया है उसका प्रावधान हमारे संविधान में है और उसका इन्तजार करना पड़ेगा जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें संविधान को बदलना पड़ेगा। इसके लिये सदन में और सदन के बाहर हमारा जन-मानस बनाया जा सकता है। मगर इसकी चर्चा अभी यहां नहीं होनी चाहिये। इसलिये यह निवेदन करूंगा कि इसको यहीं समाप्त किया जावे। माननीय सदस्य खुद सोचें कि किस तरह से यहां पर इस पर बहस करने से फायदा होता है तो कर सकते हैं। बहस को करना माननीय सदस्यों के हाथ की बात है। नियमों के अनुसार या और किसी तरह से ला सकते हैं। मगर आप यहां पर बहस किसी तरह की करेंगे उसका सामान्य स्थिति पर क्या असर पड़ेगा और जो सामान्य स्थिति चल रही है उस पर क्या असर होगा। इसलिये यह चर्चा यहीं समाप्त हो। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें। और सरकार की ओर से कोई प्रश्न हमारे सामने आवे उसके द्वारा हमें कार्य करना चाहिये। इसलिये इस बहस को यहीं समाप्त की जाकर आज की पूर्व निश्चित कार्यवाही है उसको शुरू किया जावे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपको उत्तर मिल जायगा।

(१०.२२ म० पू०)

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४ (विचार-विमर्श)

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री छत्रसिंह।

श्री छत्रसिंह (अहोर) : अध्यक्ष महोदय, श्री वित्त मंत्रीजी ने जो एक अरब बावन करोड़ ७० लाख की राशि खर्च करने की अनुमति मांगी है इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जब इन्डीविड्यूल भी अपना पैसा खर्च करता है तो वह यह चाहता है कि वह जो खर्च करता है उसकी हर पाई पर जो वह स्पेन्ड करता है, पूरी युटिलिटी उसको मिले। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से यह निवेदन करूंगा कि वे भी वित्त के मामलों में इस बात को ध्यान में रखें। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके मारफत उनका ध्यान उन मुद्दों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनमें उन्होंने काफी खर्चा किया है लेकिन उनका रिटर्न उनको बिल्कुल नहीं मिला और मिला भी है तो वह नहीं के बराबर है। मैं उनका ध्यान ईरिगेशन के चन्द बांधों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां एट दी टाइम ऑफ एस्टीमेट यह किया था कि उनको कहीं ४ परसेन्ट, ४॥ परसेन्ट और कहीं १२ परसेन्ट का फायदा

Page No. 62

(श्री छत्रसिंह)

होगा। इसके लिये यह कहा गया था कि कहीं दो साल में तो कहीं ५ या ७ साल में और कहीं १० साल में फायदा होगा। लेकिन वह समय समाप्त हो जाने के बाद भी आपको जो रिटर्न मिला है उससे साफ जाहिर होता है कि आपको ४ प्रतिशत तो मिलना दूर रहा उसके बजाय आपको ०.०४ परसेन्ट मिल रहा है। इस तरह से जो रकम हमने उस पर खर्च की है और उसका ब्याज दे रहे हैं वह रकम भी पैदा नहीं कर पाये हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपका ध्यान जुगलपुरा डेम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जिस पर करीब ३६ लाख रुपया खर्च हो गया है। जिस समय एस्टीमेट बनाया गया था उस समय यह था कि उससे ३५० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। लेकिन आपको मालूम होगा कि आज केवल ९ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है। मैं समझता हूं कि जब एस्टीमेट में इतनी बड़ी सिंचाई की बात कही गई थी तो उस हिसाब से आज देखें तो जो सिंचाई हुई है वह उसका १।१० वां भाग भी नहीं होगा। यह आपका कौनसा प्लानिंग है? मैं यह समझता हूं कि आप जो यह प्लानिंग बना रहे हैं उसमें इनहेरेन्ट डिफेक्ट है। पहले तो आप उसके एक्सेस एस्टीमेट बनाते हैं वे रेम्युनेरेटिव कन्सीडिरेशन से नहीं बनाते हैं बल्कि पोलिटिकल कन्सीडिरेशन से बनाते हैं। इसलिये मैं बड़े अदब से आपके द्वारा इनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): मैं यह निवेदन करूंगा कि मिड टर्म एप्रेजल पर बहस हो उस समय बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस समय आपको इसका जवाब मिल जावेगा।

श्री छत्रसिंह: नीति नहीं होनी चाहिये और पोलिटिकल कन्सीडिरेशन को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिये।

इसी तरह से सारे प्रोजेक्ट में यही हाल है। एस्टीमेट मे कुछ फिगर्स दिये जाते हैं और बाद में देखा जाता है कि हमको उन आंकड़ों के मुताबिक पैदावार नहीं मिलती और इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। इसी तरह से रोड वगैरा की भी यही हालत है। इलेक्ट्रिसिटी की भी क्या हालत है? एग्रीकल्चरिस्टों के लिये बिजली की बहुत जरूरत है। आपने यह नियम बनाया है कि जो गांव पांच हजार की आबादी से ऊपर हैं उन गांवों में पहले बिजली दी जावेगी। मगर उन गांवों की जिनकी आबादी ५००० से कम है उनको बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है, जबकि वहां पर एग्रीकल्चरिस्टों को उसकी बहुत जरूरत है? इसके अलावा ५००० की आबादी से नीचे के बहुत से गांव हैं जिनको बिजली मिलना बहुत जरूरी है। मगर आप जिनकी आबादी पांच हजार से ज्यादा है उन्हीं को इलेक्ट्रिफाइड कर रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत है किसानों को। इसलिये आपको पहले उन लोगों को बिजली देनी चहिये जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जहां पर बिजली का पूरा उपयोग उपज बढ़ाने के लिये नहीं होता है उनको दी जाती है। इससे पैसे का दुरुपयोग होता है।

अध्यक्ष महोदय, यह भी प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने बजट की बहस के दौरान में कहा

(श्री छत्रसिंह)

कि उनकी पार्टी प्लानिंग में विश्वास करती है। मैं भी मानता हूं कि प्लानिंग एक अच्छी चीज है, पर जो आप प्लानिंग करते हैं कितना इनएफिशियेन्टली करते हैं, इसके सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। कुछ अर्से पहले भूतपूर्व जोधपुर स्टेट के नरेश से राजस्थान सरकार ने ९८ हजार रुपयों में एक हवाई जहाज खरीदा। ऐसी मिसालें तो कई हैं कि कोई फाइल गायब हो जाय, दूसरी कोई चीज गायब हो जाय, पर वह हवाई जहाज ही गायब हो गया, उसका आज तक पता नहीं चला कि वह कहां गया ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह उड़ सकता है।

श्री छत्रसिंह : यह भी कहने को आप तैयार नहीं हैं कि वह उड़ गया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आपको लेकर उड़ता तो ठीक रहता।

श्री छत्रसिंह : जो सरकार हवाई जहाज जैसी चीज को सुरक्षित नहीं रख सकती वह प्लान को क्या अच्छे ढंग से चला सकेगी और क्या और चीजों को सुरक्षित रख सकेगी ? एप्रोप्रियेशन में हजारों रुपयों की राशि इन्डस्ट्रीज के बढ़ाने के लिये रखी गई है। पर मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई इण्डस्ट्रीज लोन दिये गये पर आपको यह भी मालूम है क्या कि उनका कोई सही उपयोग नहीं किया गया ? इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने कहा कि मैं उन लोगों से सब वह धनराशि वापिस वसूल करूंगा पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वसूल करना तो दूर वसूली की जो कार्यवाही चालू की गई थी, उसको रोकने के लिये स्टे आर्डर दे दिया गया है और उनको कह दिया गया है कि तुमसे दो साल बाद वसूली की जावेगी। जो भले आदमी वास्तव में इन्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं उनको तो आप लोन नहीं देते हैं और उन लोगों को इन्डस्ट्रीज के लिये लोन देते हैं जो इन्डस्ट्रीज को लगाने में रोड़े अटकाते हैं। तो यह तो आपकी इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की कार्यवाही कहां हुई है ? यह पॉलिसी तो इन्डस्ट्रीज को डिस्करेज करने की है।

श्री बालकृष्ण कौल : मालूम होता है माननीय सदस्य को डिमाण्ड्स पर बोलने का मौका नहीं मिला है। ये सब डिमाण्ड्स पास हो चुकी हैं।

श्री छत्रसिंह : You first listen me फिर आपको जो जवाब देना हो दे देना।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री सामान्य प्रशासन : अध्यक्ष महोदय, कन्डक्ट ऑफ बिजनिस एण्ड रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल १०५ (४) में यह है कि जिन डिमाण्ड्स पर इस सदन में बहस हो चुकी है उन पर नहीं बोल सकते। इन्डस्ट्रीज की डिमाण्ड पर बहस हुई उस समय तो माननीय सदस्य नहीं बोले।

श्री छत्रसिंह : I think, I have a right to speak. I could not get chance then.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर): अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज पर बहस तो हुई पर कई मुद्दे बहस के दौरान में रह गये हों तो अवश्य वे सब एप्रोप्रियेशन स्टेज पर उठाये जा सकते हैं।

श्री छत्रसिंह : इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत बातें कीं, पर मैं सदन का ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिनसे यह साबित होता है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वे केवल कहने की बातें थीं, उनमें सिन्सियेरिटी नहीं थी। ५५ के ईयर को अगर बेस माना जाय तो डीजल आईल की प्राइसेज ४८ परसेंट बढ़ गई है। जहां पर बिजली नहीं आई है वहां पर लोगों ने डीजल सेट्स लगा रखे हैं। डीजल की प्राइसेज बढ़ाने से, डीजल ऑइल पर टैक्स बढ़ाने से किसान प्रोडक्शन में कतई वृद्धि नहीं कर पाया है, क्या यह भी कभी आपने सोचने की कृपा की है? यदि इस पर सोचने की कृपा करेंगे तो आपके दिमाग में यह बात आयेगी कि डीजल पर जो ड्यूटी आपने बढ़ाई है, उससे इन्डस्ट्रीज को बड़ा धक्का पहुंचा है, कृषि का प्रोडक्शन कम हुआ है और दूसरे प्रोडक्शन में भी कमी हुई है। डीजल पर अधिक ड्यूटी इन्डस्ट्रियेलाइजेशन को बढ़ायेगी नहीं और घटायेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बात करो।

श्री छत्रसिंह : बिजली नहीं दे रहे हैं और डीजल पर ड्यूटी बढ़ा दी है। यह ड्यूटी कम करना तो दूर रहा, ट्रैक्टर्स, के टायर्स और ट्यूब्स पर ड्यूटी बढ़ा दी है। तो इस तरह की कार्यवाहियों से आप प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि घटाने के लिये इतने टैक्सेज लगा रहे हैं।

सरकार ने बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज अपनी तरफ से चलाने का कहा है। यह तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप चला सकते हों तो जरूर चलाओ पर, माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि इन्डस्ट्रीज कोई साधारण आर. ए. एस., आई. ए. एस. अफसरों के मैनेजर होने से नहीं चल सकती हैं। इनको चलाने के लिये इन्डस्ट्रियलिस्टिक टेलेंट चाहिये। You want to whitewash everything. इन्डस्ट्रियलिस्टिक टैलेन्ट में क्वालिफाइड लोग ही इन्डस्ट्रीज को चला सकते हैं। इसके लिये मैं स्टेट एन्टरप्राइजेज के जो मिनिस्टर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यूनिवर्सिटी में इन्डस्ट्रियल मेनेजमेंट का एक खास विभाग खोलें, जिससे कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियल टेलेन्ट के यंगमैन तैयार हो सकें जो हमारे यहां राजस्थान में इन्डस्ट्रीज को चलाने में सहायक सिद्ध हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान कोआपरेटिव्ज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने बहुत सा पैसा कॉओपरेटिव्ज के लिये रखा है पर उन्होंने कभी इस बात की ओर भी ध्यान दिया है कि उस सारे पैसे का सदुपयोग भी हो रहा है या नहीं? इस ओर यदि वे ध्यान देते तो उन्हें पता चलता कि

Page No. 65

(श्री छत्रसिंह)

इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं ग्लेरिंग एग्जाम्पल बताता हूं। नियमानुसार कोग्रॉपरेटिव्ज में कोई भी ऐसा ग्रादमी बोर्ड ग्रॉफ डायरेक्टर्स में नहीं रह सकता जो कि डिफाल्टर रहा है, पर एक ग्रादमी ऐसा है जो डिफाल्टर होते हुए भी बोर्ड ग्रॉफ डायरेक्टर्स में है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : भेंसवाड़ा ठाकुर साहब !

श्री छत्रसिंह : जी हां। जब ग्राप जानते हैं तो क्यों नहीं एक्शन लेते ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं पहले ही जान रहा था।

श्री छत्रसिंह : ग्रब मैं एज्युकेशन की तरफ सदन का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। Best investment is the investment on human material.

श्री मथुरादास माथुर : हां, हां।

श्री छत्रसिंह : हां तो खोलिये। केवल स्कूल भवनों से काम नहीं चलेगा। ग्रच्छे मास्टर रखिये। ५ की बजाय यदि ग्राप दो ही ग्रच्छे स्कूल खोलेंगे तो we will be doing great service to the country.

ग्रध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्राइसेज के लिये बड़ा वाद-विवाद होता है। मैं ग्रापके जरिये सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब-जब हारवेस्ट का वक्त ग्राता है तो बड़ी जोरों से ग्रावाज उठाई जाती है फूड ग्रेन्स की प्राइसेज को कम करने के लिये। इससे ग्राप यह चाहते हैं कि मिडलमेन ही कमा सकें, काश्तकार नहीं कमा सकें। यह ग्रापकी it is certainly a conspiracy against the people. शहर वालों का गांव वालों के प्रति स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है। I hope, it is high time, that the Govt. corrects it.

ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कें बनाने का सवाल है, जहां पर ग्रॉलरेडी सड़कें हैं वहीं पर ज्यादा सड़कें बनाई जा रही हैं, ग्रौर जहां पर पहले से सड़कें नहीं हैं वहां नहीं बनाई जाती हैं। मैं यह निवेदन करूं कि फर्स्ट डिविजन जोधपुर डिविजन है जिसके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है........

श्री मथुरादास माथुर : यह बात ठीक कह रहे हैं ग्राप।

श्री छत्रसिंह : ग्रगर इसी प्रकार का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जारी रहा तो ईस्ट यू.पी. वाला सवाल यहां पर भी खड़ा हो सकता है। जब एक तरफ ग्राप यह कह कर सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लाते हैं कि राजस्थान बड़ा बैकवर्ड प्रदेश है पर ग्राप जो राजस्थान का एरिया पिछड़ा हुग्रा है वहां खर्च नहीं करते हैं। जिस जगह सड़कें पहले से हैं वहां ग्रौर बनाते हैं ग्रौर जहां नहीं हैं, या बिलकुल कम है वहां पर बिलकुल पैसा खर्च नहीं करते हैं।

तो माननीय ग्रध्यक्ष, मैं ग्रापके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन सब बातों की ग्रोर गौर करे ग्रौर ग्रपनी नीतियों में सुधार करे।

(श्री छत्रसिंह)

(श्री बृजसुन्दर शर्मा और श्री मुकीलाल मोदी दोनों बोलने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय अध्यक्षजी, न तो कट मोशन्स पर बोलने देते हैं और न दूसरे मौको पर बोलने देते हैं तो फिर अच्छा है कि साफ कह दीजिये ताकि आवें ही नहीं हम।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष, लगातार कई दिनों से इस सदन में बजट के विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं में कई मुद्दे किसी विषय को ले कर उठाये गये, कई मुद्दे पॉलिसीज के मेटर्स को ले कर उठाये गये हैं।

जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है वैसे मैं कहता हूं बड़ी होशियारी के साथ इसे रखा गया है, और होना भी चाहिये। हमारे लायक मंत्री बजट रखें, वह होशियारी के साथ बजट को रखें ताकि उसमें कम से कम लोग उनकी वीकनेस को पहचानते हुए उसके मुद्दों पर पहुंच सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट एक ऐसा फाइनेन्शियल स्टेटमेंट है जिससे हमारी आर्थिक नीति, हमारी फिस्कल नीति और हमारे लेने और देने और कर्जों और खर्चों का सारा विवरण इस सदन के सामने प्रस्तुत होता है। हमारे माननीय अर्थ मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह जिक्र किया था कि उनकी कोशिश यह होगी कि वह ज्यादा से ज्यादा हमको जो लिटरेचर इसमें सप्लाई होता है उसको कम करने की कोशिश करेंगे और पोथों को कम करने की कोशिश करेंगें। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात की कोशिश नहीं करें। इन पोथों में ज्यादा से ज्यादा मेटीरियल इस सदन को सप्लाई हो जिससे कि हरेक मुद्दा इस सदन के सामने बिल्कुल साफ तौर से आए हरेक आइटम आफ एक्सपेंडीचर या आइटम आफ इन्कम, पूरा विवरण, इस सदन के समक्ष पूरे तीन साल पहले के विवरणों के कम्पेरीजन में उसमें क्या कमियें हुई है, क्यों हुई हैं और किस तरह से हुई हैं, इसका विवरण आना चाहिए। इसलिए इन पोथों को कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि और ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है और ज्यादा सदन को इन्फार्मेशन देने की जरूरत है, क्योंकि जब मैं इस बजट के मेमोरेंडम को देखता हूं तो सिवाय इस चीज के कि नए खर्च अमुक अमुक मदों में में किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं दी गई कि क्यों इन खर्चों में कमी आई? क्यो इस आइटम मे ज्यादा हुआ और क्यों इससे आमदनी में कमी हुई? एक एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर वर्ष यह बात होती है कि जब रिवइाज्ड एस्टीमेट्स आता है, तो उन रिवाज्ड एस्टीमेट्स में और पहले के एस्टीमेट्स में बहुत काफी फर्क होता है और आम तौर पर यह देखा गया है कि इस पर जितना भी खर्चा ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वह मार्च के महीने में आकर करते हैं। पहले शुरुआत के महीनों में किसी तरह का खर्च नहीं करते हैं क्योंकि बजट को खत्म करने के लिए लिए उनके प्रोवीजन्स को काम मे लेना है इसलिए ३० या ३१ मार्च को खर्चा होता है और वे बिल्स ३१ मार्च को ड्रआऊट किए जाते हैं, यह पद्धति बहुत बुरी है। हमें इस सदन में इस बात का भी मालूम होना चाहिए कि अमुक आइटम में दिसम्बर तक इस मद में क्या खर्चा हुआ और आगे तीन महीनों मे कितना खर्चा होने वाला है और जब तक हम

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

उस चीज को नहीं प्राप्त करेंगे और यह मालूम नहीं कर सकेंगे कि दिसम्बर के माह तक अमुक मद में या आइटेम में इतना खर्चा हुआ है, उस वक्त तक हम कम्पेरीजन नहीं कर सकते, आया खर्चा हो जायगा डिपार्टमेंट के जरिए या नहीं। इसलिए एक चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिवाइज्ड....

(१०. ४३ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एस्टीमेट्स के साथ-साथ इस बात को दर्शाया जाय कि इस पोथे में अमुक आइटम में दिसम्बर माह तक कितना खर्चा हुआ है ताकि सदन यह मालूम कर सके कि डिपार्टमेंट की केपेसिटी क्या है, क्योंकि स्टाफ तो उतना ही रहता है, खर्चा करने की जो गति है उतनी ही रहती है, तो क्या तीन महीने में खर्चा करने की गति इतनी बढ़ जाती है कि उतने का उतना खर्चा कर सके? इससे सदन को मालूम होगा कि खर्चा करने की कितनी केपेसिटी है, उसके अनुसार उस बजट में प्रावधान रखा जाय। एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह कि दिसम्बर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में फाइनेन्शियल कंट्रोल हमारे एक्सपेंडीचर पर अधिक होना चाहिए। आम तौर पर खर्च की रकम को उनके डिपाजिट्स में अगले साल रख दिया जाता है। एक्चूअल होता नहीं है और उन डिपाजिट्स में से अग्रिम लेकर आइंदा साल खर्च करते हैं। यह बजेटिंग का एक ऐसा प्रिन्सिपल है जो अच्छा नहीं है। रेग्युलरेटी हमको मेन्टेन करना चाहिए और हर माह इन खर्चों पर कन्ट्रोल होना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में १५ दिन के अंदर-अंदर हर १५ तारीख को फिगर्स आने चाहिए कि किस मद पर कितना खर्चा हुआ है, किस मद पर कितनी आमदनी हुई है और उसके अगले तीन सालों के कम्पेरीजन में साथ-साथ हमको यह देखना चाहिए कि वास्तव में किसी आइटम में खर्चा कम हुआ है तो क्यों हुआ है? गत वर्ष इस माह में इतना हुआ था, इतनी आमदनी हुई और इस साल में इस माह में क्यों कम हुआ है? इससे ज्यादा से ज्यादा फाइनेन्शियल कन्ट्रोल किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज जो हम समझते हैं कि ठीक नहीं है वह यह है कि लॉस्ट ईअर के बजट में आपने देखा होगा कि हमने अपने एक्सपेंडीचर को बहुत बढ़ा करके दिखाया और आज जब एक्चूअल्स आए तो हमें मालूम पड़ा कि जो घाटे का बजट था वह वास्तव में लाभ का बजट हुआ और ८ लाख रु० की बचत हुई। इससे साफ जाहिर है कि जो फाइनेन्शियल स्टेटमेंट सदन के समक्ष आता है वह वास्तव में बढ़े-चढ़े रूप में आता है। इससे वेगनेस होती है जिनमें हमें डिस्क्रिशन रहता है कि किसी तरह से माइनर हैड में चेंज करें या मेजर हैड में से एप्रोप्रियेट कर सकें। जहां तक फाइनेन्स मिनिस्टर का ताल्लुक है यह उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है कि वेगनेस उसमें रहे ताकि उनमें एप्रोप्रियेशन करने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। लेकिन यदि इस चीज को एक्चुअली देखेंगे तो यह पे करने वाली चीज नहीं होती है। सदन में अगर यह चीज आती है तो एप्रोप्रियेशन कम से कम हो। हमें इस बात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कि हमें अगले सालों के अंदर या आने वाले बजट में आखिरी दिन के अंदर कम से कम एप्रोप्रियेशन करने का मौका रहे । जो डिपार्टमेंट्स खर्च नहीं कर सकते हैं तो वे लोग दूसरे हैड्स में एप्रोप्रिएट करते हैं, उससे डिपार्टमेंट की कमजोरी तो जाहिर होती है । लेकिन हम अगर उसको अलग करके और यह कहेंगे कि हम एप्रोप्रियेट नहीं करने देंगे चाहे माइनर हैड में या मेजर हैड में तो हम अच्छा फाइनेन्शियल स्टेटमेंट रख सकेंगे ताकि सदन इस पर विचार कर सके ।

दूसरा मुद्दा जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि हम जिन आइटम्स के लिए ऋण देते हैं, जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन मिलता है, वह लोन हमारे स्कीम के अंदर खर्च हुआ है या नहीं और आमदनी होने की वह स्कीम थी, और उन सालों में स्कीम की क्या गतिविधि रही, इस बारे में कहीं भी सदन को पता नहीं चलता । कई स्कीम्स इर्रीगेशन की हैं, कई एग्रीकल्चर की हैं, कई और डिपार्टमेंट्स की है हाउसिंग स्कीम्स के लिए, सब्सीडाइज्ड हाउसिंग स्कीम के लिए हमको भारत सरकार से लोन लेना पड़ता है और उसका ब्याज हम भारत सरकार को देते हैं । आया उस ऋण लेने वाले आइटम पर खर्चा हुआ या नहीं, इसको कोई भी गतिविधि का इस सदन को किसी भी तरह पता नहीं चला कि उस ऋण का उपयोग हुआ है या नहीं ? ऋण और नहीं लेना चाहिए, ऋण लेकर हम अपने खाते में डालकर, कैश एकाउन्ट में डालकर और रेग्लयुर एक्सपेंडीचर में खर्च करें तो हमें इसका भुगतान ज्यादा करना पड़ता है, लोस ज्यादा रहता है । इस लिए सदन के सामने हर वर्ष कम से कम जिन चीजों पर ऋण लिया जाता है, हरेक बड़ा स्कीम सदन के सामने आनी चाहिए ताकि सदन को मालूम हो सके कि किस गति से हमने खर्च किया है, उसका उपयोग हुआ है या नहीं । पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के जो ऑब्जर्वेशन्स होते हैं उन ऑब्जर्वेशन्स के बारे मे क्या नियम हमने बनाए हैं ? किस तरह से फॉलो किए हैं ? इस बारे में भी हमे गतिविधि का पता लगाना चाहिए ।

तीसरा मुद्दा मैं अर्थ मंत्री के सामने रखना चाहता हूं । टेस्ट चेकिंग हमारे एक्सपेन्डीचर का होता है या नहीं ? मैं आपको उदाहरण के साथ निवेदन करूंगा कि जैसे हमारी एफॉरेस्टेशन की स्कीम है । डिपार्टमेन्ट एक प्लान बनाता है कि हम को अमुक-अमुक जगह पर खर्चा करना है प्लान्टेशन पर । किसी जगह सौ बीघा प्लान्टेशन होता है, किसी जगह दो सौ बीघा प्लान्टेशन होता है और किसी जगह चार सौ बीघा प्लान्टेशन होता है । उस प्लान्टेशन की हालत यह है कि आया वह उतने ही बीघा मे प्लान्टेशन हुआ है या नहीं ? उससे कम तो नहीं हुआ है, अथवा हुआ ही नहीं है ? उस पर रेग्युलर-वे में खर्चा किया गया, उसका चेकिंग हो या नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं । जहां तक मेरी इन्फार्मेशन है इस बारे में कोई इसके लिए टेस्ट चेकिंग हम एप्लाई नही करते हैं । यहां तक होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट मे जो खर्चा होता है वह रेन्जर की मर्जी पर ही छोड़ दिया जाता है । रेन्जर उसको रखता है या नहीं । उसको कोई देखता नहीं । पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर इतना कन्ट्रोल तो हुआ

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

है कि मस्टर रॉल पर एक्जीक्युटिव इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर के दस्तखत होते हैं। वे उसका चेक करके ही करते हैं। इसमें कोई टेस्ट चेकिंग नहीं होता है। न तो डी. एफ. ओ. उसका टेस्ट चेकिंग करता है, न सी. सी. एफ. ने कभी जाकर चेकिंग किया हो, यह मेरी निगाह में नहीं आया है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस सम्बन्ध में कोई टेस्ट चेकिंग नहीं होता है। इसलिए होना यह चाहिये कि हम जिन स्कीम्स पर खर्चा करें उनका वाकई में उन स्कीम्स पर खर्चा हुआ है टेस्ट चेकिंग हो और इसके लिए फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का कोई अधिकारी साल में एक दफा भी जाकर चेक करे तो मालूम पड़ सकता है कि किस प्रकार से हमारी स्कीम्स पर खर्चा होता है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : The Finance Department does not do it and the Head of the Deparment does.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : But the Finance Department should check it off and on.

आप फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में थोड़ा इस प्रकार का एस्टेब्लिशमेन्ट रखिये कि इस प्रकार को जो हमारी स्कीम्स हैं उनको चेक कर सकें। साल में एक दफा ही इस प्रकार का चेकिंग हो जाय तो एक प्रकार से उन पर कन्ट्रोल हो सकेगा। इससे वास्तविक स्थिति मालूम हो सकता है। एकाउन्ट्स आफिसर आपने रख रखे हैं। हैड ऑफ दि डिपार्टमेन्ट सैक्शन करके भेज देता है, रूल्स में जो प्रोविजन हैं उनके अनुसार वह उनको पास कर देगा। लेकिन उसके सामने तो यह चीज नहीं आ सकती है कि वास्तव में उन स्कीम्स पर वह खर्चा हुआ है या नहीं। मेरे ख्याल में छोटा मोटा प्रि-आडिट सिस्टम लागू करें तो इससे काफी कन्ट्रोल हो सकता है।

श्री बालकृष्ण कौल : एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इसको अच्छी तरह से कर सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट की आज जैसी हालत है उसको तो मैं क्या अर्ज करूं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट की यह हालत होती है कि हमारे यहां रुपया खर्च हुआ या नहीं? रुपया खर्च नहीं हुआ है तो उसका रेस्पोन्सिबिलिटी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया वे दिखाते हैं, किसी पर्टीक्यूलर स्कीम के लिए इतना दिया और इतना खर्च कर दिया। उस पर हुआ है या नहीं यह अलग बात है। यह उस समय नहीं मालूम होता है यह तो तीन-चार साल बाद जाकर मालूम होता है कि अमुक स्कीम के लिए इतना रुपया दिया था, वह स्कीम ही गायब है। अमुक सड़क के लिए इतना रुपया दिया था, वह हुई या नहीं जब उसका वास्तविक चेकिंग के रूप में पता चलता है तो वह सड़क ही वह. से नदारद मिलती है। इसलिए यह तो बहुत ही आवश्यक है। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट पर टेस्ट चेकिंग हो तो यह काम एफिशियेन्टली हो सकता है।

हमने लाखों रुपये डेवलपमेन्ट के कामों के लिए, कुए बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, उनको मरम्मत के लिए, एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेन्ट के लिए, ब्रीडिंग के लिए, पंचायत

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

समितियों को एडवान्स किये हैं। उनको एडवान्स करने के बाद हमारा जो लोकल फन्ड ऑडिट डिपार्टमेन्ट है वह उसका ऑडिट करता है। ऑडिट करने का टाइम आता है उस वक्त तक तो सही हालत का पता नहीं लगता है। रकम तो एडवान्स हो चुकी होती हैं। अमुक व्यक्ति को बांध बनाने के लिए दिया। पांच साल बाद तहकीकात होती है कि यह खर्चा हुआ या नहीं? वह कहता है कि हम ने तो उसको खर्च कर दिया। पंचायत समिति कहती है कि उसको हमने खर्च कर दिया। लेकिन होता है यह कि फिर जाकर पचों और पंचायत समिति के मेम्बरों पर मुकदमे चलते हैं। यदि शुरुआत में ही कन्ट्रोल हो तो यह चीज़ नहीं हो सकती है। शुरुआत में ही आप यह चीज़ निश्चित कर दीजिए, अमुक राशि आप निश्चित कर दीजिये कि पांच हजार या दो हजार—जो भी रकम आप उनको दें वह पहले ही नियत हो जानी चाहिये। आप कह दीजिये कि उस पर हमारा चेकिंग रहेगा और हर साल वेरिफिकेशन होने के बादे वह काम मिलेगा तो स्थिति में सुधार हो सकता है। वरना आज राजस्थान में कई पंचायत समितियों के पंचों पर जो हालत गुजर रही है वह यह है कि उनमें काफी रुपया वसूली के लिए बाकी निकलता है। मुकदमें चलते रहते हैं। कुछ रुपया वसूल होता है और कुछ नहीं होता है और यह स्थिति है जिसकी वजह से राजस्थान को काफी रुपया का नुकसान उठाना पड़ा है।

नम्बर वाई नम्बर तो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन ज्यों ज्यों मुझे ध्यान में आता जायगा, मैं अर्ज करता चलूंगा।

आखिरकार बजट के एस्टीमेट्स में इतना डिफरेन्स नहीं होना चाहिए। किसी चीज का एस्टीमेट करें। हो सकता है उसमें एक दो पर्सेन्ट का फर्क आ जाय लेकिन यदि दस, बारह और पन्द्रह पर्सेन्ट का हमारे एस्टीमेट्स में फर्क होता है तो हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट जो बजट बना कर भेजते हैं वह उसका नमूना है जिससे वे खर्चे को आंक नहीं सकते हैं और हर वक्त यह कोशिश करते हैं कि एस्टीमेट बढ़ा दिये जांय। क्यों? क्यों नहीं डिपार्टमेन्ट में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े रेस्पोन्सिबल अधिकारी होते हैं, अच्छे ऑफिसर्स रखते हैं, उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी होती है। उनको इस बात की अधिक तनख्वाह मिलती है। फिर वे अन्दाज लगा सकते हैं कि डिपार्टमेन्ट के प्रॉपर एस्टीमेट बने। प्रॉपर एस्टीमेट न बनाने के कारण खर्चा आगे जाकर होता है। पांच पर्सेन्ट एक साल में कम होता है, तो १०–१२ पर्सेन्ट आगे जाकर बढ़ जाता है, और उनको उन्हीं आइटम्स पर ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसलिए इसका नतीजा यह होता है कि हमारे जो फाइनेन्शियल रिसोंसेज हैं उनको काफी ड्रेग करना पड़ता है और फाइनेन्शियल रिर्सोसेज को प्राप्त करने के लिए भी अलग से कोशिश करनी पड़ती है। जिससे हम स्कीम्स के लिए आगे भी रुपया रखते हैं क्योंकि जरूरत इस बात की है, किसी आइटम को एक पर्टीक्यूलर ईयर में मेन्शन कर दिया और उसको उसी प्लान में ही खत्म करना चाहिए, वह उसी ईयर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा) (११.०० म० पू०)

से खत्म करना चाहिए, उसको आगे ड्राग नहीं करना चाहिए और दूसरी चीजो मे फाइनेन्शियल रिसोर्सेज की तलाश नहीं होनी चाहिए । यह एक गड़बड़ो रही है और इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

एक मुद्दा मैं अर्थ मन्त्री जी के सामने रखना चाहूंगा, वह यह है कि आज तक मैंने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट्स में भी देखा है कि वाटर वर्क्स के एकाउन्ट्स को इतने साल हो गये हैं कि आज तक यह पता नहीं है कि किसमें कितना रुपया बाकी है, वाजिब है या नहीं, नुकसान में वाटर वर्क्स चलते हैं या फायदे में चलते हैं---वाटर वर्क्स के एकाउन्ट्स पर कोई चेकिंग नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम यह देखें कि किस आइटम ऑफ एक्सपेन्डीचर में गड़बड़ी है तो हम उसको वहीं रोक दें । हम यह स्पष्ट कह दें कि हम यह आगे खर्चा नहीं करेंगे, खर्चे की इजाजत नहीं देंगे और इम्प्लीमेन्टेशन की इजाजत नहीं देंगे। हालत यह होती है कि अनुमान में गड़बड़ी होती है तो बगैर मीटर रीडिंग के जयपुर में और दूसरी जगह भी सैंकड़ों लोगों की शिकायतें आती हैं कि हमारे पांच रुपया, दस रुपया आता था वहां अब २०) ४०) आते हैं बगैर मीटर रीडिंग के आते हैं और यह लाजिमी नहीं है कि हरएक व्यक्ति चेक करवाये और ध्यान दिलायें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट का । मैं खुद इस बात को जानता हूं कि मैंने जब इसको चेक किया तो बगैर मीटर रीडिंग के ही वाटर वर्क्स ने पैसों का बिल भेज दिया । मैंने कहा ताज्जुब की बात है मीटर रीडिंग है नहीं फिर यह बिल कैसे भेज दिया । तो जब से मीटर रीड नहीं किया था उससे लगाकर अब तक का हिसाब बनाकर भेज दिया और कह दिया कि आपके हिसाब में दो रुपया बाकी रहता है । ये जो इस प्रकार की स्टेट आफ थिंग्ज हैं, जो डिपार्टमेन्ट्स में चलती है उस पर कन्ट्रोल नहीं किया गया तो हमारी हालत सुधरने वाली नहीं है खराब होने वाली है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि लोगों का जो ग्रेड्स में फिक्सेशन हो गया है उनको अभी तक एरियर्स नहीं मिल पाये हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके दस-दस साल के एरियर्स पड़े हुए हैं, किसी के लीव एकाउन्ट्स नहीं हैं। दस साल से उनके लीव एकाउन्ट का पता नहीं । इसके ऊपर जब फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के सामने सवाल आता है फाइनेन्सियल मन्जूरी के लिये कि यह दस साल से पड़ा हुआ है इस पर फाइनेन्स की मन्जूरी दी जाय तो उस समय क्यों यह नहीं देखते कि यह मामला दस साल से क्यों पड़ा हुआ है, इस पर क्यों नहीं फैसला हो सका ? रेगुलर पेन्डिंग के जो केसेज हैं उनके लिये साल भर के बाद यह फैसला लिया जाना चाहिये कि अगले साल में ये बाकी न रहने पावें, अगर रहते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिये ।

इसके अलावा एक मुद्दा यह भी हमें देखना है भिन्न भिन्न विभागों में जो एस्टेब्लिशमेन्ट का स्टाफ है वह काफी है ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ग्रौर कहीं कहीं काफी से भी ज्यादा है। तो इसके लिये यह होना चाहिये एस्टेब्लिशमेन्ट स्टाफ किस विभाग में कितना होना चाहिए। मैंने एग्रीकल्चर डायरी को देखा है। उस डायरी में ऐसा बहुत सा स्टाफ मुझे नजर ग्राया जो फिजूल है। सैंकड़ों इस तरह के नाम मैंने उसमें देखे हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट्स के ग्रन्दर देखते हैं कि काफी स्टाफ बैठा रहता है। बहुत सारे क्लर्क्स ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है। तीन चार कागज टेक्निकल डिपार्टमेन्ट से निकलते हैं उसके लिए भी डिस्पेच क्लर्क हैं। यह फिजूल का खर्चा है इसको कम किया जा सकता है। एक डिपार्टमेंट में कितना एस्टेब्लिशमेन्ट का स्टाफ हो उसका ग्रोपर चेकिंग होना चाहिए फिर यदि कोई डिपार्टमेन्ट ग्रौर स्टाफ के लिए मांग करता है तो देखना चाहिये कि यह कहां तक उचित है। उसके लिए एस्टेब्लिशमेन्ट काफी है या नहीं। इस प्रकार के जो प्रपोजल खर्चे के ग्राते हैं उनको बन्द करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान की हालत यह है कि हरेक डिपार्टमेन्ट का ग्रलग इन्स्पेक्टोरेट खुला हुग्रा है। फूड एन्ड सिविल सप्लाईज का ग्रलग है। ट्रान्सपोर्ट का ग्रलग है, सेल्स टेक्स का ग्रलग है, वेट्स एण्ड मेजर्स का ग्रलग इन्स्पेक्टोरेट है। इसी प्रकार जिन चीजों के लाइसेन्स लेने होते हैं उनका इन्स्पेक्टोरेट ग्रलग है। इस तरह से एक एक जिले में दस-दस इन्स्पेक्टर काम करते हैं। सिवाय इसके कि लोगों को परेशानी में डालते के उनका ग्रौर कोई काम नहीं रहता। किसी के कागजात बार-बार देखना वेट्स एन्ड मेजर्स को लेकर फलां जगह ग्राना इस तरह से केवल तंग करने के ग्रौर कुछ काम उनके पास नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो डिपार्टमेन्ट ग्रासानी से एक इन्सपेक्टर के ग्रन्दर में काम करवा सकता है वह उसको दिया जाना चाहिये। जिस प्रकार इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट का इन्स्पेक्टर है उसको वेट्स एण्ड मेजर्स का भी काम दिया जा सकता है। इसी प्रकार लेबर इन्स्पेक्टर को ग्रौर दूसरा इन्स्पेक्शन का भी काम दिया जा सकता है। इस तरह से एक्स्ट्रा काम उनको दे सकते हैं इससे खर्चा कम हो सकता है।

इसके ग्रलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर पटवारियों का इन्स्टीट्यूशन है। इस संबन्ध में मैं पहले भी कह चुका हूं। यह जो इन्स्टीटयूशन है उसका केवल यही काम रह गया है किसान किसान के बीच में झगड़े पैदा करवाये। इसकी इन्दराजात इधर से उधर रख दें। इन्तकाल में जो रजिस्ट्री के जरिये होता है उसमें झगड़े पैदा कराना। ग्राज के दिन मैं निवेदन करना चाहता हूं स्टेटिसटिक्स मेन्टेन करवाना पटवारियों से उपयुक्त नहीं है। जब ग्राप सैटलमेन्ट करा चुके होते हैं, खाते में जो मुस्तकिल तरीके से इन्दराजात हो चुके होते है ग्रगर उसमें ट्रान्सफर होता है तो वह रजिस्ट्री के जरिये से होता है। उसके लिये तहसील में स्टाफ रखिये ट्रान्सफर्स के साथ उसका इन्दराज करिये। ग्राज हम देखते हैं इर्रीगेशन का पटवारी ग्रलग है, रेवेन्यू का ग्रलग है क्या कारण है इस प्रकार ग्रलग-ग्रलग पटवारियों के रखने का। इसलिये मेरा निवेदन है इस पटवार इन्स्टीट्यूशन को सम्पूर्ण रूप से खत्म कर दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में शिक्षा के संबन्ध में राज्यपाल महोदय,

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

के अभिभाषण के सिलसिले में कुछ अपने विचार रखे थे। मैंने कहा था हमारा जो सिस्टम आफ एज्यूकेशन है उसमें हमें देखना है कितने पर्सेन्ट लोग प्राइमरी एज्युकेशन पाते हैं और उसके लिये कितना खर्चा होता है, और वह प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आता है। उसी तरह से हमारी हायर एज्युकेशन को लीजिये, यूनिवर्सिटी एज्युकेशन को लीजिये, टेक्निकल एज्युकेशन को लीजिये इन पर जो खर्चा करते हैं वह प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आता है इसकी जानकारी भी हमें मिलनी चाहिये। यूनीवर्सिटी पर जो खर्चा करते हैं स्टुडेन्ट्स की पॉपूलेशन को देखते हुए वह कितना पर्सेन्ट पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस तरह से जो एज्युकेशन पर हम जो खर्च कर रहे हैं वह गैरमामूली है। जितने लड़के पढ़ते हैं, जितना रुपया इन पर खर्च होता है उसको देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि यह गैर मामूली तरीके से खर्च किया जा रहा है। जब मैंने इस मांग को उठाया कि जोधपुर युनीवर्सिटी पर जो खर्चा कर रहे हैं, उसका पूरा फायदा हमें नहीं मिलता है। उस प्रश्न को उपमंत्री, शिक्षा जवाब देते हुए टाल गये। उस पर उन्होंने यह जवाब दिया कि युनीवर्सिटी ऑटोनॉमस बोडीज होती हैं उस पर जो खर्चा करते हैं, वाइस चान्सलर के बंगले के लिये खर्चा करते हैं, वहां के स्टाफ के बंगले के लिये खर्चा करते हैं, और अन्य स्टाफ पर जो खर्चा करते हैं, उस पर हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस संस्था को हम रुपया देते हैं उस रुपये पर हमारा फाइनेन्शियल कन्ट्रोल होना चाहिये। अगर आप ऐसा कानून बनाकर सदन में पेश करते हैं कि क्या क्या कन्ट्रोल आप जरूरी समझते हैं युनीवर्सिटी के खर्चे पर अपनी निगाह रखने के लिये तो यह सदन उस कानून को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करेगा ताकि इफेक्टिव फाइनेन्शियल कन्ट्रोल ऐसी ऑटोनॉमस संस्थाओं पर हो सके। मुझे यह जवाब दिया गया कि हम इनके खर्चे पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े और एकत्र करके लाया हूं। जोधपुर जाकर मैं लोगों से मिला हूं। उनसे मैंने जानकारी हासिल की है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जोधपुर युनीवर्सिटी में जिधर जाय उधर गड्ढा ही गड्ढा है। खर्चे की बात मैं नहीं करता, शिक्षा की बात करता हूं। जोधपुर युनीवर्सिटी मे जो केरीक्युलम प्रेस्क्राइब्ड है वह जनवरी तक नहीं बनता है। जनवरी में प्रकाशित होता है और उसके बाद ही उसमें कोरीजेन्डम निकाल दिया जाता है वह भी इम्तिहान से एक महीना पहले।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं सिलेबस लाया हूं टेक्स्ट बुक्स का, जो जनवरी के अन्दर निकलता है और उसके एक महीने बाद उसमें शुद्धि-पत्र निकलता है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इनके साथ ही मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा कि जो प्रोफेसर्स हैं या हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स हैं वे उन्हीं लोगों की टैक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं जो उनके मित्रों द्वारा लिखी गई हैं। उन्होंने यह सोच रखा है कि यहां के लाखों लोग हैं वे बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं उनको क्या पता चलेगा? जो किताबें यू० पी० की इन्टर क्लास मे पढ़ायी जाती हैं उनको यहां बी० ए० के लिये प्रेस्क्राइब कर देते हैं। कुछ किताबें मैं लाया हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : जनरल बुक्स होंगी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : "मधु संचय' यह पुस्तक है जो यू० पी० की इन्टरमिडियेट कक्षा में पढ़ायी जाती है यहां बी० ए० के लिये प्रेस्क्राइब कर दिया ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : यह आपकी कमजोरी से होती है वित्त मंत्री जी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसी तरह से एक निबन्ध की पुस्तक है । एक तरफ तो आप कहते हैं आपका स्टेंडर्ड गिरा हुआ है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो लो स्टेंडर्ड की किताबें हैं उनको यहां रखा जाता है। उस उक्त जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने यह भी कहा था हमारे यहां लोकल राजस्थान एज्युकेशन सर्विस के लोग हैं वे लोग काबिल नहीं हैं इसलिये बड़े लोग बाहर से लाकर बिठा दिये गये हैं । लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर ६०० आदमियों का इन्टरव्यू दो दिन में हुआ है । और हालत यह है कि जिस यूनीवर्सिटी ने केन्डीडेट्स को रिजेक्ट कर दिया उन्हीं यूनीवर्सिटी के डॉक्टर सक्सैना हैं और जो हैड ऑफ दी कैमिस्ट्री डिपार्टमेन्ट थे उनको रिजेक्ट कर दिया और आज के दिन वह रिजेक्टेड डाक्टर सक्सैना अभी जयपुर में जो नया इन्स्टीट्यूशन खुला है इन्जनियरिंग कॉलेज उसमें हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट ११०० रुपये पर लिये गये हैं । एक यूनीवर्सिटी जो आपसे खर्चा मांगकर चलती है वह तो रिजेक्ट करती है और दूसरी तरफ यहां उनको ले लिया जाता है । इसी तरह से दूसरे लेक्चरार हैं वह भी वहां पर रिजेक्ट हो गये और ३ स्कालर्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया है उनको रिजेक्ट किया है और बाहर से उस जगह पर यूनीवर्सिटी में रखा । जो पहले हैं वह डाक्टर रामसहाय सक्सैना हैं और दूसरे हैं डाक्टर राठी । डाक्टर राठी को जोधपुर यूनीवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया लेकिन उसी डिपार्टमेन्ट में ११००) देकर सलेक्ट किया जिसमें आपके श्री गर्ग थे....

श्री बालकृष्ण कौल : वह टेक्निकल आदमी होंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोई टेक्निकल आदमी नहीं है । अगर वहां पर यू० पी० का होता तो जल्दी सलेक्ट कर लिया जाता लेकिन राजस्थान वालों के लिए कोई जगह नहीं है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वाइस-चान्सलर भी तो यू० पी० का है ।

श्री बालकृष्ण कौल : तो आप यू० पी० वालों को लाये ही क्यों ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपको एक बात और ताज्जुब की सुनने को मिलेगी । आपके स्टुडेन्ट्स का जब एजीटेशन हुआ तो उनको खुश करने के लिए हमारी जोधपुर यूनीवर्सिटी ने क्या किया है कि वहां इन्डीविजुअल सब्जेक्ट में २५ पर्सेन्ट मार्क्स कर दिये गये । आपको यह कभी किसी जगह नहीं मिलेगा और इन्टरमीडियेट से लेकर यही क्राइटेरिया एप्लाई होता है । जहां कि इन्टर में कई विषय होते हैं इकानॉमिक्स में २५ पर्सेन्ट और दूसरे सब्जेक्ट में ४० पर्सेन्ट आते हैं तो वह उसमें मिला दिये । हो सकता है डिफरेन्ट सब्जेक्ट्स

Page No. 75

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

में ऐसा कर दें लेकिन इन्टरमीजियेट और बी० ए० में आ जाने पर २५ परसेन्ट में पास कर दिया जाये, यह नया उदाहरण है जो कि यहां के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा ....।

श्री बालकृष्ण कौल : शिक्षा का प्रसार हो रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक बात और ताज्जुब की बताऊं कि वहां पर इंगलिश में जो फेल्योर हैं उनके लिए कोचिंग क्लास के लिए लोगों को १०० रुपये पर मन्थ पर प्रोफेसर्स को रखा गया है और ५-१० लेक्चरार जो कि कोचिंग देते हैं उनको सुपरवाइज़ करने के लिए एक पोस्ट और क्रियेट की गयी। यह चीजें ऐसी हैं कि जिनसे मालूम होता है कि जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि गड्ढे ही गड्ढे दीखते हैं। फिर आप कहते हैं कि एक दो यूनीवर्सिटी राजस्थान में और खोली जायेंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारे धन का दुरुपयोग है कि जो ऐसी चीजों पर खर्चा किया जाता है और सरकार को और आ साहब को खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि यूनीवर्सिटीज़ की आज जरूरत नहीं है। ताज्जुब इस बात का है कि हमारे बच्चे कम से कम मैट्रीकुलेट हों, हर एक व्यक्ति शिक्षित हो। लेकिन ५-१० स्कॉलर्स के लिए रिसर्च क्लास के लिए स्टाफ रखना, यह धन का दुरुपयोग है। आज यूनीवर्सिटी का एक करोड़ का बजट बनता है। राजस्थान में जब कॉलेजेज़ थे तो २८ लाख रुपये का खर्चा था लेकिन आज ७८ लाख का खर्चा है और यह बढ़कर १ करोड़ हो गया है। फिर भी आप कहते हैं कि ५ लाख रुपया उस यूनीवर्सिटी को और दो। यह चीज ऐसी है कि जिस पर हमें कन्ट्रोल करना पड़ेगा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर नम्बर ऑफ स्टाफ किस कदर बढ़ गया है उसकी फीगर्स रखूंगा तो आप को पता चलेगा कि किसी-किसी सब्जेक्ट्स में तो २१५ परसेन्ट और ३५० परसेन्ट से भी ज्यादा स्टाफ वहां पर रखा गया है। हिन्दी में पहले जहां २० थे वहां २१ हैं, हिन्दी में जहां पहले १८ थे वहां २८ हैं, हिस्ट्री में जहां पहले ५ थे वहां ६ हैं, फिलॉसफी में जहां पहले ४ थे वहां अब ६ हैं, मैथेमेटिक्स में जहां १८ थे वहां ३८ हैं, बॉटेनी में जहां पहले ५ थे वहां आज १५ हैं, फिजिक्स में पहले जहां २० थे वहां ३५ हैं, कैमिस्ट्री में जहां पहले २६ थे वहां ४४ हैं और कॉमर्स में जहां पहले २० थे वहां आज ३० हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर यूनीवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं और कन्ट्रोल नहीं रखते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन को यह हक है कि वह किसी भी जगह जहां कि रुपया राजस्थान का खर्च होता है उस पर कन्ट्रोल कर सकता है, और मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता चाहूंगा कि इसी सदन में यूनीवर्सिटी और दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स के मसले आये हैं इन इन्स्टीट्यूशन्स में हमारा रुपया खर्च होता है चाहे वह ग्रान्ट के रूप में खर्च होता हो या सब्सिडी के रूप में होता हो, हमारा कन्ट्रोल उनके ऊपर इफेक्टिव होना

Page No. 76

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसका मिस-यूज़ होता है।

श्री बालकृष्ण कौल : कोटपूतली के कॉलेज की तरफ तो संकेत नहीं है, आपका ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप इतना रुपया खर्च कर देते हैं और दूसरी तरफ जहां जरूरत होती है वहां स्कूल नहीं खोलते, क्योंकि वहां के लोग गरीब होते हैं, वह बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप कहते हैं कि बिल्डिंग बनाकर दो, जब हम स्कूल खोलेंगे। मैंने शिक्षा मंत्री जी के सामने सवाल रखा कि कोटा एक ऐसी जगह है कि जहां कालेज है लेकिन बारां में डिग्री कॉलेज नहीं है, और वहां खुल सकता है। वहां एजूकेशन के लिए ज्यादा फेसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। हमको कहा जाता है कि यहां पर आपको बिल्डिंग बनाकर देनी पड़ेगी। क्यों आप इस तरह की मांग करते हैं? अगर हमें जरूरत है तो आपको खोलना पड़ेगा। बन्द कर दीजिए ऐसी यूनीवर्सिटीज़ को, जिनमें कि इतना रुपया खराब होता है। इसी तरह से कई स्कूलों में और इन्स्टीट्यूशन्स में साइन्स क्लासेज खोलने की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं खोल सकते। आम जनता के लिए जरूरत है तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक थोड़ी सी सोर्सेज की बात निवेदन करना चाहता हूं। हमारी पालिसी जो हमने बनाई, कहने को हम बहुत कहते हैं कि हम सोशियेलिस्टिक विचार-धारा को मानते हुए हमारा बजट इस प्रकार का फ्रेम करते हैं कि जिससे इस विचारधारा को प्रोत्साहन मिले और हम समाजवादी समाज को कायम कर सकें। लेकिन इस समाजवादी समाज का हम बजट स्पीच में या अपनी स्पीचों में नाम लेने से वह कायम नहीं होगा। हमें निश्चित रूप से अपने कदम उस ओर बढ़ाने पड़ेंगे, निश्चित रूप से वह पॉलिसीज़ एडाप्ट करनी पड़ेंगी कि जिससे समाजवादी समाज स्थापित हो सके। केवल नारेबाजी से काम नहीं होता। हमारे अपने सोर्सेज को, टैक्सेशन पॉलिसी को और इन्डस्ट्रियल पॉलिसी को, सबको, वही रूप देना पड़ेगा जिससे कि समाजवादी समाज की स्थापना कर सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम खुश होते हैं इस बात के लिए कि राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। लेकिन आप देखें कि इन्डस्ट्रीज़ कैसी बढ़ रही है, किनके द्वारा बढ़ रही हैं और उसका क्या नतीजा होने वाला है? यह मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी हम पनपाते चले जा रहे हैं। आप कहते हैं कि कोटा इतना विकास कर रहा है, वहां पर बहुत इन्डस्ट्रीज़ खुल रही हैं। लेकिन वे कौन खोल रहे हैं और उसमें आपका कितना इनवेस्टमेंन्ट है? आपने सवाई माधोपुर को कितना कर्ज दिया है? आपका रुपया है, उसको लेकर उन्होंने जो कि पूंजीपति हैं इन्डस्ट्रीज़ खोल ली। उससे आपको क्या फायदा होता है? आप लोन मत दीजिए। आपका जितना भी रुपया है, फाइनेन्शल कॉरपोरेशन्स के रुपये के जरिये और ऐसे ही कॉरपोरेशन्स बनाकर उनके रुपये के जरिये उस रुपये से आप इन्डस्ट्रीज़ को खोलिये और फिर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स आपने बना दीं। आज कितनी इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स ऐसी हैं जो काम कर रही हैं। आज कितनी इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स ऐसी हैं, जिनको कोटा मिलता है और वह कोटा कहां पर जाता है? तो हम आज इन चीजों को जाकर देखें, और अपने दिमाग में लायें तो हम कहेंगे कि जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम खाली सतह पर पहुंचे हैं तो सतह पर पहुंचना ही काफी नहीं होता है। इसके लिए हमको यह प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, यह प्रोग्राम बनाकर चलना पड़ेगा कि पब्लिक सैक्टर में इस साल इतनी इतनी इन्डस्ट्रीज खोलेंगे, और जो रुपया दूसरे सोसेंज को देते हैं वह रुपया बन्द करके हम इन इन्डस्ट्रीज में लगायेंगे। आपने देखा है कि आपने ट्रान्सपोर्ट में रुपया लगाया है तो उसमें आपको ६-१२ लाख का फायदा हुआ है....

एक माननीय सदस्या : २७, २८ लाख।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसी तरह से मैं कहता हूं कि सारे ट्रान्सपोर्ट को अपने कब्जे में ले लें तो २७ लाख का ही क्यों फायदा उठाते है; १ करोड़, दो करोड़ रुपये का फायदा उठाइये। लेकिन प्रोग्राम बनाने का एक तरीका होना चाहिए।

दूसरी इन्डस्ट्रीज आपकी माइन्स है। आपके पास ऐसी माइन्स हैं जो आपको करोड़ों रुपया दे सकती हैं। लेकिन माइन्स को आप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे इनके सोसेंज को जो बढ़ोत्तरी मिल रही है, वह नहीं मिलेगी।

तीसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम उस पर्सेन्टेज को देखें जो कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू की है। वह सन् ५१-५२ में क्या थी और आज ६३ में क्या है? नान-टैक्स रेवेन्यू की पर्सेन्टेज में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। टोटल जो पर्सेन्टेज का था, पहले वाला, २१-२२ पर्सेन्ट था, वही आज के दिन भी है। इससे पता लगता है कि नान-टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ आज प्रवृत्ति होनी चाहिए जिससे लोगों के ऊपर टैक्स का भार कम हो सके। यदि हम अपनी नान-टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढ़ायेंगे और अपना खर्च बढ़ाते चले जायेंगे तो नेचुरली हमको टेक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा और टेक्सेशन की पॉलिसी समाजवाद के लिए हितकर नहीं है। जो गरीब हैं उन पर इन्डाइरेक्ट टेक्सेशन लगाना समाजवादी समाज लाने के विरुद्ध है। इसलिए इन्डिविजुअल्स के ऊपर टेक्सेशन नहीं लगाकर आप टेक्सेशन पॉलिसी को फ्रेम करें, जिससे बड़े से बड़े लोगों पर टैक्स लग सकें और जो फायदा प्रिवी पर्स वगैरह का देते हैं और दूसरे लोगों को देते हैं, उस खर्चे को बन्द करके राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनायें। अगर हम ढिलमिल नीति से चलते हैं तो जो हमारी फाइनेन्स की पोजीशन है, जिसको माननीय मंत्री महोदय कबूल करते हैं कि बड़ी खराब पोजीशन है, खराब होगी। यदि हमको इसको अच्छी पोजीशन में लाना है, यदि जनता को समाजवाद के प्रति उत्साहित करना चाहते हैं, अगर आप जनता के विचारों

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

के अन्दर मोड़ चाहते हैं, तो उन विचारों में क्रान्ति लाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों में क्रान्ति लानी पड़ेगी और हमको अपनी पॉलिसी उस समाजवाद के अनुकूल बनानी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो नहीं बैठूंगा अब ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले भी बोलने वाला था पर उस पर भी नहीं बोलने दिया । मैं तो बोलूंगा ही, चाहे असेम्बली से आप बाहर निकाल दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय मुक्तिलाल । Order please !

श्री श्रवणलाल

आपको चान्स मिल जायेगा ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : चान्स तो मिल जायेगा । बात यह है कि उनको बाद में दे दें । मेरे को दूसरी जगह जाना है । मैं तो बोलता ही कम हूं । कट मोशन पर भी नहीं बोलने दिया ।

श्री परसराम मदेरणा : (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : आप हाउस को इतना लाइटली ले रहे हैं कि दूसरी जगह जाना है तो बोलने देना चाहिए ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इतना लाइटली तो नहीं ले रहा हूं । कट मोशन पर नहीं बोलने दिया और अब भी नहीं बोलने दिया तो फिर बोलूंगा कब ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आज बिल चल रहा है उस पर मुझे कुछ कहना है । जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले के प्रति सरकार की यह नीति रहती है कि उस जिले को शुरू से आज तक सरकार कड़ी निगाह से देखती है । उसके विषय में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा ।

गत वर्ष में भगवान की कुशल कृपा हुई कि खरीफ की फसलों पर कुछ बरसात पिछले जाते समय कुछ छांटे पड़ गये, जिससे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में वहां की जनता के जीवन--निर्वाह के लिए अनाज के कुछ दाने हो गये । नहीं तो वहां की जनता के लिए जैसा कि बहुत सी जगहों पर अकाल घोषित कर दिया गया, वहां पर मैं यह समझता हूं कि अगर वहां पर बरसात नहीं होती तो भी डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर को दूसरी जगहों की तरह अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता । इसी तरह से अब चूंकि रबी की फसल में हमारे यहां पाले से काफी नुकसान हुआ है और चना, गेहूं व अरहर तथा सरसों तो बिल्कुल ही रुपये में एक नया पैसा भी नहीं रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने करीब

(श्री श्रवणलाल)

करीब बहुत सी जगह भी जहां कि अकाल की घोषणा कर दी लेकिन डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर की जनता के लिए किसी तरह का यह आश्वासन नहीं दिया कि आपके यहां रबी की फसल को पाले ने मारा है उसके लिए लगान बन्द कर दिया जायगा या किसी तरह से आपको जो हेल्प. मिलनी चाहिए, वह हेल्प दी जायगी।

अब मैं आपके सामने जो कि हमारे यहां हर तरह की असुविधा रहती है, जैसी कि पी. डब्ल्यू. डी. की है। हमारे यहां से लाखों रुपये सरकार रायल्टी के इकट्ठे करती है। वहां पर एक नो मील का टुकड़ा है उस नो मील के टुकड़े की यह हालत है कि अगर मंत्रीजी खुद वहां जाकर देखें उस सड़क को तो अचम्भा करेंगे कि वहां की जनता द्वारा इतना पैसा टैक्स में देते हुए भी इस सड़क की यह दुर्दशा है। यहां पर जो रोड निकली है वह करीब-करीब १०-१२ साल पहले की है। जिस समय कि रबी की फसल खड़ी हुई थी, उन खेतों को खत्म करके उसको लिया गया। उस समय तो इतनी जल्दी आ गई थी कि, बेचारे गरीब किसानों के खेतों को जिन में चना, गेहूं, और जीरा जो उस समय खेत में हो रही थीं, उनको बरबाद करके जमीन एक्वायर की और उसका आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। उस सड़क को करीब १२ साल होने आये हैं, लेकिन उस सड़क को पूरी बनाने के लिए कोई योजना सरकार की तरफ से आज तक नहीं बन पाई है।....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कट मोशन के जरिये जो बात बताई थी उनके ऊपर अधिक नहीं जायं और जनरल पॉलिसी के ऊपर जायें और आपकी बजट की बहस में कोई बात रह गई है उन पर संकेत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० का पूरा रह गया था।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : आप स्पेसिफिक इश्यू पर बोल रहे हैं और स्पेसिफिक इश्यू पर आप तभी बोल सकते हैं जब कि प्रायर नोटिस दें, और वह एलाऊ करें।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उधर से बोलने वालों ने इस प्रकार का संयम नहीं रखा है।

श्री श्रवणलाल : मैं दूसरा, रेवेन्यू विभाग की ओर, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे यहा पर ऐसी परम्परा चली आ रही है शुरू से ही कि हमारे यहां जो एक कोर्ट है और कोर्ट के अन्दर कम से कम रोजाना ५०० व्यक्तियों की संख्या उपस्थित होती है, लेकिन वहां क्या है कि आज तक सरकार की तरफ से पीने के पानी की व्यवस्था नही की जाती है........

श्री परसराम मदेरणा : कहां पर ?

श्री श्रवणलाल : डिन्डौन में। मैं हिन्डौन का जिक्र कर रहा हूं। वहां पर कम से कम ५०० से ज्यादा व्यक्ति उपस्थित होते हैं, लेकिन उनके लिए किसी तरह से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है। उसका नतीजा यह होता है कि वे बेचारे वहां पर जो अपने केस के बारे में जाते हैं वे पानी पीने के लिए बाहर दूर जाते हैं, उस बीच में उनकी आवाज पड़ जाती है तो केस की तारीख बदलनी पड़ती है। इसलिए मैं, श्रीमान् मंत्रीजी से यह प्रयत्न करूंगा कि काफी दिनों से यह जो अव्यवस्था चली आ रही है वहां पर उन लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दूसरा यह है कि हमारे यहां पर जो कि सुरक्षा कोष में यह हुआ था कि १) रु० प्रति बीघा दिया गया। लेकिन इसमें भी हमारे यहां काफी घोटाला हुआ था इसके लिये भी मैंने एक प्रश्न भी दिया था और उसकी इन्क्वायरी के लिए यहां एक पटवारी जी की रसीद भी जो फर्जी थी और एस. डी. एम. द्वारा पकड़ी गई थी, वह भी पेश की थी लेकिन उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं हुई। दूसरी अर्ज यह है कि.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमन्त्री, राजस्व) : उस पटवारी का नाम तो बता दें।

श्री श्रवणलाल : उसका नाम भी मैं लिखित में आपको दे दूंगा।

मेरी दूसरी अर्ज यह है कि रेवेन्यू विभाग के पटवारियान अपनी मनमानी करते हैं, चाहे जिसको आपस में लड़ाते रहते हैं इस प्रकार के बहुत से केस हमारे यहां पर चलाये जा रहे हैं। अपने यहां एक सूरोड़ नाम का हरिजन है उसके एलॉटमेन्ट का केस चार साल से चल रहा है। एक तरफ अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ वह गरीब हरिजन है। एलॉटमेन्ट की तारीख तीन-- तीन चार-चार दफा लगा दी जाती है, लेकिन खाली कागजों पर ही लगाते हैं, फिर फैसला कर दिया जाता है ऊपर से सिफारिश आने पर। वह गरीब हरिजन खानाबदोश हो गया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती।

दूसरा मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा अजमेर की तरफ, जहां से हमारे वित्त मन्त्री जी जीत कर आते हैं। वहां पर करीब ५ हजार मजदूर फेमिलीज हैं। उन्हीं के वोटों से, उन्हीं के बल बूते पर वित्त मन्त्रीजी जीत कर यहां आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह सोचने का कष्ट नहीं किया कि उनके यहां का जो मजदूर वर्ग है जिसने उनको वोट दिये हैं उसका क्या हाल है। उस मजदूर वर्ग को सैंकड़ों साल से रहने के लिये जमीन दी हुई है, उसका किराया १२) साल लिया जाता है प्रति मकान के हिसाब से। इन मकानों में रहने वाले या तो शिड्यूल कास्ट के हैं या मजदूर वर्ग के लोग हैं। वह जमीन किसी मुन्शी जी की है या तिवारी जी की है, एक रसीद मैंने देखी है जो शर्वती बाई के नाम से काटी जाती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि ये ५ हजार फेमिलीज

(श्री श्रवणलाल)

मजदूर वर्ग की है जो मजदूरी पेशा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनसे १२) साल किराया वसूल होता चला आ रहा है सैंकड़ों सालों से तो हमारी सरकार जो समाजवाद का नारा लगाती है, गरीबों के लिये सहायता दे रही है, उनके लिये मकान बनाने के लिये कह रही है या उनके लिये दूसरी तरह का इन्तजाम कर रही है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी सरकार इन गरीबों के लिये कुछ नहीं कर रही है। जब वह उन गरीबों को रहने के लिये वह जमीन भी नहीं दिला सकती जिस पर वे सैंकड़ों वर्षों से काबिज हैं और किराया दे रहे हैं और वह किराया लखपति और करोड़पति लोग ले रहे हैं, उसको खत्म नहीं कर सकती और जमीन उनको नहीं दिला सकती तो मैं सरकार के लिये यही कहूंगा कि वह झूठे आश्वासन देती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मेरे पास कुछ तथ्य हैं जिनको रखना चाहता हूं ।

हमारे यहां बदकिस्मती से अच्छे ऑफिसर्स नहीं पहुंचते। लेकिन ऐसा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं या जिनको दूसरी जगह ठौर नहीं मिलती है तो उनको सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ठौर मिलती है। मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि 'जागती ज्योत' नाम का एक पत्र निकलता है जिसको एक रंगा साहब निकालते हैं उसका हैड क्वार्टर सवाई माधोपुर की तहसील हिन्डौन में रखा है। वहां के एस० डी० एम० को ले लीजिये, तहसीलदार को ले लीजिये, थानेदार को ले लीजिये, वहां के मुंशी को ले लीजिये या वहां के पटवारी को ले लीजिये, सबको उसने बना रखा है। "जागती ज्योत" की रसीद बुक उसने इन सबको दे रखी है जिस पर उसने खुद ने दस्तखत कर दिये हैं। यदि किसी को एक बोरी शक्कर चाहिये तो २३) देकर 'जागती ज्योत' का मेम्बर बन जाइये और शक्कर मिल जायगी। तीन चार महीनों से इस तरह का वितरण हो रहा है लेकिन आज तक किसी ग्राहक के पास नहीं पहुंचा है। मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि यह क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से लूट-खसोट की हो रही है ? एक बोरी शक्कर किसी को चाहिये तो २३) देकर ग्राहक बनने से उसे मिल जायगी। यदि किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो इसके ग्राहक बनने से आपका काम हो जायगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं ज्यादा नहीं कह कर कुछ बातें रह गई हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टी की तरफ से भी काफी नाम है यदि सबको अवसर मिलना है तो सीमित रहें ।

श्री श्रवणलाल : मैं ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा, इतना ही कहकर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि हमारे यहां इतनी कड़ी निगाह से आप क्यों देखते हैं ? आप जिस तरह से दूसरी जगह फेसिलिटीज

(श्री श्रवणलाल)

देते हैं उसी तरह से हमारे यहां भी दें। आज भी मुझे एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि धन की कमी के कारण ये चीजें नहीं कर सकते। मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि यह धन की कमी हिन्डौन और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये ही है या और जगह के लिये भी है? लेकिन पता नही वे हमारे यहां से क्यों असंतुष्ट हैं? आज किसी भी चीज को ले लीजिये, सुरक्षा को ले लीजिये, सुरक्षा कोष में हमारी हिन्डौन तहसील में १ लाख रुपयों का चन्दा करके दिया था, जब-जब इस तरह का काम होता हैतब तब सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे रहती थी फिर भी भगवान को पता है मंत्रीजी इस डिस्ट्रिक्ट से क्यों नाराज रहते हैं। मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि नाराजगी निकालकर सवाई माधोपुर के साथ भी उसी तरह का बर्ताव करें जिस तरह का बर्ताव जोधपुर, उदयपुर और दूसरे स्थानों के साथ करते है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह। श्री मुक्तिलालजी स्थान ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा नाम बोला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जिस प्रकार की कठिनाइयां हम महसूस करते हैं और बार-बार बजट आने पर प्रतिवर्ष जिन कठिनाइयों की ओर इंगित किया जाता है उससे हमें इस सरकार की कथनी और करनी में जमीन-आसमान की तरह अन्तर नजर आता है। जिस तरह से इस सरकार की घोषित नीति है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं लेकिन इसकी कृति और कार्य हमें स्पष्ट बताते हैं कि यह सरकार यहां पर पूंजीवाद को बराबर कायम रखना चाहती है आज हम देखते हैं कि किसानों पर से सर चार्ज हटाने का मामला सदन के सामने आता है, बजट पर हुई जनरल बहस के समय जब सवाल उठाया गया तो बड़ी कंजूसी के साथ और बड़ी मायूसी के साथ वित्त मंत्रीजी ने कह दिया कि ७५) तक वालों को छूट देते हैं, मानो वे किसानों पर अहसान करते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारी नीति है इस देश में समाजवाद लाने की तो हमें यह भी जानना होगा कि इस देश के ८० परसैन्ट किसान और मजदूर है उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। और जो शासक वर्ग थोड़ी संख्या में हैं और जिसने सारे साधन अपने कब्जे में कर रखे हैं उनको निश्चित रूप से नीचे आना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी यह सरकार बजट रखती है तो उसमें स्पष्ट रूप से, ठोस रूप से और साहस के साथ इस काम को नहीं करती।

जहां तक सरचार्ज का प्रश्न आता है

(श्री नत्थीसिंह)

वह मैं कहता हूं कि सरचार्ज का प्रश्न रिलीफ देने का प्रश्न नहीं मानें। एक नीति के अनुसार इस प्रश्न को लेते है तो कोई टैक्स लगाते हैं तो पहले यह देखें और निश्चित करें कि जिस तबके पर टैक्स लगाने जा रहे हैं उस तबके का उत्थान करना भी हमारा कर्त्तव्य है। तो उसके जो सीमित आमदनी है और जो आमदनी है उसमें भी वह लाभ नहीं कमा पाता उसमें नुकसान का प्रश्न है। खेती पर काम करने वाला किसान तो नुकसान में अपना पेट-पालन कर रहा है, उसको टैक्सों के जरिये मारना चाहते हैं। दूसरी ओर आपका नजरिया यह है, जैसा कि पिछले बजट अधिवेशन के समय एक प्रश्न उठाया था, उसके सम्बन्ध में इस साल बड़े संकोच के साथ, बड़े हेजीटेशन के साथ फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा शहर में जो सम्पत्तियां है, शहरी सम्पत्तियां हैं उनमें बहुत सीमित दायरे में उन प्लाट्स पर, जो दो साल से खाली पड़े हैं, टैक्स लगायेंगे। इस सरकार को कथनी और करनी में कितना अन्तर है। मैं कहता हूं, जब आप मानते हैं कि तीन सौ रुपये कमाने वाले आदमी पर इन्कम टैक्स नहीं लगना चाहिए तो जमीन पर जो आदमी बैठे हैं उनके सम्बन्ध मे आपकी नीति यह क्यों नहीं है ? उसके पास अनइकॉनॉमिक होल्डिंग है, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर लगाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसके पास एक नहीं, दस, बारह और बीस गगन चुम्बी इमारतें हैं और जिनका हजारों रुपये किराया कमाते हैं उनकी तरफ अंगुली उठाने में आपको दहशत क्यों होती है ? इसका कारण यह है कि आप कांग्रेस सरकार की ताकत को बरकरार रखना चाहते हैं इसलिए जो मजबूत हैं, उनसे पैसा छीनने में आपकी हिम्मत-पस्त हो जाती है, आपकी जो नकेल है वह उनके हाथ में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब भी समय है, हमारे वित्त मंत्री महोदय चेतें और इस एप्रोप्रियेशन बिल को अन्तिम रूप दें उससे पहले इसमें इस प्रकार का सुधार लायें कि जो सरचार्ज है उसको पूरी तरह हटा देंगे। और जो अर्बन प्रोपर्टी पर टैक्स लगाना चाहते हैं उसको स्तर के समान बढ़ा दें तभी जाकर हम मानेंगे कि सही मायने मे समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं।

अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे विभागों में, हर विभाग में अलग-अलग इन्सपेक्टरों के कार्यालय बने हुए हैं, एक नहीं अनेक इन्सपेक्टर कार्यालय हैं और उनमे बिना किसी साइन्टीफिक आधार के उनमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। इसके सम्बन्ध में हमारी सरकार की भ्रामक नीति है, वह है कि आज देश के समक्ष बेरोजगारी को समस्या बहुत बड़ी समस्या है और उसमें भी शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है वह बहुत भयंकर है। इस बेरोजगारी की समस्या को आज हम वैज्ञानिक आधार पर किसी प्रकार हल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जहां जिस प्रकार की जगह बन जाय, निकल जाय हम भर्ती करते जाते हैं। कभी कहते हैं, कम्पोस्ट इन्सपेक्टर रखेंगे, किसी दूसरे प्रकार के अधिकारी रखेंगे और फिर देखते हैं कि यूटीलिटी नहीं है तो उसको खत्म कर देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पंचायत डिपार्टमेंट में

(श्री नत्थीसिंह)

पंचायत समितियों के लिए आज से डेढ़ साल पहले पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर थे, उनके पद को खत्म किया गया क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है और जो पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर थे उनको सहकारी विभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया बिना इस बारे में परवाह किये कि जो लोग पी० ओ० की जगह काम कर रहे थे, उनमें अधिकांश नॉन-मैट्रिक थे और जबकि कोआपरेटिव की ट्रेनिंग, जो बी० ए० इकोनॉमिक्स का स्तर होता है, के लिए उस स्तर का होना चाहिए। इस बात का मुझे मालूम है कि उस डिपार्टमेंट में जब रिप्रजेन्ट किया तो इस बात को नहीं माना गया। और आज फिर डिसीजन लिया जा रहा है कि उनको वापिस बुलाया जाय। मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जिस अधिकारी की या सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है उसको पकड़ना क्यों नहीं चाहते, उस पर यह जिम्मेदारी क्यों नहीं डालना चाहते कि आपने बिना सोचे समझे इस प्रकार का निर्णय आखिर लिया क्यों जिसको बदलना पड़ा। इस मूलभूत समस्या में आप जायं।

मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में प्रावधान रखा है कि पैंसठ वर्ष के निराश्रय व्यक्ति हैं उनके लिए बीस रुपया महीने की राहत देंगे। राहत जिनको आप देंगे उनके साथ-साथ एक प्रकार के व्यक्ति और हैं जिनके लिए आपने कुछ नही सोचा है। वे बेरोजगार व्यक्ति है जिनके पास पेट पालन का कोई साधन नहीं है। उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर उनको कोई काम नहीं दे सकती है तो जब तक कोई काम उनको नहीं दे तब तक अनएम्प्लॉयमेंट का कम्पेन्सेशन दे। इस प्रकार की नीति को अपना लेते हैं और इस उद्देश्य को साथ लेते हैं तो फिर सरकार को किसी ऊबड़ खाबड़ तरीके से और हैप-हैजर्ड तरीके से इस प्रकार के सरकारी कर्मचारियों की भर्ती नहीं करनी होगी। लेकिन आप मूलभूत समस्या पर विचार करने के लिए तैयार नही हैं इसीलिए स्वाभाविक नतीजा यह होता है कि जितने लोग खप सकें उनको खपायें। मैं मानता हूं कि एक तरफ अगर आप कहने लगें कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती बन्द कर दी जाती है तो दूसरी ओर देश में बेकारी है वह बेकारी बहुत बढ़ जायगी। इसलिए यह सोचना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप है उसको किस तरह सही तरीके से रिओर्गनाइज किया जाय। जिस समय विकास और सामुदायिक मांग पर बहस हो रही थी, मैंने कहा था कि जयपुर में विकास विभाग का सचिवालय के समान सचिवालय कायम किया जा रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने उसके तथ्य भी प्रस्तुत किये थे। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को विचार करने की जरूरत है कि जब हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था है और योजनाबद्ध तरीके से हम अपने देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कितनी बातों को प्रायोरिटी देनी है। जिन बातों को प्रायोरिटी देनी है, जब उन बातों को प्रायोरिटी देते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उनके बजाय अन्य महकमें तो फिजूल रूप से नहीं बढ़ रहे हैं।

(श्री नत्थीसिंह)

आज हम कहते हैं कि हमारे देश की तरक्की तब हो सकती है जब हमारे देश में कृषि का उत्पादन बढ़े। सबसे अधिक जोर इस बात पर है। लेकिन कृषि-उत्पादन केवल बातों से नहीं हो जायगा। मैं मानता हूं कि इसका महत्व होते हुए और फायदा होते हुए भी सबसे बड़ी बात उत्पादन को बढ़ाने के लिए तब होगी जब किसानों के अन्दर एक भावना पैदा कर सकें। वे उत्पादन करते हैं, वे जमीन पर मेहनत करते हैं--उस किसान को विश्वास मिलेगा और उपज के बदले में अच्छा रिटर्न मिलेगा तब जाकर किसान सही तरीके से उत्पादन कर सकता है। हम आपको बराबर कहते हैं लेकिन पिछले सालों से उनकी वही आर्थिक हालत चलती आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी बारिश से, शीत लहर से और अकाल से फसल खराब हो जाती है और सरकार अकाल, अकाल चिल्लाती है। इस अकाल की शक्ति को रोकने के लिए हमने और दूसरे माननीय सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा है। आपमें हिम्मत हो तो आप आये, आयें और किसानों को कहें—आप जमीन पर मेहनत करते हैं और मेहनत करते तो शीत लहर आती है, पाला आता है, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है और आपकी खेती बर्बाद होती है, आपकी मेहनत है वह बेकार जाती है तो भी इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसान कृषि के उत्पादन के जरिये देश को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं इसलिए किसान को आश्वासन देना होगा कि हम फसल की बीमा-योजना आपके लिए शुरू करते हैं। हम इस योजना के लिए कहते कहते थक गये हैं, लेकिन हमारी सरकार इस मूलभूत प्रश्न पर विचारना नहीं चाहती। हम कहते हैं कि किसानों के लिए जीवन-बीमा योजना जरूरी नहीं है जितनी कि फसल-बीमा योजना। इसके लिए कटि-बद्ध खड़े होकर सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए तभी हम सही रूप में किसानों को राहत दे सकेंगे। वे मन लगा कर खेती करें और खेती के काम को एक हानि का सौदा नहीं मानें बल्कि देश के और राष्ट्र के हित का, लाभ का सौदा मानें—तभी यह समस्या हल हो सकती है। यह नहीं होता है तो यह हानि का सौदा रहेगा क्योंकि एक तरफ काश्त की चीजों के भाव बहुत मंहगे हो रहे हैं, अनाज के भाव बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि अनाज के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपने किसान की सुविधा के लिए ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है कि उसे अपनी चीज का, अपनी उत्पादित वस्तु का सही मूल्य मिल सके। वह जब बाजार में जाता है तो चौदह रुपये एक मन गेंहू के मिलते हैं लेकिन जब वह बीज खरीदने जाता है तो उसे बत्तीस रुपये देने पड़ते हैं। आप क्यों नहीं यह व्यवस्था करते कि उनको सही मूल्य मिले। आप कहते हैं कि हमने गेंहू का भाव निम्नतर स्वीकार किया है वह तेरह रुपये मन है। मैं कहता हूं कि न्यूनतम और अधिकतम भावों में तेरह और बत्तीस रुपये का नहीं होना चाहिए। इसके लिए यदि आप अधिक उत्पादन सही रूप में करना चाहते हैं तो अनाज के भाव में दो रुपये, डेढ़ रुपये मन अनाज के भावों में बढोतरी नहीं होने दें ताकि किसान को आश्वासन हो कि आज जो वह पैदा कर

(श्री नत्थीसिंह)

रहा है उसको वह व्यक्ति, जिसके पास पैसा है, अपने पास होर्ड कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा वह इसके बावजूद भी अधिक मुनाफा नहीं कमा सकेगा, तो उसमें हिम्मत पैदा होगी और खेत पर हिम्मत के साथ काम कर सकेगा। और जब तक हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार से नहीं बनावेंगे तो हमारा यह काम चलनेवाला नहीं है।

दूसरी बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार को कहना चाहता हूं कि आप यह कहते हैं कि हम खेती-बाड़ी के कामों में तरक्की देने के लिये किसानों को सहायता और सहूलियतें देते हैं और सहकारिता की खेती की बात करते हैं लेकिन आपके विभाग में कितनी शिथिलता है उसके लिये मैं यह कहूंगा कि आज आपके इस विभाग में किसानों की सैकड़ों दरख्वास्तें आई हुई पड़ी हैं और वे काफी समय से पड़ी हुई हैं। एक तरफ आप बड़ी-बड़ी नहरें और दूसरे साधन बनाते हैं, लेकिन आपके इन साधनों का सदुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका विभाग इस संबन्ध में सही तरीके से काम नहीं करता और किसानों के साथ सहयोग नहीं करता है। एक तरफ आप छोटी-छोटी नहरें और बांध बनाते हैं कई गांव उन बांधों की डूब में आ जाते हैं और दूसरी ओर उनको आप लगान भी उन पर लगादें और मुआवजा भी समय पर न दें। इसके अलावा अगर सही तरीके से अगर आपका विभाग काम करे तो किसानों को ठीक तरह से सहयोग दे और अगर कहीं नाले में सेंध हो गया हो तो उसको ठीक कर दिया जावे तो मैं समझता हूं कि हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। किसानों के साथ में सहानुभूति आपके इस विभाग को रखनी चाहिये और किसानों के दिमाग में यह बात लाई जानी चाहिये कि यह कार्य किसानों के लिये ही किया जा रहा है और इसके लिये हमें अपने प्रशासन में एक प्रकार की मानसिक क्रान्ति लानी पड़ेगी। लेकिन जो किसान खेतों पर काम कर रहे हैं और वे यहां इस संबन्धित विभाग के सामने कुछ अपनी दिक्कतें रखते है तो उस पर भी सोच कर आपको इसका कोई हल निकालना होगा जिससे उत्पादन बढ़े।

दूसरी ओर, हम कहते हैं कि हम कोआॅपरेटिव के द्वारा खेती कराना चाहते हैं। इस संबन्ध में मैं सिर्फ एक बात आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हम सहकारिता के जरिये खेती कराते हैं और हम कहते हैं कि इतनी खेती होनी चाहिये। लेकिन हमारी हालत क्या है, इस पर भी आपको सोचना चाहिये। हमारी हालत यह है कि जो सब्सिडी सहकारी समितियों के लिये दी जाती है और उनको पिछले साल में मिल जानी चाहिये वह नहीं मिलती और अब साल के अन्त में दी जा रही है और मैं यह कहूंगा कि वह कल दी जावेगी। मुझे इस संबन्ध में मालूम है। इसके लिये प्रोपोजल है। ३१ मार्च को हमारा फाइनेन्शियल इयर समाप्त होता है। आप उनसे कहते हो कि इस रकम को ३१ मार्च तक युटिलाइज कर लो। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस पवित्र संस्था को भ्रष्ट क्यों करते हैं? २७, २८, २९, ३० और ३१ ये पांच दिन उन संस्थाओं के पास रहते हैं और ३१ मार्च तक

(श्री नत्थीसिंह)

उनके लिये इन पैसों को खर्च करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब यह हुआ कि उनको झूठे युटीलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, और आप इस तरह से झूठे युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं और उन्हें नियमित तौर से काम नहीं करने देना चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप यह पैसा जो पंचायत समितियों को या पंचायतों को देना चाहते हैं वह आप साल के शुरू होते होते ही दे दिया करें। इस लिये आपको अपने प्रशासन के ढांचे से इस प्रकार का अन्तर लाना पड़ेगा और जब साल खत्म होने को हो यानि साल का अंतिम चरण रह जावे, तीन महीने रह जावें तो आप उनसे पता लगा लीजिये कि कितना रुपया युटीलाइज हुआ और कितना बाकी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी यह भावना है कि हम किसानों का कोई फायदा नहीं कर सकेंगे। एक तरफ हम यह कहते हैं कि गैर-सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स के द्वारा काम कराना चाहिये, मगर जब काम किया जाता है तो वह गलत तरीके से काम किया जाता है और अभी तक इस मामले में सही तौर से क्रान्ति नहीं आई है।

हम जब कहते हैं कि नाज के भाव बढ़े हैं और जब मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय मे कहा था, उस समय कहा कि ६ हजार की आबादी तक हम सस्ते नाज की दुकानें खोलना चाहते हैं और बाहर के अनाज को बेचना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जहां की आबादी ५००० से कम है तो वहां पर इस प्रकार की दूकानें नहीं खुलेंगी। क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि ६००० की आबादी पर आप यह चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि दूसरे लोग जहां की आबादी कम हैं वहां पर अनाज लेने के लिये जावेंगे और वहां पर जा कर लाइन में खड़े हों और बहुत समय बरबाद करने के बाद उनको वह अनाज मिले तो यह उसके लिये जिसको खेती पर काम में लगना है यह बहुत मुश्किल होगा। मुझे भरतपुर जिले का अनुभव है कि वहां पर किनको फेयर शॉप्स दी गई हैं। मैं कहूंगा कि वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये शॉप्स दी गई हैं। उसमें पंचायतों तक का कोई दखल नहीं है। इन दूकानों को जो दी गई है आप देखें तो मालूम हो जायगा कि उन्हीं को दी गई है जो गांव में बैठ कर व्यापार करता था और दूसरे गांव का है। आज सरकार ने उसको १००) रु० दिये वह वहां व्यापार करता है, और मुनाफाखोरी के उसको आपने १००) रु० दिये। वह वही हरकतें करता है जो पहले करता था। अगर हम इसी तरह की तरक्की करते रहे तो मैं यह मानता हूं कि हम कुछ भी तरक्की नहीं कर सकेंगे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और उसको मैंने कई बार कहा है और पिछली बार भी कहा था। सरकार ने नम्बरदारी प्रथा को खत्म करने का बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपने उनको खत्म किया। यह अच्छा किया। और आपने ऐसा करके, सरकार और आम आदमी के बीच में जितने बिचोलिये हैं उनको खत्म कर दिया जाना उचित है। लेकिन जो नम्बरदारों को खर्च मिलता था

(श्री नत्थीसिंह)

उससे आपने मुक्त नहीं किया है वह तो लोगों को उसी तरह से देना पड़ता है। इसके लिये आप यह कहते हैं कि १५) रु० पटवारी को देते हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर आप यह काम पंचायतों को न दें तो मैं यह कहूंगा कि आप यह काम कोआॅपरेटिव को दे दें। जब आप यह चाहते हैं कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज गांवों की हों तो आपको चाहिये कि यह काम उनको दे दिया जाए। मैं समझता हूं कि सहकारी समिति इस काम को कर सकती हैं और नहीं करती तो क्यों नहीं करना चाहती? जब हमारा यह लक्ष्य है कि हम जब कोआॅपरेटिव को ग्रामीण बैंकों का रूप देते हैं तो यह काम जो पटवारियों से लिया जाता है, इन्हीं को सुपुर्द किया जाना चाहिये।

मैं यह कहूंगा कि यह जो समस्या हमारे सामने आ रही है वही सही तरीकों से नहीं सोचने की वजह से आ रही है। हमारी सरकार कहती है कि खेती के उत्पादन बढ़े लेकिन जब सरकार से कहा जाता है कि किसानों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं, उनको दूर करें तो वे चुप हो कर बैठ जाते हैं। आपको जो ५५ लाख एकड़ भूमि किसानों को बांटनी थी उसका पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा भी आप नहीं बांट सके। इसके लिये सरकार के पास बराबर रिप्रेजेन्टेशन दिये जाते रहे हैं कि हमारे किसान जो भूमि पर बैठे हैं उनकी खातेदारी के अधिकार दिये जावें। उनका उस लेन्ड पर अधिकार है। उसको आप नहीं करते और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अनइम्पीचेबल टाइटल होना चाहिये। मैं कहूंगा कि वह तभी हो सकता है जब या तो वह मुकद्दमा करे और अगर नहीं करता है तो नहीं मिल सकता और चुप बैठने में उसको नुकसान होता है। आज किसानों को उस मुसीबत में गुजरना पड़ता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इन मूलभूत चीजों पर विचार करे, मगर सरकार इन पर विचार नहीं करती और दूसरा और चलती है।

इसके अतिरिक्त दूसरी ओर हम यह भी सोचते हैं कि हम हमारे पंचायती राज्य को खुशहाल बनावें और उसको खुश हाल देखना चाहते हैं तो हमें देश के इस ढांचे को बदलना चाहिये। लेकिन इसको किस तरह से बलशाली बनाया जावे। इसके सम्बन्ध में मैं जब सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट आवेगी तब निवेदन करूंगा। मगर मैं यह कहूंगा कि गांवों में भाईचारे की भावना को बढ़ावें। लेकिन आज पंचायतों के पास सीमित साधन हैं और ग्राम पंचायतों के पास पैसा नहीं है जिस प्रकार का रॉल उनको प्ले करना चाहिये वे नहीं कर सकते। गांवों का किस तरह से थिंकिंग होना चाहिये यह नहीं कर रहे हैं और इससे गांवों को नुकसान हो रहा है। आज गांवों मे आपस में फूट पड़ी है।

मैं यह कहूंगा कि राजनीति बढ़ी है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार अपने इस प्रकार के सोचने के नज़रिये को बदले। जब राजा-महाराजाओं की बात आती है तो वहां आप इकरारनामों की बातें करते हैं और जब जनता के साथ किये इकरारों की, इकरारनामों की बात सामने रखी जाती है तो वहां आप सोचने की बात कहते हैं। राजाओं के साथ में किये गये आपके इकरारनामों के सम्बन्ध में

(श्री नत्थीसिह)

आपकी पार्टी में आज मंथन चल रहा है पर वह मंथन कोई समाजवाद लाने के लिये चल रहा हो, ऐसी बात नहीं, वह मंथन इसलिये चल रहा है कि इन प्रिवी पर्सेज के कारण उनके साधन आपसे कहीं ज्यादा हो गये हैं और वे आपको पीट रहे हैं। आपकी पार्टी में मंथन इस कारण चल रहा है। तो आज ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है कि जो समाज के बीच में चौड़ी खाई नजर आती है उसको पाट कर सही दिशा में समाजवाद को ले जावें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ६५ वर्ष के लोगों के लिये व्यवस्था करने का जो कहा गया है वह ठीक है, हालांकि रकम बहुत कम रखी है, २०) रुपया ही रखी है पर फिर भी यह एक सही दिशा में बढ़ाया गया सही कदम है। पर जब हमारी सरकार सोचती है कि ५८ वर्ष के बाद सरकारी कर्मचारी उस परिस्थिति में नहीं होता कि वह काम कर सके इस लिये सरकार उसे ५८ वर्ष की अवस्था के बाद पेन्शन देती है तो उसके मुकाबले में ६५ वर्ष का वृद्ध क्या काम करने की स्थिति में रहता है ६० वर्ष का वृद्ध क्या काम करने की स्थिति में रहता है? सरकारी अधिकारी ने तो सारी उम्र कमाया है, उसके बाल-बच्चे हैं, पर उस असहाय वृद्ध के पास क्या है? तो मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर विचार करना चाहिये और जो वृद्धों की ६५ वर्ष की उम्र रखी गई है उसके बजाय ५८ वर्ष की उम्र रखनी चाहिये। यदि आपने यह नहीं किया तो आप समाजवाद का नारा देते ही रह जायेंगे और वे शक्तियां उभर आयेंगी जो कि समाजवाद की घोर विरोधी हैं। जो आज लोगों में व्यापक असंतोष फैला हुआ है उसका वे शक्तियां लाभ उठा लेंगी और आप देखते ही रह जायेंगे। आपका कन्फ्यूज्ड थिंकिंग है। जो आदमी पशोपेश में रहता है, जिसका क्लीयर थिंकिंग नहीं है, जिसका कन्फ्यूज्ड थिंकिंग है वह आगे नहीं बढ़ सकता और उसके बजाय झपट्टा मारने वाला दूसरा आदमी कामयाब हो जाता है। तो सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी समाजवादी नीति को स्पष्ट करके काम में लाये, जो इस बजट में कहीं नहीं है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माडल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बहस की गई, इसमें यह निवेदन करना है कि जिस तरह से बजट हमारे वित्त मंत्रीजी ने रखा है और जिस कमाल के साथ, होशियारी के साथ रखा है कि जिसमें पता ही नहीं चल सके कि क्या-क्या चीजें हैं? कहां कहां खर्च करना चाहिये, कहां नहीं करना चाहिये इसकी जानकारी जल्दी न हो जाय, इस बात की पूरी कोशिश की है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा है कि "मैं इन पोथों को छोटा करना चाहता था," मैं कहना चाहता हूं कि आप एक पन्ने में ही बजट पेश कर देते तो कोई मना करने वाला नहीं था। प. आपने पोथे छोटे करने के बाद सदन को वे आंकड़े नहीं दिये जो देने चाहिये थे। एक हैड के नीचे कई सब हैड होते हैं और उसमें खर्च के लिए निश्चित राशि नीचे के विभाग वाले एक दूसरे हैड में बदल लेते हैं। मैंने इस

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बारे में कई दफा कहा है और आज फिर कहना चाहता हूं कि यह नहीं होना चाहिये। बजट में जिस हैड के नीचे जिस काम के लिये जितना एमाउन्ट लिखा हुआ है वह उसी के लिये खर्च किया जाना चाहिये। बजट में तो आपने दिखा दिया कि ५ लाख इसमें खर्च करेंगे और जब हिसाब बताते हैं तो वह राशि दूसरे काम में खर्च बता देते हैं। बजट में तो यह दिखा देते हैं कि ५ लाख इसमें खर्च करेंगे १० हजार इसमें खर्च करेंगे, हजार इसमें खर्च करेंगे और फिर हिसाब बताते वक्त कह देते हैं कि फलां दूसरी जगह ५ लाख खर्च कर दिया, १० हजार फलां दूसरी जगह खर्च कर दिया, यह उचित नहीं है। बजट में जितनी रकम जिस काम के लिये बताई जाती है वह उसी काम में खर्च होनी चाहिये वरना बजट पेश करने का कोई मतलब नहीं।

जहां तक कर्ज का सवाल है सारे प्रान्त के लिये कर्ज लेते हैं, पर राज्य सरकार ने जिस काम के लिये कर्जा लिया है उस काम में वह कर्ज का पैसा खर्च नहीं किया है और और कामों में ही उस पैसे को खर्च कर दिया गया है। अब तक तो पता ही नहीं चलता था कि किस किस काम में उस कर्ज के पैसे को खर्च किया गया, पर गये साल जो स्पष्टीकरण किया और इस साल उससे अधिक स्पष्टीकरण किया उससे स्पष्ट है कि जिस काम के लिये कर्ज लिया है उसके लिये उस पैसे को खर्च नहीं किया है। यह कतई उचित नहीं है, जिस काम के लिये कर्ज लिया है उसी में खर्च करना चाहिये। गांव वालों को मकान बनाने के लिये कर्ज के रूप में पैसा देने के लिये जो कर्ज लिया है वह उस काम में बिलकुल खर्च नहीं किया गया है। साथ ही औद्योगिक शिक्षा के लिये गांवों में जितना पैसा खर्च किया जाता था वह इस साल बिलकुल ही बन्द कर दिया है। गांवों के प्रति इस प्रकार की उपेक्षापूर्ण नीति कतई ठीक नहीं है।

५९ के बाद आपने निर्णय लिया कि २।३ पंचायत समिति को दे देंगे, दे भी दिया था। १।३ विभाग अपने पास रखेगा पर स्थिति आज यह है कि १।३ भाग विभाग के पास आज जरूर है पर पंचायत समितियों को कुछ नहीं दिया गया है, इससे सरकार की दिल की बात सामने आ जाती है। जयपुर में कसीदा निकालने के लिये, सिलाई के लिये ११ हजार का बजट था, गांवों में सब बन्द कर दिया है पर १६ हजार रुपया जयपुर की तरह अजमेर में चालू किया है। श्रीमान् अजमेर में आप नये सिरे से चालू कर सकते हैं, क्योंकि वह आपका क्षेत्र है, पर गांव वालों की आप बिल्कुल पर्वाह नहीं करते, गांव वालों का आपको ध्यान रखना चाहिये और उनके लिये पैसा देना चाहिये।

(१२.६ म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

वित्त मंत्री हंस रहे हैं, वे हंस सकते हैं लेकिन गांव वाले उनको बख्शेंगे नहीं। वे केवल खुद के लिये सोचते हैं कि मैं जहां का हूं, वहां खर्च करूं और गांवों में होने वाले खर्च को बन्द कर दूं। गांवों में मछलियों के मद में केवल ३० हजार पंचायत समितियों

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

को दे दिया जायगा बाकी औद्योगिक मसलों में कुछ भी खर्च नहीं होगा, मैं समझता हूं यह कतई ठीक बंटौती नहीं है।

जहां तक कर्ज का सवाल है, हमने कर्जा लिया है उसका ब्याज ८ करोड़ के ऊपर दे देते हैं, पर जो कर्जा हम लोगों को देते हैं उसकी क्या स्थिति है। वित्त मंत्री ने बताया कि १२२ लाख रुपया उस कर्ज के ब्याज का आने वाला है जो हमने लोगों को कर्ज दिया है पर आया ३४ लाख ही। हमने जिनको कर्ज दे रखा है उसको हम वसूल नहीं कर सकते, यह बड़ी शर्म की बात है। जिनको आपने कर्ज दे रखा है उनसे कर्ज दिया वह पैसा तो वसूल करना दूर उसका ब्याज भी आप वसूल नहीं कर सकते। आपने सरकारी कर्मचारियों को कर्ज दे रखे हैं, उनसे आप ब्याज वसूल नहीं कर पाते, एक करोड़ रुपया इस साल हो जायगा, सरकारी कर्मचारियों में इतना पैसा ब्याज का है वह आप वसूल नहीं कर पाते। आपकी इस प्रकार की नीति के कारण सरकारी अधिकारी ढीले हो जाते हैं। वित्त मंत्रीजी वैसे चुस्त लिबास पहने हुए भले ही हों पर कर्ज वसूल करने में, कर्ज के पैसे का ब्याज वसूल करने में, वे बिलकुल ढीले रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने कसा है अगर आपने कसा है तो क्यों बकाया रखा है इतना ब्याज का पैसा? कर्जे की अलग बात है। आप ब्याज वसूल नहीं कर पायेंगे। हर साल कर्जा बढ़ता जायगा। जमीनों में नहीं देंगे। आपने किसानों को कर्जा दिया है। किसानों के खिलाफ आपका ब्याज बाकी नहीं है। आप का ब्याज उनके खिलाफ है जो रात दिन आते रहते हैं। आप कहेंगे कि रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देते हैं। अगर आपने दिया है तो रेवन्यू के हैड से पूंजी का पैसा दिया है और हम आज देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम पर एक्शन नहीं लिया जायगा उस कर्जे को पैसा वसूली के मामले में आप बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं और अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो नहीं जमेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या नहीं जमेगा?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आने नहीं देंगे लोग। तुम तो जमे बैठे हो। इसके बाद गड़बड़ी कैसे हो जाती है? आप कर वसूल नहीं कर पाते हैं। आपने इस बात को माना है कि हमारे राज्य में कर की चोरी होती है। आपने कहा है कुछ हद तक इसकी कोशिश की जायगी। कोशिश क्यों की जायगी? बिल्कुल क्यों नहीं रोकी जायगी? क्या-क्या गड़बड़ियां होती हैं। मैंने कई बार बतलाया है कि भीलवाड़ा में जमीनों के मामले में किस प्रकार गड़बड़ी हुई जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। आज और बतलाऊं। जयपुर शहर में, जब राजस्थान बना था, उस समय हर मंदिर की जमीन कोर्ट आफ वार्ड्स के पास थी। कोर्ट आफ वार्डस किस लिए बनाया गया? वह इसलिए बनाया गया था कि मंदिर की सम्पत्ति की रक्षा हो सके पर आपने उनके साथ ज्यादती की है। उसकी सारी जमीन आपने एक दूसरे व्यक्ति के नाम पर दे दी और कहा गया कि मंदिर के

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पुजारी को ३०० रु० माहवार खर्च देंगे। ३०० रु० माहवार खर्च क्यों दिया जायगा? आपको तो इंतजाम के लिए सारी जमीन दी गई थी। आप क्या करते हैं? आपको क्या हक था कि किसी दूसरे के नाम....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कौन सा नाम?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं अभी बतलाता हूं। उसके बाद वह आदमी कोर्ट के अंदर जाता है। वह इंतजाम करने के लिए जमीन दी गई थी। आपको क्या हक है? कोर्ट आप पर डिक्री करती है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित मंत्री) : कौन से सन् की बात है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पुजारी का नाम बताता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : कौन से ईअर की बात है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने क्या ठेका लिया है कि आप तो सदा ही रहेंगे? यह तो सरकार की बात है। आप अपनी बात क्यों लाते हैं? इस सरकार की बात है। हाइकोर्ट के बिल्डिंग व उसके बाहर सारा इलाका जो सांगानेर गेट के बाहर है, महादेव का मंदिर भी उसमें शामिल है, वह महाराजकुमार भवानीसिंह के नाम कर दी गई। उस पुजारी ने कहा कि जब सरकार को इंतजाम करने के लिए जमीन दी तो फिर उनको कैसे दी गई? अब महाराजकुमार के नाम पर वह जमीन दे दी गई। आज के जमाने में सरकार को जरूरत होगी तो मुआवजा देकर लेगी। मंदिर की जमीन को आपको क्या हक था दिला देने का? इस तरह की गड़बड़ी को कहीं तो सुधारा जाय और सरकार को इतना नुकसान नहीं करवाएं और उस जमीन को पुनः वापिस लिया जाय लेकिन आप नहीं करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको पता नहीं क्यों डर लगता है? सभापति महोदय, मुझे एक बात और कहनी है। बस्सी के पास घास का बीड़ है। सेटिलमेंट के कागजों में सिर्फ एक राजकुमार का नाम लिखाया। तीन महीने पहले आपकी सरकार ने दो व्यक्तियों के नाम पर उसको इन्द्राज कर दिया है। १७०० एकड़ जमीन आपके राजा मानसिंह के दो राजकुमारों भवानीसिंह और जयसिंह के नाम कर दी। आपको क्या हक था? ऐसा क्यों करते हो? एक तरफ तो समाजवाद की बात करते हो और दूसरी तरफ राजस्थान की संपत्ति को लुटवाते हो।

कहां कहां टैक्स की चोरियां होती हैं। यात्री कर हमसे वसूल किया जाता है। लाखों रुपये लोगों के पास पड़े हैं। आपको क्या हक है कि हमसे तो सरकारी टैक्स के नाम से पैसे लें और जमा दो तीन साल तक नहीं कराए? आप ढीले होकर बैठे हैं और कह दिया कि नोटिस दे दिया है। फिर आप कहें कि हाईकोर्ट में चला गया है। मुझसे पैसे लिए राज के नाम पर। हाईकोर्ट में क्यों चला गया? आप कानून में सुधार करें।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लोगों के पास २०--२०, ३०--३० हजार यात्री कर रह जाता है। इस तरह से आप हमारे पैसे को लुटवाते हैं अपनी गल्ती की वजह से। हमने जिन राजाओं को जमीन दी, जो संधिपत्र आपस में हुए आपने तय नही किया है कि कितनी जमीन किसके पास है और कितनी संधिपत्र में थी और उनके पास वास्तव में क्या है ? मैं एक राजा की बात कहता हूं। मुझे संधिपत्र का पता है उसमे ३८,००० एकड़ जमीन थी, उसके बाद आपने ८०,००० एकड़ जमीन दी है। आप क्यों डरते हैं ? यदि किसान ने आधा एकड़ या दो बिसवा जमीन ले ली तो कहेंगे कि नाजायज कब्जा है, उन गरीब किसानों को बेदखल कर देते हैं, जिस किसान ने जमीन पर पांच हजार रुपये खर्च कर कुंआ खुदवाया और आपकी सरकार ने उसको बेदखल कर दिया और आप उनका कुछ नहीं कर सकते जो तीस-तीस हजार और चलीस-चालीस हजार एकड़ पर नाजायज कब्जा कर रखा है, न मालूम आप क्यों घबड़ाते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, समान्य प्रशासन) : किस राजा की बात है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जयपुर नरेश के संधिपत्र की बात करता हूं और उन सब राजाओं की बात करता हूं जिनकी जमीनों पर आपने पत्थरगढी नहीं की है।

श्री परसराम मदेरणा : कवेनेन्ट में जितना लिखा है उससे ज्यादा ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बहुत ज्यादा। आप तो हमारे ऊपर रोब जमाते हो।

श्री परसराम मदेरणा : आप रोब जमाते हो लेकिन उसका असर पड़ता नहीं। यह सवाल कई बार यहां आ चुका है। जो कवेनेन्ट में दिया गया है उसके अलावा अगर कोई और जमीन दी गई हैं तो निश्चित तौर से जानकारी करके सदन को कान्फीडेंस में लाया जायगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप अगर जानकारी करें तो खाली जमीन नही है। मकान है और कई चीजें हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of information. सवाल यह है कि आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब नक्शो पर लकीरें खींची गई उस वक्त जिन जमीनों को राजाओं ने क्लेम किया उनकी पत्थरगढ़ी करवाई गई ? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जो जमीन कवेनेन्ट में लिखी हुई है उसको और कोई जमीन नहीं दी गई है ? क्या सरकार यह कहने की स्थिति में है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह प्रश्न जो यहां उठाया जा रहा है उसका सरकार की पॉलसी से क्या सम्बन्ध है ? जब लैंड रेवेन्यू पर कट मोशन्स आए थे तो उस वक्त यह सवाल उठाना ज्यादा मुनासिब था। इस किस्म के सवालात के जवाब मैं नहीं दे सकता।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसका सम्बन्ध वित्त मंत्री महोदय से नहीं है। वित्त मंत्री का संबंध तो उनसे हैं जो १५० माहवार पाने

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

वाला है और प्लॉट ले रखा है उनसे टैक्स वसूल करने का संबंध है । जिन्होंने नाजायज तरीके से मकान और जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनसे वापस लेने से आपका मतलब नहीं । आपको राष्ट्रीयकरण से घृणा है । आपका दिल ही दूसरा है । अन्दर में कुछ है और बाहर कुछ है । जिस आदमी को राष्ट्रीयकरण से घृणा है वह आदमी राजाओं की जमीन को वापस नहीं ले सकता । हमने राष्ट्रीयकरण के विरूद्ध आपके लेख समाचार पत्रों में पढ़े थे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जंगल से आप टैक्स लेते हैं । जंगल काटकर जो कोयला बनाते हैं उस पर सेल्स टैक्स लेते हैं ।

आपको पता है डूंगरपुर नरेश के पास कितना जंगल है ? संधि पत्र में कब जंगल काट कर बेचने की इजाजत दी थी ? जंगल से वन एक्ट के हिसाब से लकड़ी काटी जा सकती है । वहां पर हर साल कूप नीलाम होते हैं, नजराना लिया जाता है । आपको धेला भी सेल्स टैक्स का नहीं मिलता है । सेल्स टैक्स की चोरी होती है आपको पता नहीं । आप तो बैठे रहते हैं । आपका विभाग क्या करता है ? उस वक्त आपको पता नहीं लगता है । आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं । ज्ञानचन्द मोदी जैसे सीधे-सादे आपको दीख गये । जिसकी कमरों की तलाशी ले ली, बीबियों की तलाशी ली, पेटियों की तलाशी ली, मकानों की तलाशी ली । आपकी तरह का जो आपका साथी है उसके साथ तो आप इस प्रकार की ज्यादती करते हैं और जो दूसरी तरफ आपके साथी बैठते हैं उनकी तरफ आप कुछ नही करते । सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं । आपके वन मंत्री वहां पर जाते रहते हैं । डूंगरपुर का दौरा करते हैं । चालीस-पचास हजार रुपया डूंगरपुर जाने आने आदि के दौरे में खर्च हुए होंगे । उनको पता नही है कि सेल्स टैक्स की चोरी होती है । क्या वे इसलिए जाते हैं कि उनके बीबी बच्चे वहां रहते है, उनका घर है, वे वहां के रहने वाले हैं । क्या घूमने जाते हैं ? आप दौरे पर अजमेर जाते हैं, आपका घर है । आप दौरे पर जाते हैं तो वहां क्या-क्या गड़बड़ियां होती हैं, उनको आप नही देखेंगे । आप क्यों देखेंगे ? आपको फुरसत कहां है ? मेयो कॉलेज की जमीन लोग सस्ती से सस्ती ले गये । कभी आपने देखा ? भीलवाड़ा के मिनिस्टर साहब हैं, भीलवाड़ा जाते हैं । डाक बंगलों पर रहते हैं । घर नहीं जाते हैं । सरकार के काम से जाते हैं । वहां पर सरकारी जमीन को तहसीलदार ने गलत नाम पर दर्ज कर दी । कई दफा उनसे कहा ।

एक आदमी कहता है कि मैंने सात सौ बीघा जमीन फलां आदमी से ली है । कलेक्टर कहता कि मैं नहीं जानता पट्टा गलत है, नाम पर नहीं की जायेगी जमीन, उसके बाद उदयपुर कमिश्नर के पास जाता है, कमिश्नर अच्छे थे, उन्होने भी खिलाफ फैसला दिया, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड आ जाता है, वह वहां गया । वहां भी इन्कार कर दिया । सन् ६३ में वहां एक सेठ जाता है वह कहता कि मेरे

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

नाम पर कर दो। पता नहीं वह किसकी सिफारिश करा कर ले गया। तहसीलदार चुपचाप जमीन उसके नाम कर देता है, जिसके नाम थी उसको हटा कर। कई लाख की जमीन को अगस्त में उसके नाम कर देते हैं फिर अक्टूबर में, दो महीने भी पूरे नहीं होते हैं, चालीस दिन तो मुसलमान भी रोजा मानते हैं, खत्म कर दिया। अब आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को २० बीघा दे दिया जाय। बीस बीघा उसको दे दिया जाय और बाकी का उसको हजार पन्द्रह सौ का मुआवजा दिला दिया जाय। यह हालत है। आप सेल्स टैक्स वसूल कीजिये। जिन्होंने किसी प्रकार तहसीलदार, कलेक्टर को समझा कर जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। उनसे जमीन वापस लीजिये। सन्धि-पत्र के अलावा जो जमीनों पर कब्जा राजाओं ने कर रखा है उसके लिए आपको कोई चिन्ता नहीं। देखने की फुरसत नहीं और एक दो बीघा भूल में किसी ने अपने पास जमीन रख ली तो उसको बेदखल करके उससे छीन रहे हैं।

श्री सभापति : Order please!

आपका समय समाप्त हो चुका है।

माननीय श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : माननीय सभापति जी, विनियोग विधेयक पर बहस हो रही है। इससे पहले हमारे विधायकों ने वित्त मंत्रीजी के कहने के अनुसार करोड़ों रुपये के बजट को मन्जूर किया है। हमारे देश की धनराशि का सही मायने में सदुपयोग हो बरबादी न हो, उसका अपव्यय न हो, इन सारी बातों की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है, सरकारी दल की है, उतनी ही विरोधी दल की भी है। आज देश को एक-एक पैसे की जरूरत है। हमारा राजस्थान बहुत बड़ा कर्जदार हो चुका है। कर्जा और भी हो सकता है। हमारे ऊपर विपदाओं के बादल छाये हुए हैं यह सरकार को नहीं भूलना चाहिये। सरकारी अफसरों और गैर जिम्मेदार लोगों की अकर्मण्यता के कारण अपव्यय हो रहा है इसके लिए इधर के और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने एक सर्टिफिकेट सरकार को दिया है कि यह सरकार नाकाबिल है। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी वह देश की गरीबी को नहीं मिटा सकी, बेकारी को नहीं मिटा सकी, बेरोजगारी को नहीं मिटा सकी। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी आज सारी जनता दुःखी है। छोटे से छोटे चपरासी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक परेशान हैं, सारी जनता आज परेशान है। सरकार के कायदे कानून से परेशान है। जनता रो रही है और कांग्रेस को कोस रही है। कांग्रेस के कारण आज जनता को नाना प्रकार के दुःख भोगने पड़ रहे हैं। आप कितनी ही प्रगतिशीलता की बातें करें आप जब तक सही निर्णय पर नहीं आवेंगे आप देश को नहीं बचा सकेंगे। आप की आत्मा भी यही कहती है। मंत्री भी परेशान हैं और सारे देश का नेतृत्व भी परेशान है, लेकिन आप इस बीमारी को नहीं मिटा सकते।

देश के निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। इमारत बनती है, बनते ही टूट

Page No. 96

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

जाती है, सड़क बनती हैं बनते ही टूट जाती है । भगवान न करे । करोड़ों रुपये के बांध बनाये, ग्राप जरा ग्रन्दाजा तो लगायें कि जिस प्रकार का बांध बनना चाहिये, जैसा निर्माण कार्य होना चाहिये, भ्रष्टाचार ग्रादि के कारण वह वैसा न बना, कच्चाई रह गयी तो उससे कोई दुर्घटना हो गई तो लाखों ग्रौर करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति ग्रौर जान माल का नुकसान होगा । ग्राप बता दीजिये कि क्या भयंकर स्थिति होगी ? पी. डब्ल्यू. डी. की ग्रामदनी ग्रौर खर्चे को देखने वाले नहीं । कोई कन्ट्रोल नहीं । कितना खर्चा होना चाहिये ग्रौर उससे ग्रधिक नहीं होना चाहिये उसको कोई देखने वाला नहीं । क्या कंट्रोल है फिर ग्रापका ? कन्ट्रोल तो यही है कि सप्लीमेन्ट्री, डिमान्ड्स ग्राती हैं । इसका कारण यह है कि समय पर जो खर्च करना चाहिये वह पूरा खर्च नहीं कर पाते ग्रौर ठेकेदारों को फिर पेमेन्ट होते हैं उस समय तो नही करते । इस में बदबू ग्राती है । जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है वह काम पूरा होना चाहिये । चम्बल प्रोजेक्ट में सड़कों की कितनी ग्रावश्यकता है ग्राप उसको खुद मानते हैं । सिंचाई की दृष्टि से ग्रभाव-ग्रभियोगों को देख कर तय करना चाहिये । सिंचाई के लिए किसान दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते । जहां ग्रावश्यक है ग्राप खर्च नहीं करते । ६३ में जो तैयार होंनी चाहिये थी, उसका बजट लेप्स होता है, ठेके लेप्स होते हैं, भारत सेवक समाज को देते हैं, समितियों को देते हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में ज्यादा से ज्यादा नहरों का निर्माण हुग्रा है वह भारत सेवक समाज ग्रौर समितियों के जरिये से हुग्रा है । वह निमार्ण का काम बेकार हुग्रा है । पेमेन्ट रोक देते तो ऊपर से सिफारिश पहुंच जाती है । डेमेज नहीं हुई । पी. डब्ल्यू. डी. की जिम्मेदारी है । जनरल बात कहना चाहूंगा । करोड़ों रुपया देश का खर्च करते हैं तो ध्यान देना होगा, भ्रष्टाचार को दूर करना होगा । भ्रष्टाचार की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा । हमारी योजनायें ग्रौर कल्पनायें बहुत हो चुकी है । कार्यरूप में परिणत हो जाय तो राम-राज्य ग्राजायगा । लेकिन ग्राप राम-राज्य नही ला सकते । हमारे देश का, हमारे राज्य का चरित्र ग्राज वास्तव में बहुत गिर गया है, बहुत गिरता जा रहा है । यह देश की सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ।

(१२. २८ म० प०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति पदासीन)

जो डिफेन्स का मामला है, जो नारा दिया है कि देश की सुरक्षा के लिए बालन्टियर्स चाहियें । ग्रापने लेक्चर्स दिये, पुस्तकें निकाली । मेरे पास भी एक पुस्तक है सुरक्षा के विषय में । ग्रापके नहीं कहने से भी लोग ग्रपने ग्राप तैयार हो गये । जनता ने ग्रपने ग्राप देश की रक्षा के लिए तैयारी के लिए ग्रपनी कटिबद्धता दिखाई । देश के ऊपर ग्राफत ग्राई तो ग्राप ग्रौर ग्रापके कर्मचारी नहीं बचा सकेंगे । एक-एक बच्चा देश का ग्रपनी मां की लाज बचायेगा ग्रापने तो सारे देश को खोखला कर दिया । हर काम में धोखा । निर्माण के काम में धोखा । मजदूरों का ग्रौर न किसी का खयाल रखते । उनका गला जब काटा जाता

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

है तो आपके अधिकारियों को मालिकों को रोकने की फुरसत नही है। लायब्रेरी में सैंकड़ों दफा अफसर जाते हैं। दौरा करके हजारों और लाखों रुपया सरकार से टी. ए. डी. ए. के लेते हैं। पता है कहां ठहरते हैं? कौनसी जनता के लोगों से मिलते हैं? उनकी लोग आवभगत करते हैं वे ही जो मजदूरों को चूसते हैं। उनमें ही उनका समय निकल जाता है। सर्किट हाउस में जावेंगे चालीस हजार की गाड़ी तैयार रहेगी। कभी जिन्दगी में भी ऐसी कारें नही मिलेंगी। शाम को क्लब में जावेंगे। अमेरिकन गाड़ियों में घूमते फिरेंगे। देश का अपना देश नहीं माना जाता। देश हमारा है और एक एक क्षण देश के लिए अर्पण कर देना चाहिये।

आपके द्वारा छोटी बन्दूकों के लाइसेन्स बना दिये गये। आपने होम गार्ड्स को कायम करने के लिये कितने पैसे दिये? आप खुद जानते हैं कि होम गार्ड्स का प्रशिक्षण अच्छी तरह से नहीं हो पाया। होम गार्ड्स की आपने सेना बनाने की कोशिश नहीं की। दलपति आपके द्वारा तैयार कर दिये गये और आंकड़े बता दिये गये, हमने ६७ हजार वालन्टियर तैयार कर दिये। इतनी बड़ी देश की सेना तैयार कर दी केवल आंकड़ों में। ये जो आंकड़े आपके द्वारा दिये गये है बोगस आंकड़े हैं। देश के सामने आज जो स्थिति है उसको देखते हुए आपके ये आंकड़े कुछ मायने नहीं रखते। आज आपकी जो अकर्मण्यता है उससे देश के नवजवानों को कोई प्रेरणा नहीं मिल पा रही है। इस बारे में भी आपकी सरकार ईमानदारी से नहीं चल पा रही है। करोड़ों रुपया आप जनहित के काम में खर्च कर रहे हैं। आप अपने आपको सबसे ज्यादा प्रगतिशील सरकार कहते हैं। क्या आपने जनता के मनोबल को देखने की कोशिश की है? आज जनता आपकी कमजोरियों को जानती है। आपके किये हुए कार्यों को जानती है। आज जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है जो आज सभी वर्गों के लोग अनुभव कर रहे हैं आपने विकास द्वारा, विकेन्द्रीकरण द्वारा जो भी कार्य किया है उसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है। कौल साहब! मेरा आपसे निवेदन है कि आपको यह सदन लाखों करोड़ों रुपयों की मन्जूरी देता है आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं भी आपको भ्रष्टाचार दिखे, जहां भी आपको बेईमानी दिखे उसको रोकिये। पैसे का अपव्यय जहां होता दिखाई देता हो उसको चैक करिये। चाहे आपको यह करने में जनता का कोप भाजन भी क्यों न बनना पड़े, उससे आप दुबारा नहीं भी आयें तो भी आप एक मिसाल छोड़ जाइये कि आपने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पैसे के अपव्यय को रोकने के लिये ये ये कदम बढ़ाये। आपसे हमको बहुत बड़ी आशा है।

आज हम देखते हैं वाटर वर्क्स के नाम पर पैसा बाकी है, बिजली के खर्चे के पैसे बाकी हैं, सैल्स-टैक्स के पैसे बाकी हैं, रोड-टैक्स के बाकी हैं, माइन्स की रॉयल्टी के बाकी हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनसे आप पैसे मांगते हैं उनसे सख्ती के साथ वसूली की कोशिश कीजिये। बदमाशों को सख्त सजा दीजिये। झूठे पेमेन्ट्स हो जाते हैं। ठेकेदारों

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

को ठेके का काम पूरा नहीं हो पाता उससे पहले ही पेमेन्ट कर दिये जाते हैं। आजाद हिन्द फौज के नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस ने कहा था भ्रष्टाचार करने वाले, देश द्रोही जो हैं उनको चौराहे पर लटका कर सजा दी जाय, नहीं तो यह भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी खत्म नहीं होगी। जब तक आप इस प्रकार का कार्य नही करेंगे जनता को सबल नहीं बना सकेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिये हमारे यहां के निवासी काफी दुर्बल हैं। आप देखेंगे, सैंकड़ों-हजारों लोग आम सड़कों पर आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। उनकी मानसिक चिकित्सा करवाइये, वे क्यों लापरवाह हैं। यदि आपको बेकार मालूम होते हों, देश के लिये कोई उपयोगी मालूम न पड़ते हों तो शूट कर दीजिये। ऐसे मानसिक रोगियों की आवश्यकता नहीं है। और जो बेकार फिरते हैं उनको आप काम-धन्धा दीजिये ताकि वे किसी भी प्रकार से देश की सेवा कर सकें।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां की जनता के अभाव-अभियोग आपके सामने रखे हैं। लड्ढा साहब ने किसानों के लिये बहुत अच्छा काम किया जो किसान के पास ३७ बीघा जमीन का जो डिसीजन लिया है वह निर्णय बहुत ही श्रेष्ठ निर्णय है। इससे किसानों को शान्ति मिली है, लेकिन जिस तरह के फार्म भेजे, उसके लिये प्रतिबन्ध होना चाहिये था। अधिकारियों द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता है। वे मनमानी करते हैं। जिन लोगों ने मकान बना लिये हैं, बाड़ बना लिये हैं उन पर मुकदमें चल रहे हैं। चम्बल एरिया के अन्दर, मेजा नदी में दरड़े पहाड़ फोड़े गये, चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के अन्दर पचास हजार किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। दरडे फोड़े हैं लेकिन अधिकारियों की बेईमानी के कारण वहां पानी नहीं पहुंच पाया है। उसके बावजूद भी उनको वह नहीं मिला है। वहां पर कोलो-नाइजेशन विभाग द्वारा बेदखल करना शुरू कर दिया गया और १००) रुपया १५०) रुपया देने वाले जो हैं उनको बेदखल नहीं किया जाता। जमीन फोड़कर जो अपना गुजारा करना चाहते हैं उनको भी आप बेदखल कर रहे हैं फिर वे लोग जायेंगे कहां ?

एक तरफ आप लाखों रुपये के पुराने जंगल काट रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों रुपयों का प्रावधान रख रहे हैं जंगल लगाने का। डूंगरों पर घास पैदा करने की बात कर रहे हैं लेकिन आज लाखों मन घास सड़ रहा है। उसका दोष किसको दिया जाय ? आपकी लापरवाही की वजह से वह लोगों को अपने मवेशियों को चराने के लिये उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस तरह से हमेशा से आपके अधिकारियों की प्रवृत्ति रही है कि गरीब लोगों को सताया जाय। आज जनता में जिस प्रकार के अभाव-अभियोग हैं उससे जनता आन्दोलन कर सकती है। आन्दोलन किये हैं। आपने भी किये हैं। राजस्थान में बड़े-बड़े आन्दोलन हुए हैं वे आन्दोलन आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। कोटा, बून्दी में भी हुए हैं। मैं आपको फिर कह देना चाहता हूं कि आपने जो वहां की तीन तहसीलों में बेटरमेन्ट लेवी को लागू किया है, जो आपने पिछले कुछ दिनों से वसूली करना शुरू कर दी हैं, आपके लिए कुछ दिनों पहले एक मंत्री महोदय किसी उद्घाटन के सिलसिले में वहां गये थे वहां कहा

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

गया कि हमने इसको पोस्टपोन किया है। इस तरह से जो अड़ंगे-बाजी कांग्रेस वाले चलाना चाहते हैं वह नहीं चलने वाली है। इस प्रकार की जो समस्या है वहां के लोगों की उसको सुलझाना पड़ेगा नहीं तो जबरदस्त आन्दोलन होगा। आपने भी आन्दोलन किये हैं वे भी कर सकते हैं। वही राजस्थान है, वही कोटा है, वही बून्दी है, देखते जाइये अभाव-अभियोगों की पूर्ति के जन-आन्दोलन हुए हैं, और होते रहेंगे उसके बुरे परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिये। आपने देखा होगा यहां पर आपके सामने प्रदर्शन होते हैं वह इसलिये होते हैं कि उनको दुःख है, तकलीफ है आप कानून द्वारा जबरदस्ती से उन पर ऐसी चीजें थोपते जा रहे हैं जिन्हें वे चाहते नहीं है, वे बरबाद हो रहे हैं।

अन्त में, सभापति महोदय, आज हमारे देश को एक-एक पैसे की जरूरत है। देश के निर्माण कार्य को तेजी से करना है। जितने पैसे का अपव्यय हो रहा है उसको बन्द किया जाय। जो फिजूलखर्ची है उसको कम किया जाय कम से कम इस ओर तो ध्यान दीजिये।

राजस्थान की जनता की रोजी-रोटी का सवाल है। शिक्षा आप जिस प्रकार की दे रहे हैं वह तो हम जानते हैं। आज किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, मध्यम वर्ग के लोगों की समस्या है। उनको आप हल कीजिये। आज जो बेघर बैठे हैं उनके लिये रोजी दीजिये इन सब बातों को ध्यान में रख कर चलिये। आपको करोड़ों रुपयों की स्वीकृति दी है यह इसलिये कि आप राजस्थान का भला करें, यहां से गरीबी मिटाकर लोगों को खुशहाल करें, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा जो काम होते हैं उनको ठीक ढंग से करवाइये। जनता के साथ और भिन्न-भिन्न क्षेत्र के साथ जो आपकी पक्षपात की भावना रहती है उसको छोड़िये, खास तौर से नन्दवाना जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान में रखें कि जिस जगह सड़क बिल्कुल नहीं बनी उनको जो भी सूचना दे दी जाती है चाहे वह सही हो या न हो वे सदन के सामने रख देते हैं, कह देते हैं सड़क बन गई जब कि वहां पर कंकर मिट्टी भी नहीं गिरती। इस तरह से जनता के प्रतिनिधियों को गुमराह करने की चेष्टा मत करिये। अन्त में आने वाले साल में आप जनता की भलाई के कामों में स्वीकृत धन राशि को ठीक प्रकार से खर्च करेंगे। हमारा एक एक पैसे का सदुपयोग होगा इस प्रकार वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मान्धातसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, प्रजातांत्रिक नीति में यह आवश्यक है कि जुडीशियरी इन्डिपेन्डेन्ट हो। हमारे राजस्थान में इस ओर 'सेपरेशन आफ दी एग्जीक्यूटिव फ्राम जुडीशियरी के लिए राज्य सरकार ने जरूर कदम उठाये है। परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है वहां पर जुडीशियरी इन्डिपेन्डेन्ट है या नहीं इसके बारे में कुछ शुबहा होता है। क्योंकि जिस तरीके से उच्च न्यायाधीशों की तकर्रुरियां की जाती हैं उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति को हाईकोर्ट जज मुकर्रर किया जाता है। पिछले ५-६

(श्री मान्धातसिंह)

साल के दौरान में यदि देखें तो जितने भी न्यायाधीश मुकर्रर हुए हैं बैंच से उनमें से अधिकांश कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं। अपोजीशन की ओर से केवल एक शुरू में व्यक्ति हाईकोर्ट जज मुकर्रर हुआ था। उसके बाद मेरे ख्याल में ४ न्यायाधीश ऐसे हैं कि जिनका कांग्रेस पार्टी से सम्पर्क था। इस किस्म की तकर्ररियों के अन्दर यह शुबाह होने लगता है कि राजस्थान में जो हाईकोर्ट है वह इन्डिपेन्डेन्ट है या नहीं। यह मैं मानता हूं कि यह तकर्ररिया राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं परन्तु राजस्थान सरकार से सिफारिश होने पर ही वह तकर्ररियां होती हैं। ऐसे किस्म की सिफारिशें यहां से की जाती हैं। हाल ही में ऐसा मालूम हुआ है कि एक और सिफारिश की गयी है और वह व्यक्ति उदयपुर प्रदेश के रहने वाले हैं और मेहता खानदान में से हैं। जिससे फिर साबित होता है कि मेवाड़ और मेहता राज्य अपना अस्तित्व यहां कायम करना चाहता है।

अब राजस्थान के जो न्यायाधीश हैं उनके रि-एम्पलॉयमेन्ट के बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आम तौर से हाईकोर्ट के जजेज का रि-एम्पलॉयमेन्ट नहीं होता। परन्तु हमारे यहां पर चीफ जस्टिस का भी रि-एम्पॉयमेन्ट किया गया है। मेरे ख्याल से शायद कोई भी राज्य नहीं होगा कि जहां हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को रि-एम्पलॉय किया गया है और वह चीफ जस्टिस एक ऐसी जगह अपॉइन्ट हुए हैं जहां पहले शुरु में सेशन्स जज मुकर्रर थे, और वह चीफ जस्टिस के अनुरूप पोस्ट नहीं है और इसका ख्याल रखना परमावश्यक है कि एक दफा जो व्यक्ति हाईकोर्ट का जज या चीफ जस्टिस रह जाये उसके बाद उसकी दुबारा नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जुडीशियल सर्विस के आदमियों को यह भरोसा हो जाये कि रिटायरमेन्ट के बाद उनको गवर्नमेन्ट वापिस रि-एम्पलॉय कर सकती है तो वह कैसे इन्डिपेन्डेन्ट रह सकेंगे? वह हमेशा गवर्नमेट पर मुनस्सर रहेंगे कि रिटायरमेन्ट के बाद गवर्नमेन्ट उनकी वापिस तकर्ररी कर दे। ऐसे कई इन्सटेन्सेज हैं। इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल वगैरह कई जगह जजों को रिटायरमेन्ट के बाद दुबारा तकर्ररियां की गयी हैं।

अब जो एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट है उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि वह इस समय पुलिस के अण्डर में है। किसी समय में अपनी सरकार में उस पर एक जुडीशियल ऑफिसर मुकर्रर था, लेकिन बजाय जुडीशियल आफिसर के वह पुलिस के तहत कर दिया गया और एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के लिए आवश्यक है कि वह जुडीशियरी के अधीन रहे। क्योंकि अभी हमने जो फिगर्स देखें हैं एन्टी-करप्शन के उनसे स्पष्ट होता है कि छोटे-मोटे सरकारी अधिकारी या मामूली क्लर्कों के विरुद्ध कार्यवाहियां होती हैं। परन्तु कभी भी किसी मिनिस्टर के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी। यदि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट होता और जुडीशियरी के तहत होता तो यह लाजिमी नहीं था कि मिनिस्टरों के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं हो सके। इस संबंध में कुछ महुआ उप-चुनाव के उदाहरण देना चाहूंगा। वहां हर एक को मालूम है कि करीब सम्पूर्ण केबीनेट १०-१५

(श्री मान्धातासिंह)

रोज से दौरा कर रहो थी, केवल एक दो मिनिस्टरों के जिनकी कि मैं इज्जत करता हूं बाकी सब मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स वहां पर दौरा कर रहे थे। वह वहां पर १०-१५ रोज के लिए रहे इस दौरान में। मैं पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने सरकारी कार्य से अवकाश लिया ? मेरे ख्याल से कोई अवकाश नहीं लिया। यह सही है कि वह अपनी पार्टी का प्रचार करने गए। लेकिन एक तरफ सरकारी कार्य पड़ा रहे और सेक्रेटेरियट में फाइलें पड़ी रहें उनमें कोई काम नहीं हो और दूसरी तरफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के चुनाव में लगे रहें, यह कहां तक मुनासिब है ?

इसी तरीके से मुझे बहुत शक है कि इस दौरान में मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स ने टी० ए०, डी० ए० भी लिया हो। मैं सही तौर से तो नहीं कह सकता लेकिन लिया है तो यह भी भ्रष्टाचार की तारीफ में आता है। यह सही है कि सरकारी मुलाजिम भी उनके साथ थे। जब वह सरकारी कार्य में नहीं लगे थे तो यह कहां तक वाजिब था कि वह सरकारी अफसरों को अपने साथ में रखते। जहां तक गाड़ियों की हालत है महुआ उप-चुनाव में १०० से ऊपर गाड़ियां कांग्रेस के कार्य में लगी हुई थीं। वह प्राईवेट फर्म्स की थीं, प्राईवेट कम्पनी की थीं। जहां तक कम्पनियों की गाड़ियां हैं यह हर आदमी जानता है कि कोई भी व्यापारी बिना फायदा लिए हुए किसी को कुछ नहीं देता। उन्होंने जरूर अपना कुछ न कुछ फायदा उठाया है और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेन्ट उनके लिए कुछ न कुछ रियायत करेगी। इसलिए इतनी गाड़ियां इस चुनाव के अन्दर कांग्रेस को दीं, क्या यह ईमानदारी का नमूना है ? सरकारी डाक बंगलों के अन्दर मिनिस्टर्स रहे जब कि स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता को डाक बंगलो से निकाल दिया गया। चुनाव के अन्दर हर पार्टी का मेम्बर बराबर है। लेकिन महुआ डाक बंगलो के अन्दर जो कमरे जिलाधीश और एस.डी.ओ. के लिए रिजर्व थे वे मंत्रियों के काम में आते थे। यहां तक कि वहां के टेलीफोन काम में आते थे और उन्होंने सरकारी खर्चे से पार्टी के काम के लिए वहां टेलीफोन किये। जो उन्होंने वहां तरीके इस्तेमाल किये वह भी कोई ईमानदारी के नहीं बताये जा सकते। कई लोगों को इन्डयूसमेन्ट दिये गये।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि टोडा भीम में जहां विद्युत मंत्री इनचार्ज थे वहां पर पावर हाउस लिमिटेड आवर्स पर चलते थे। वहां की जनता को यह इन्डयूसमेन्ट देकर कि यहां पावर हाउस ज्यादा अर्से के लिए कर दिया जायेगा। पहले वहां का पावर हाउस २ बजे से चलता था लेकिन उसको १० बजे से शुरू कर दिया। क्या इसको चुनावों के पहले आर्डीनेरी डेज पर नहीं कर सकते थे ? यह उन्हीं दिनों क्यों किया गया ? यह चुनावों के दिनों में किया तो यह वोट लेने के लिए इन्डयूसमेन्ट वहां की जनता के लिए किया। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए ४ साल से वारन्ट निकले हुए थे। क्या वे ४ साल

(श्री मान्धातासिंह)

से गिरफ्तार नहीं हो सकते थे ? क्या चुनाव के दिनों में ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता था ? क्योंकि वह स्वतंत्र पार्टी की इमदाद करते थे इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया । सभापति महोदय, यहां इन्डीविजुअल नाम देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि इस तरीके से यह भ्रष्टाचार के नमूने मंत्रियों के हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है, कि सभापति महोदय, यदि यह एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट एक इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी होता और मंत्रियों के अधीन नहीं होता तो इस किस्म की हरकतें नहीं हो सकती थीं । अब सुना जाता है कि कोई विजिलेन्स कमीशन यहां मुकर्रर होने वाला है । मेरा ख्याल है, उसके लिए भी नाम सुना गया है एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस का जो कि उसी प्रदेश से आते हैं जहां से हमारे मुख्य मंत्री जी आते हैं । यानी उसी प्रदेश के अधिकारी को विजिलेन्स कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर करने का मतलब यह होगा कि लोगबाग यह शक कर सकते हैं कि वह उनसे मिले-जुले रहेंगे । तो सरकार की कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए कि जिसके ऊपर शक किया जा सके । जैसा कि लॉ का है justice should not only be done but it should appear that justice is being done. तो यह मुमकिन है कि गवर्नमेन्ट यह बातें अच्छे इन्टेन्शन से करती हो लेकिन इस तरह की कार्यवाही से लोग शक करते हैं ।

अब मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ अर्ज करता हूं । ऐसा मालूम हुआ है कि जयपुर के अन्दर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर था उनके जजेज का पिछले साल भर में बहुत जल्दी--जल्दी स्थानान्तरण कर दिया गया । यह इलेक्शन कमीशन से मुकर्रर होते हैं यह हम जानते हैं लेकिन यह भी सरकार का फर्ज हो जाता है कि उनका जल्दी--जल्दी स्थानान्तरण न करे ताकि वह अपना फैसला सही दे सकें । मुमकिन है लोगों को शक होता है कि जज भी इन्डिपेन्डेन्ट यदि रहे हों तो उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है । ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को शक रहे कि जस्टिस नहीं मिल रहा है........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : कौन किसका ट्रान्सफर ?

श्री मान्धातासिंह : जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जजेज का कुछ ट्रान्सफर किया गया था जिनके पास इलेक्शन पिटीशन्स थीं । अभी हाल के अन्दर कांग्रेसी पक्ष की तरफ से बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि भारतीय नरेशों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज तय हुई हैं वह मुआहिदे के अनुसार नहीं है । इसके बारे में मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी जब राज्यों का विलीनीकरण हुआ था उस समय तय हुई थी । वह भारत सरकार और भारतीय नरेशों के दौरान समझौतों के मुताबिक तय हुई थी । यह मैं मानता हूं कि उसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ने गलती की हो । उन्होने अच्छी तरह से सोच--विचार करके जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज तय की थीं वह प्राइवेट प्रॉपर्टीज की लिस्ट है वे उनमें दर्ज की गई है........

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : मगर जो लिस्ट में है उनके मुताबिक तो हों।

श्री मान्धातासिंह : दोनों ने, राज्य सरकार और भारत सरकार ने, यह तय की है। १४ साल बाद यह कहा जाय कि वह सही नहीं है, यह कहां तक वाजिब है? यह मानना पड़ेगा कि दोनों ने सोच--विचार कर तय की है।

एक सवाल यहां डूंगरपुर का खड़ा हुआ था। जहां तक मुझे मालूम हुआ है डूंगरपुर में कोई जंगल नहीं बेचा गया है, और यदि जंगल भी प्राइवेट 'प्रॉपर्टी है और उसको कोई बेचता है तो जिस शख्स की जायदाद है, जिसको कि मालिकाना हक है, वह बेच सकता है। अगर कोई मकान है आपका और मालिकाना हक है आपका तो आपको कोई शख्स नहीं रोक सकता है उसको बेचने के लिए। इसी तरह से किसी नरेश का किसी जायदाद पर मालि-काना हक है उसको वह जरूर बेच सकता है।

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

श्री सभापति : Please wind up now. Only two-three minutes.

श्री मान्धातासिंह : सैल्स-टैक्स के बारे में माननीय सदस्य ने कहा था तो मैं यह मानता हूं कि सैल्स-टैक्स आम तौर से दूकान-दार से लिया जाता है। अगर आप कोई अपना मकान बेचें या कोई जायदाद बेचें तो उस पर सैल्स टैक्स लिया जाना मैंने आज तक नहीं सुना है। यदि मकान है उसको बेचते हैं और कानून के मातहत इस तरह से सैल्स-टैक्स लिया जाता है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे वसूल करे।

श्री बालकृष्ण कौल : वह जंगल की प्रोडक्शन पर है।

श्री मान्धातासिंह : मकान या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी हो उस पर सैल्स-टैक्स लगता नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : लैण्ड बेच दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जंगल की प्रोडक्ट बेचते हैं तो सैल्स-टैक्स होना चाहिए।

श्री मान्धातासिंह : सैल्स-टैक्स लगता है तो सरकार का फर्ज है कि उनसे ले। सभापति महोदय, इस तरीके से एक उदाहरण मैं और आपके सामने मिनिस्टरों के भ्रष्टाचार का रखूंगा।

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार और अदालतों के बारे में तो बहुत कुछ कह चुके हैं लेकिन जिन किसानों का वोट लेकर आप आये हैं उनकी भलाई के बारे में भी तो कुछ कहें।

श्री मान्धातासिंह : उनकी भलाई के बारे में यही है कि भ्रष्टाचार बन्द हो तो किसान जो रुपया टैक्स के रूप में देता है उसको सही चीज में लगाया जाय। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि भ्रष्टाचार बन्द हो।

उदाहरण मेरा था कि कुछ मास पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी वर्ल्ड टूर पर गये।

(श्री मान्धातासिंह)

अभी इस सदन को मालूम नहीं है कि वह वर्ल्ड टूर किस तरीके से हुई है। वे आस्ट्रेलिया गये, अमेरिका गये, इंग्लैण्ड गये और कॉन्टीनेन्ट होकर वापिस आये। तो मुमकिन है कि वह तीन तरीके से हो सकती है, या तो सरकारी खर्चे से गये या किसी प्राइवेट पर्सन के खर्चे से गये या खुद के खर्चे से गये। उस वक्त यह कहा गया था कि जैसलमेर में शीप ब्रीडिंग फार्म वहां पर कायम किया जा रहा है और उसके लिए किसी प्राइवेट फर्म को दिया जा रहा है। तो अगर वह सरकारी खर्चे से गये तो उनका जाना कहां तक मुनासिब था? क्योंकि इसमें डाइरेक्टर आफ एनीमल हजबेन्ड्री जैसे टेकनीकल पर्सन की जरूरत थी। दो मंत्री महोदय वहां जाकर क्या करते? और यदि वे किसी प्राइवेट फर्म के खर्चे से गये तो नावाजिब था कि जिस फर्म को इजाजत दी जाती है उसके खर्चे से गये।

श्री बालकृष्ण कोल : वे प्राइवेट फर्म के खर्चे से नहीं गये, वे स्टेट के खर्चे से गये।

श्री मान्धातासिंह : स्टेट खर्चे से जाना कहां तक वाजिब हो जाता है कि दुनिया भर की सैल करके वापिस आजायें जब कि टेकनिकल आदमी उसको कर सकता था? इसलिए मैं अर्ज करूंगा, सभापति महोदय, कि जितना....

श्री बालकृष्ण कोल : It is a matter of opinion.

श्री मान्धतासिंह : भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको सरकार रोकने का प्रयास करे। और कोई इन्डिपेन्डेन्ट जुडीशियल बॉडी कायम हो और हाई कोर्ट की तरह इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी कायम हो जो मिनिस्टरों के भ्रष्टाचार की शिकायतों की तहकीकात कर सके।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय सभापति महोदय, आज जो फाइनेन्स बिल पेश किया है, नहीं, नहीं, फाइनेन्स एप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ है, हाउस में आया है, हम उम्मीद करते थे कि आप जब फाइनेन्स मिनिस्टर बने तो राजस्थान में इतनी कड़ाई से काम करेंगे कि जिससे कि हम लोग सुधार की तरफ जायेंगे, परन्तु हमने जितनी उम्मीद की थी, हमारे दिल में जितना विश्वास था कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को उस डिपार्टमेंट को जिस तरह से सुधारना चाहिए, जिस तरह से उसके अन्दर कड़ाई से काम लेना चाहिए, जिस तरह से उस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए था, उस तरह से वह आगे नहीं बढ़ा है, और उसका कारण यह है कि वह जैसे हम लोग थे उसी तरह के वे भी बन गये।

अब मैं एक-एक बात के लिए फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि आज फॉरेस्ट के अन्दर ५ वर्ष से फॉरेस्ट की रिपोर्ट सरकार तैयार करा रही है और हमारे जयपुर जिले में, जोधपुर जिले में, बीकानेर जिले में और उदयपुर जिले में अलग अलग रेट हैं किसानों के ऊपर चराई की। उसके लिए राजस्थान सरकार से हर वक्त यह कहा जाता है कि यह रेट एक तरह की किसानों के लिए करना चाहिए। हमेशा एक रेट नहीं होने से दिक्कत आती है किसानों

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

को। कहीं उदयपुर में कम है, बीकानेर में ज्यादा रेट है, कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि फॉइनेन्स मिनिस्टर साहब का यह काम है कि एक रेट करें। किसान चराई देने के लिए तैयार है, परन्तु हमारे साथ के अन्दर जो इस तरह का बर्ताव किया जाता है राजस्थान सरकार की ओर से कि यहां के किसानों के लिए अलग रेट हैं, उदयपुर के किसानों के लिए अलग हैं बीकानेर के किसानों के साथ अलग रेट है, यह नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि एज्यूकेशन के अन्दर जो बड़ी बड़ी युनिर्वसिटियां खुल रही है मैं मानता हूं कि युनिर्वसिटियों के अन्दर जो रुपया खर्च होता है वह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक तो युनिर्वसिटी और एक पंचायत राज्य बनने के बाद यह प्राइमरी एज्यूकेशन, ये दोनों ही इस देश को डुबोएंगे। इस सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो एज्यूकेशन की बात सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ायेंगे, परन्तु नींव अगर खराब होगी जो कि प्राइमरी एज्यूकेशन को पंचायत समितियों और पंचायतों के हाथ में दे दिया है उससे खराब हो रही है तो वह नहीं होगा। मिडल स्कूल और हाईस्कूल सरकार के हाथ में रखें तो मैं यह मानकर चलता हूं कि प्राइमरी स्कूल भी सरकार के हाथ में रहने चाहिए क्योंकि हम लोग जो इस तरह का वातावरण इस हाउस के अन्दर इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले बनाते हैं उसका कारण क्या है? वह सारी गलती हमारी एज्यूकेशन की है। यह एज्यूकेशन अच्छी होगी............

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : एज्यूकेशन की डिमाण्ड पर बहस हो चुकी है, मोदीजी महाराज।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : आप चार्जशीट सुनलें फाइनेन्स मिनिस्टर के खिलाफ। इसलिए आप जरा शान्ति से सुन लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बात यह है कि हर आदमी कहता है कि एज्यूकेशन ज्यादा बढ़नी चाहिए, परन्तु इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले दोनों इस बात को नहीं चाहते हैं कि पंचायतों के पास से प्राइमरी स्कूल हटना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को चाहता हूं कि जब तक आपकी नींव अच्छी नहीं होगी तब तक ऊंची सीढ़ी को अच्छा बनाना चाहेंगे तो कभी नहीं बना सकते है।

(१.०० म० पू०)

तो ये प्राइमरी स्कूलें हटा देनी चाहिये और जो यूनिर्वसिटीज के अन्दर आप लोगों का इतना खर्चा होता है, यहां पर तीन युनिर्वसिटीज बन गई हैं और चौथी की बात और चल रही है, मैं यह चाहता हूं कि....

श्री बालकृष्ण कौल : चौथी की बात कहां चल रही है?

श्री मुक्तिलाल मोदी : संस्कृत युनिर्वसिटी की बात चल रही है। माननीय सभापतिजी, तीन तो खुल चुकी हैं और चौथी की बात चल रही है। यूनिर्वसिटीज में जो रुपये सरकार के जाते हैं, ये रुपये पब्लिक के हैं, लोन लेते हैं तो भी उसका भार पब्लिक

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पर पड़ता है, टैक्स लगाते हैं तो भी उसका भार पब्लिक पर पड़ता है। इसलिये मेरा यह कहना है कि यूनीवर्सिटीज़ खोलनी थी तो तब खोलते जबकि राजस्थान में चम्बल, भाखरा और राजस्थान नहरें पूरी तरह से आ जाती और उनसे सिंचाई होने से राजस्थान को फायदा होता, सर सब्ज हो जाता। लेकिन सब आदमियों को इस बात का दुःख है कि जिन फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के लिये हम यह मानकर चलते थे कि ये कुछ कर सकेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। यूनीवर्सिटीज में जिस तरह से रुपये खर्च किये जाते हैं, जिससे सिलेक्शन किये जाते हैं, काम किये जाते हैं वे नहीं किये जाने चाहिये। वहां पर खर्च करने के लिये रुपये हम से क्यों लिये जाते हैं? यूनीवर्सिटीज़ किताबें निकाल कर रुपये इकट्ठे करें या छापाखाना बना कर और लोन लेकर चलावें। सरकार से यूनीवर्सिटीज़ क्यों रुपये लेती है? सरकार से रुपये मांगती है तो हमारा हक है कि हम यूनीवर्सिटी में होने वाले रुपयों के दुरुपयोग को रोकें....

श्री बालकृष्ण कौल : दुरुपयोग कैसे है?

श्री मुक्तिलाल मोदी : बीच में बोलने से मैं भूल जाता हूं।

दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। यूनीवर्सिटी के लिये बजट में जो रुपये रखे हैं उनको पास नही करना चाहिये :

श्री बालकृष्ण कौल : पास हो गया, डिमान्ड पास हो गई।

श्री मुक्तिलाल मोदी : डिमान्ड पास हो गई, लेकिन बिल कहां पास हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आज एज्यूकेशन ज्यादा बढ़ना चाहिये राजस्थान में लेकिन बड़ी एज्यूकेशन पर रुपये खर्च किये जाते हैं वे नहीं खर्च करने चाहिये।

तीसरी बात मैं इन्डस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि इस बजट में आपने इस बात को इनक्लूड नहीं किया कि सरकार के इतने शेयर्स सीमेन्ट इन्डस्ट्री में हैं, इतने शुगर इन्डस्ट्री में और गंगानगर की कपड़े की मिल में हैं और इतने मान इन्डस्ट्री में हैं....

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : गंगानगर में तो शुगर मिल है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां पर कपड़े की मिल भी है। एक किशनगढ़ मिल में काफी रुपये लगे हुए थे, वह तो बंद हो गई। बिजयनगर की मिल में भी काफी रुपये दिये गये थे, लेकिन उन रुपयों का पता नही, उस इन्डस्ट्री का पता नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि दिन-दिन सरकार टैक्स लगाती है लेकिन जो लोग सरकार के पैसे खाकर करोड़-पति बन गये हैं और रुपये खाकर दूसरे-दूसरे धंधे करते हैं और एशो आराम करते हैं उनसे रुपये क्यों नहीं वसूल किये जाते? मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि सीमेंट फेक्ट्री सेंक्शन हुई थी तब २) रु० में सीमेन्ट की बोरी मिलती थी और आज ८) रु०

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

५ आने में मिलता है और उसको जो इतना प्रॉफिट मिलता है, मैंने सुना है, वैसे मैं बजट-बजट पढ़ता नहीं हूं लेकिन मैंने पूछा जरूर था कि किस तरह से बजट में ये ५० लाख रुपये और १ करोड़ रुपये नहीं आये जबकि सीमेन्ट में प्रॉफिट मिला है........

श्री सभापति : इस तरह से तो आप ज्यादा समय लेंगे।

श्रीमती सुमित्रा : रशिया की बात भी बता दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : रूस तो जाओगे तब पता चलेगा।

जिन इन्डस्ट्रीज के लिये आपने पूंजीपतियों को लाइसेन्स दिया है उनके कारण दूसरे जो लाइसेन्स लेने वाले थे उनको आपने महरूम रखा है। जो दो-दो, तीन-तीन वर्षों से लाइसेन्स के लिए कोशिश करते थे उनको नहीं दिया। इस तरह के १५-२० बल्कि ५० लाइसेन्स कैंसिल हो गये। गरीब राजस्थान की जनता को महरूम किया। उन पूंजीपतियों को ब्लेक मार्केट करना चाहिये....

श्री बालकृष्ण कौल : किसको ब्लेक मारकेट किया जाय ?

एक माननीय सदस्य : ब्लेक लिस्ट।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ब्लेक मारकेट नहीं ब्लेक लिस्ट और उनको एक भी लाइसेन्स नहीं देना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, आज नेपाल के अन्दर कोई इन्डस्ट्री पूंजीपति लगाते हैं तो उसके लिए बहुत कड़ी शर्तें रहती हैं। उसी तरह राजस्थान में यदि कोई पूंजीपति लाइसेन्स लें तो कड़ी शर्तें उनके साथ रखनी चाहिये; जैसे इतने दिनों में इन्डस्ट्री लगानी पड़ेगी और उनसे बैंक गारन्टी लेनी चाहिये। यदि कहने के माफिक इन्डस्ट्री नहीं लगावें तो रुपये हजम करने चाहिए। ये लोग सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लाइसेन्स ले लेते हैं, राजस्थान गवर्नमेन्ट से लाइसेन्स ले लेते हैं और लाइसेन्स लेकर जनता को बहका देते हैं इन्डस्ट्री लगाते नहीं हैं और........

श्री सभापति : पांच मिनिट में खत्म कर दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : महाराज, मैं तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : रसोइये को महाराज कहते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो सभापति महोदय को कहता हूं। हमारे यहां बड़े आदमियों को महाराज कहते हैं। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि इस बात के लिये नोट करलें कि लाइसेन्स के लिये इस तरह का सक्यूलर निकालें कि लाइसेन्स उस आदमी को दिया जायगा जिसके पास इतनी बैंक गारन्टी होगी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुखाड़िया जी मंजूर नहीं करते।

श्री बालकृष्ण कौल : ये तो मुझसे कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लाइसेन्स देने का काम सुखाड़ियाजी का है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मोटरों पर टैक्स लगाया, यह बात जरूर मानता हूं कि इसमें फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की इतनी कमजोरी है कि लोगों में ५-६ वर्षों से पैसा बाकी है। मोटर वाले एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को और तीसरे से चौथे को ट्रान्सफर कर देते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आज करीब १ करोड़ रुपये लोगों मे बाकी पड़े हैं और वसूल नहीं करते। या तो यह कहदें कि नहीं बाकी हैं........

श्री बालकृष्ण कौल : किसमे बाकी है?

श्री मुक्तिलाल मोदी : पैसेन्जर टैक्स और ट्रकों पर टैक्स बाकी है। जो लोग ट्रकें यहां खरीदते हैं और दो साल चलाते हैं फिर बेच देते हैं। इसलिये मेरा यह कहना है, यह सुझाव है कि जिस आदमी को ट्रकों के परमिट या मोटरों के परमिट दिये जाते हैं, सेल्स-टैक्स डिपार्टमेन्ट और ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट एक होना चाहिये। ये अलग-अलग होने से टैक्स नहीं देते क्योंकि यह जमीन आजकल सिफारिशों की अलग है, रिश्वतखोरी का अलग है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके राज्य में?

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपके राज्य में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा तो हुआ नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : म्युनिसिपेलिटी में हुआ था। आज लोग रुपये देने को तैयार हैं, लेकिन आज केवल एक टैक्स ही लोगों पर नहीं है एक आदमी पर दो तीन या चार तरह के टैक्सेज लगा देते हैं। इसलिए वह आदमी परेशान हो जाता है टैक्स देने में उसको बड़ी परेशानी और दिक्कत होती है।

तीसरे, मेडीकल विभाग के अन्दर, जैसा इस हाउस के अन्दर कहा गया, हमने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है। मैं माननीय सभापतिजी, यह कहना चाहता हूं कि यह सिलेक्शन कमेटी बनाई है वह बिल्कुल गलत है और डॉक्टरों का सिलेक्शन बिल्कुल गलत हुआ है। उनकी रिट हाईकोर्ट के अन्दर हुई है। मैं चाहता हूं कि कोई भी काम सरकार करे उसमें सरकार की इज्जत हो। आपने पब्लिक सर्विस कमीशन से हटा कर एक सिलेक्शन कमेटी बना दी, यह उचित नहीं है। फिर आपने डॉक्टरों के सलेक्शन के लिए कमेटी क्यों बनाई? इन्जीनियर्स के लिए भी कमेटी बनानी चाहिए और इसी प्रकार दूसरे दूसरे डिपार्टमेंन्ट्स है उनके लिए भी बनानी चाहिए। जिस तरह आपको ज्यादा डॉक्टर चाहिए उसी तरह आपको इन्जीनियर भी चाहिए................

श्री बालकृष्ण कौल : सब मिलते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिए जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है वह गलत बनाई है। आपको इसके बजाय तो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन में ज्यादा मेम्बर बढ़ा देने चाहिए ताकि वहां से जो सिलेक्शन हो वह

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सिलेक्शन सब आदमियों को मान्य हो। इस तरह जो सरकार की तरफ से सिलेक्शन कमेटी बना कर सिलेक्शन किया जाता है, यह नहीं होना चाहिए।

एक मेडीकल डिपार्टमेंट के अन्दर जब इन्टरव्यू होता है तो करीब तीन-चार लाख रुपया पैसा खर्च होता है जो न तो गवर्नमेंट के खजाने में आता है और न लड़कों के घर में रह पाता है। लड़कों का यह रुपया लगता है जब वे इन्टरव्यू के लिए जाते हैं और वह इसलिए कि जब इन्टरव्यू के लिए बुलाया जाय तो उसके पास मेडीकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारे आदमियों के लिए मेडीकल सर्टिफिकेट की शर्त होती है। मैं समझता हूं कि उनसे जो पैसा लिया जावे वह सरकार के खजाने में आवे, नहीं तो नहीं लिया जाय। इसके अलावा उस आदमी का मेडीकल एग्जामिनेशन तब होना चाहिए जब उसका सिलेक्शन हो जाय और जब उसका इन्टरव्यू हो तब नहीं होना चाहिए।

इसके साथ ही साथ सरकार ने एक बात इतनी गलत है और वह यह कि सरकार कर्मचारियों की उम्र ५५ से बढ़ा कर ५८ तक रिटायर होने की कर दी है। हम सोचते थे, हम गुलामी से दूर हुए, लेकिन फिर और ज्यादा गुलाम हो गये। मैं यह मान कर चलता हूं, यह जो ५५ से बढ़ा कर ५८ की उम्र की है ऑफिसर केडर की-यह ठीक नहीं है। हम सोचते थे कि अंग्रेजों के वक्त के ये लोग हैं, ये ही जो कुछ करते हैं वह करते हैं। ये मिनिस्टर लोग कुछ नहीं कर सकते। यह भी सोचते थे कि इनकी उम्र ५५ वर्ष की हो गई है। ये अब रिटायर होकर अपने घर चले जायेंगे और नई उम्र के आदमी आयेंगे, नये लड़के आयेंगे तो उनके अन्दर नया खून मिलेगा, नई एजुकेशन के लड़के मिलेंगे, परन्तु, हमारा तो दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य यह है कि पहले तो हम अंग्रेजों से, राजाओं से पिटते थे, जागीरदारों से पिटते थे, अब इनसे पिट रहे है। सभापति जी, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ५५ साल की उम्र के बाद इन ऑफिसर्स को रिटायरमेंट दे देना चाहिए।

इसके अलावा जो हर आदमी के लिए पेंशन रखी है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, जो बीस, पच्चीस, रुपये की पेंशन रखी है, वह उनको मिले और अगर वह मर जायं तो उनकी औरतों को पेंशन मिले, इसके लिए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं। यह काम अच्छा किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : और यह उम्र बढ़ाने का रखा है, यह बुरा किया है।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सभापति महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल विचारार्थ....

श्री सभापति : और बीस मिनट का समय है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : यह ग्राधा घन्टे तक बोलेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ग्राधा घन्टा कभी बोला नहीं । व्यवस्था दे चुके हैं, कल तक पूरा हो जायगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हम लोगों को निपटने दो ।

श्री मुरलीधर व्यास : खास कर यह एप्रोप्रियेशन बिल है, यह १ ग्ररब ५२ करोड़ ८३ लाख ७७ हजार का है । यह बहुत बड़ी धन-राशि है ग्रौर इतनी बड़ी धन-राशि जब सदन मंजूर करता है तो उसको बहुत गहराई मे इस धन-राशि के एक-एक पैसे को खर्च करने के तरीके पर सोचना पड़ता है । मैं मानता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जहां तक इस प्रकार के सार्वजनिक फाइनेन्सेज का सवाल है, पब्लिक फाइनेन्स का, तो वहां पर राज्य सरकार का एकमात्र कर्त्तव्य हो जाता है कि उसका एक-एक पैसा भी हम ग्रच्छी प्रकार से उपयोग कर रहे हैं या नहीं ग्रौर उसकी एक-एक पाई भी ग्रधिक से ग्रधिक लोगों की सहायता के काम में ग्रा रही है या नहीं, इसको देखें । इसके साथ ग्रगर ऐसा नहीं होता है, ग्रौर धन का दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है तो मैं समझता हूं कि इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य, चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, हम सबकी जिम्मेदारी होती है । ग्रब वह जिम्मेदारी भी ग्रलग ग्रलग है । एक ग्रोर तो ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है वह तो क्या है कि वह प्रशासन करने वाले हैं, ग्रगर प्रशासन में ढिलाई है, धन का दुरुपयोग होता है, लापरवाही से धन का उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता है तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री पर है क्योंकि वे इस पैसे को व्यय करने वाले हैं, प्रशासन को चलाने वाले हैं । ग्रौर विरोधी पक्ष के लोग, ग्रगर मंत्रियों द्वारा गड़बड़ी होती है तो उनके कान पकड़ सकते हैं, नाक में नकेल लगा सकते हैं ताकि वे ठीक ढंग से चल सकें । इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक देश में दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी है कि सरकारी पक्ष ग्रगर धन का दुरुपयोग करता है, ठीक तरह से नहीं चलता है तो नाक में नकेल रखें ग्रौर उसकी जांच करें, उसको देखें ।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य की जो ग्रार्थिक हालत पिछले पन्द्रह वर्षों में रही है, उसके ग्रन्तर्गत जो खर्च किया गया है, जिस-जिस तरीके से किया गया है, उसमें कई ऐसे मामले हैं जिनमें इतना ग्रधिक खर्च, इतने ग्रनावश्यक रूप से हुग्रा है कि उसका नतीजा ग्राज भुगतना पड़ रहा है । ग्रगर उस समय जागरूक रहते तो, मेरी मान्यता है कि राज्य की ग्रार्थिक स्थिति यह नहीं होती । इसलिए उन सब बातों को लेकर कोई यह कहे कि प्रशासन ग्रच्छा रहा है तो मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं । मेरी यह मान्यता है कि हमारा प्रशासन पिछले दस, पन्द्रह वर्ष में इस प्रकार ढीला रहा है उसका नतीजा यह रहा है कि जो खर्च किया उसका फल नहीं मिला । ग्राज मैं कहूं कि हमको सबसे पहले देखना है कि जो कुछ खर्च हो रहा है, उसका हम मूल्यांकन करें । ग्राज बजट स्पीच में ग्राना चाहिए कि जिस जिस मामले में खर्च किया है, उसका हमने मूल्यांकन किया है ग्रौर

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं आपके सामने कई उदाहरण पेश कर सकता हूं। इतने वर्षों में जो कुछ पैसा हमने लगाया है, चाहे वह पैसा तकावी लोन में लगाया हो, इन्डस्ट्री लोन मे लगाया हो या और किसी दूसरे में लगाया हो, एक प्लान के अन्तर्गत लगाया हो, उस पैसे का यूटीलाइजेशन ठीक ढंग से हुआ या नहीं, उसका मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं। और जो है उसका उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं। आज माइनिंग डिपार्टमेंट का सवाल है। वित्त मंत्री को देखना चाहिए कि कहां-कहां कौन-कौन सा पैसा किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है और हमारे विधि मंत्री को भी....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मेरे ख्याल से कोडीफाई कर दें कि वित्त मंत्री क्या क्या करें तो अच्छा हो।

श्री मुरलीधर व्यास : आप को हिसाब देखना है तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिये। मैं बूंदी और कोटा में गया। सरकार ने योजना के अन्तर्गत लिखा है कि ठेका दिया, दूसरे काम किये। आप देखिये, उन ठेकेदारों को ठेके दिये, उनमें कितनी कितनी कमियां थी और उसके साथ साथ आप देखिये कि ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ कितने दावे किये और उन दावों में कितने कामयाब हुए। मैं यहां तक बताऊं कि कुछ मामलों मे लीगल राय ले लेने के बाद जो फैसले हुए हैं वे सरकार के खिलाफ गये हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो पैसा लग रहा है, जिस काम के लिए लग रहा है उसमें जान-बूझ कर इस प्रकार की कानूनी कमियां हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रखी जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि हमारा बहुत भारी पैसा नष्ट हो जाता है।

मैं एक छोटा सा उदाहरण यहां देना चाहता हूं, गंगानगर जिले का। अनूपगढ़ तहसील में सन् ६०-६१ में आपने २,४१,०००) रु० के अन्दर एक व्यक्ति को सब्जी का ठेका दिया लेकिन उसमें एक कानूनी खामी रख दी उसकी वजह से यह हुआ कि सरकार को वह ठेका भी कैंसल करना पड़ा। ठेका कैंसल कर दिया गया और सब्जी तो जिस प्रकार से निकलती है वह निकलती रही। लाखों रुपयों का कॉन्ट्रेक्टर को लाभ हुआ और राज्य के खजाने में पैसा नहीं आया। आप इसकी जांच करा लीजिये। अनूपगढ़ में इसका ठेका फिर दिया गया और उस ठेके में भी कानूनी खामी रख दी गई और इस कारण वह ठेका भी सरकार को रद्द करना पड़ा और ६३ में भी ऐसा ही हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ठेका मंजूर किया उस समय रकम जमा कराई होगी। उसके बाद में ठेका रद्द हुआ उसके बाद उसको रकम लौटाई गई वह किस ग्राउन्ड पर ?

श्री मुरलीधर व्यास : ठेके की रकम जमा हुई नहीं और उसने उल्टा सरकार पर दावा किया कि आपने ठेका समय पर नहीं दिया इसलिये इतना हरजाना हुआ। इसका उल्टा दावा उसने सरकार पर कर दिया। इस प्रकार के दावे आप देखना चाहें तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में देखिये। विधि मंत्री इस प्रकार की जांच करें कि कितने दावे ठेकेदारों ने किये हैं और सरकार को इस मामले में कितना रुपया देना पड़ा। यदि आप जांच करेंगे तो आपको पता लग जावेगा कि कितना नुकसान हुआ है और किस प्रकार से धन का दुरुपयोग हुआ है। सरकार तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट देखती है। यूटिलिटी सर्टीफिकेट आ जाने चाहिये। जब ये आ जाते हैं तो आप रकम देते चले जाते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ ? इसका नतीजा यह हुआ कि आज १५ वर्षों का समय गुजर गया फिर भी जिस प्रोफॉर्मा के मुताबिक हिसाब होना चाहिये नहीं रखा गया और आप रुपये देते गये। सरकार ने जब इन्डस्ट्रीज़ पर बहस हुई, उस समय कहा कि रखा गया। आपने करोड़ों की सम्पत्ति लोन के रूप दी है। उसका नतीजा यह होगा कि आपको वह रुपया राइट ऑफ करना पड़ेगा, और इसी तरह से राइट ऑफ करते गये तो राज्य में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति पर देख-रेख नहीं हो और रुपया इस तरह चला जावे और आयन्दा टैक्स लगाते जावें तो यह राज्य कैसे चलेगा ? मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि वे जा कर देखें कि जहां-जहां पैसे रुके हुए हैं वे किस प्रकार से आ सकते हैं। आज करोड़ों रुपये हमको राइट ऑफ करने पड़ते हैं। आप पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से कार्यवाही होती है। माननीय मंत्री कहदें कि नहीं करना पड़ा। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक ओर तो यह स्थिति है और दूसरी ओर क्या हो रहा है ? सरकारी दृष्टिकोण क्या हो गया है वह पार्टी की सीमा तक ही सीमित है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में जावें, चाहे हमारे आदमी हों, चाहे कोई भी, उसने गलत तरीके से रुपया ले लिया हो जैसे बीकानेर में सोहनलाल मिश्रा ने जो एक कांग्रेस के आदमी हैं गायों के लिये लोन ले लिया और उसको उस परपज़ में काम में नहीं लिया....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : आज वह गिरफ्तार हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आज गिरफ्तार हैं लेकिन कांग्रेसी हैं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : वह कांग्रेस में नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जेल में बैठा हुआ है इसलिये।

श्री बालकृष्ण कौल : कांग्रेस वाला जेल में कैसे चला गया ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है। कई दूसरी पंचायत समितियों की आपको मिसालें मिल जावेंगी उनको पार्टीगत तरीकों से माफ करते गये हैं। यह दृष्टकोण नहीं होना चाहिये........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सम्मानीय सदस्य यह बताने की कोशिश करेंगे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि गाय के लिये रुपये लोन लिये और गायें नहीं खरीदी तो सरकार क्या करे ?

श्री मुरलीधर व्यास : तो यह जो रुपया इस प्रकार से सारे राज्य में दे रहे हैं आप यह देख लीजिये कि आपने अपने दृष्टिकोण को राजनैतिक रूप दिया है और यही कारण है कि हमारे राज्य के खजाने का बहुत रुपया राजनैतिक दृष्टिकोण से संस्थाओं पर खर्च होता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : Your Speech will be deemed to have finished at 1.30; आपको २० मिनट का समय दिया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूं । वैसे हमारी पार्टी से कोई बोला नहीं है ।

श्री सभापति : आपकी पार्टी की ओर से कल कोई नहीं बोलने वाला है ?

श्री मुरलीधर व्यास : दो दिन में कितना समय हमारी पार्टी ने लिया है ।

श्री सभापति : We are Wasting the valuable time.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो खास कर यह निवेदन कर रहा था कि सरकार को इस प्रकार का राजनैतिक दृष्टिकोण हटा देना चाहिये । दूसरों को हेरेस किया जाता है अभी अभी कह रहा था कि हमारा यह चिकिंग क्या है ? मैं एक कोटा के अन्दर एक माननीय सदस्य हैं वे वैसे सोशियलिस्ट पार्टी के हैं और मयूक उनका नाम है और वे अच्छे कवि हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।........

श्री मथुरादास माथुर : 'मयूक' तो उनका सरनेम है । उनका पूरा नाम........

श्री मुरलीधर व्यास : उनका पूरा नाम बशीर अहमद मयूक है । ये अच्छे कवि हैं । उन्होंने क्या किया कि कोटा के अन्दर किसी एक आदमी की हत्या पुलिस के जरिये हुई उसकी शिकायत की और उसके बाद में उसकी हालत यह हुई कि पुलिस ने उसको इतना हैरान किया कि उस पर १०७ और ११० की कार्यवाही की और उसको परेशान होकर गवर्नर को पत्र लिखना पड़ा ।

श्री बालकृष्ण कौल : पत्र भी शायरी में ही होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले पत्र लिखा उसका गवर्नर साहब ने उत्तर दिया । गवर्नर साहब ने लिखा कि इसकी जांच करेंगे। दूसरा पत्र लिखा उसमें भी जांच का आश्वासन दिया । मैं उसको पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं इसलिये कि राज्य की पुलिस का किस तरह का रवैया है ।

श्री मथुरादास माथुर : जब १०७ और ११० की कार्यवाही की गई है तो वह कार्यवाही तो अदालत में कर दी गई है । पत्र वह गवर्नर को लिख सकता है । इसमें हम

(श्री मथुरादास माथुर)

क्या करें और वे क्या करेंगे ? यह तो अदालत ही इसका निर्णय करेगी। जब मामला अदालत में दे दिया गया है तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। पुलिस ने उसको बुलाया होगा तो भी शायरी के लिये ही बुलाया होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : पर मैं तो यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय ने बड़े दुःख के साथ लिखा है। अगर आप गवर्नर महोदय के पत्र को पढ़ लेंगे तो आपको मालूम होगा। वह पत्र इस समय मेरे पास नहीं है उन्होंने लिखा है कि आजादी जैसे गुलाब के फूल के बारे में कहा है। आजादी एक गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल को आंख से देखा है मगर इसको खुलते हुए नहीं देख पाये हैं। इन १५ वर्षों के शासन में हमको जो आजादी का लाभ मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है। पुलिस पर रिमार्क करते हुए कहा है। वह भी पक्षपात के बेसिस पर। आपको पता लगेगा कि किस तरह से उसको दबाने के लिये आपकी पुलिस और सी. आई. डी. कोशिश कर रही है। यदि पुलिस इस प्रकार से पब्लिक के लिये बोलनेवालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी तो मैं यह कहूंगा कि आपकी डेमोक्रेसी नहीं पनप सकेगी।

इसी प्रकार आपके पब्लिक रिलेशन्स ऑफिस में चतुर्वेदी, पी० आर० ओ० करीब ३ वर्षों से सस्पेन्डेड हैं। ना मालूम आप किस तरह से उनको सस्पेन्ड कर देते हैं और फिर उनको आपको पैसा देना पड़ता है। इसके लिये आपका एक नियम है कि दो साल से ज्यादा कोई सस्पेन्ड हो तो....

श्री सभापति : I am extending the time by three minutes to give you full 20 mi: u·es

मैंने तीन मिनट सदन का समय बढ़ा दिया है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : बड़ी इन्ट्रेस्टिंग डिबेट हो रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे तो जितना पार्टी का निश्चित समय है उसके अनुसार मिलना चाहिये। मुझ पर तो प्रतिबन्ध लग गया है। हमारे दल का तो कोई बोला नहीं, क्योंकि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में हम चले गये थे। १५ मिनट का कुल समय दिया गया है। हमारे दल के लोग कोई बोले ही नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि १५ मिनट का समय मुझे और दिया जाए।

श्री सभापति : We now do adjourn to meet tomorrow at 8 a.m.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० पू० १ बज कर ३० मिनिट पर दिनांक २८ मार्च, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार दिनांक २७ मार्च, १९६४)

स्कम्भ

१. तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

बरसाती पानी रोकने हेतु निर्मित कच्ची दीवार से खतरा-बारां।

झुंझुनू-नगरपालिका की बैठकें।

पीने के पानी की व्यवस्था।

मृत्यु-भोज।

बढ़ती हुई मंहगाई पर नियन्त्रण।

अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स के अध्यक्ष।

कोटा में टूरिस्ट बंगले व टूरिस्ट ब्यूरो।

नहर के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा तहसील कामां।

स्वायत्त शासन संबंधी विषयों के लिए नियुक्त स्टडी टीम की रिपोर्ट।

स्कम्भ

पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट।

भू-राजस्व पर सरचार्ज।

सार्वजनिक शौचालय, सीकर।

भाखरा नहर अमरसिंह ब्रांच।

भूमि एकीकरण-तहसील सिकराय।

देहाती डिस्पेन्सरियों में विद्युत सुविधाएं।

मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट बिल।

भू-राजस्व की बकाया की वसूली जिला चूरू।

ईंटों पर चुंगी कर-अलवर।

काश्तकारों को मुआवजा-सैपउ।

खातेदारों से सरचार्ज की अधिक वसूली।

खनिज विभाग द्वारा सर्वे-जिला चूरू।

हाइड्रोलोजिकल सर्वे।

बाड़ा-बन्दी-तहसील गंगानगर।

ट्रस्ट द्वारा जमीन के वितरण में विलम्ब-जयपुर।

वाटर सप्लाई स्कीम-बीकानेर।

गिरवा क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टर।

नगरपालिका नीम का-थाना के अध्यक्ष द्वारा रकम का दुरुपयोग।

स्थगित प्रश्न

(१३-३-६४)

एयरोड्रोम, कोटा।

२, अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६८

कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन-उदयपुर।

भूमि विक्रय करने तथा किराये पर देने के नियम।

बावड़ी बाग, ग्राम नोनेरा।

थानों में दर्ज चोरी के मामले बीकानेर।

चोरियों के पेण्डिग केस-कस्बा राजगढ़।

काश्तकारों को खानात पत्थर के सम्बन्ध में रियायतें।

रिज्यूम की गई जागीरें-जिला पाली।

३. विधायी कार्य-विचारार्थ लिया गया विधेयक :

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४। १२२

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री, ने प्रस्तुत किया।

इस प्रस्ताव पर आज बहस की गई।

शनिवार, दिनांक २८ मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४ पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७०० का उत्तर देखिए)

नगरपालिका, झुंझुनू की बैठकों की सूची

नगरपालिका की २५ बैठकें हो चुकी हैं जिनमें १४ साधारण, २ स्थगित साधारण व ६ असाधारण हैं :—

(१) दिनांक २७-८-६१........................साधारण
(२) दिनांक ११-६-६१........................ ,,
(३) दिनांक २४-६-६१........................स्थगित साधारण
(४) दिनांक २८-६-६१........................ ,,
(५) दिनांक १-१०-६१........................साधारण
(६) दिनांक ३१-१२-६१........................ ,,
(७) दिनांक ३०-३-६२ .... ,,
(८) दिनांक २५-४-६२ .... ,,
(९) दिनांक १२-६-६२ .... ,,
(१०) दिनांक ६-७-६२ .... ,,
(११) दिनांक १६-८-६२ .... ,,
(१२) दिनांक ३०-६-६२ .... ,,
(१३) दिनांक २६-१२-६२........................ ,,
(१४) दिनांक ३०-३-६३ .... ,,
(१५) दिनांक २६-६-६३ .... ,,
(१६) दिनांक १६-१-६४ .... ,,

१६	साधारण १४	स्थगित २

परिशिष्ट २

STATEMENT SHOWING THE PRICES OF FOODGRAINS FOR THE MONTH OF FEBRUARY, 1964 AS COMPARED WITH THE BASE MONTH OCTOBER, 1963

S. No.	Name of district	Wheat Oct. 63	Wheat Feb. 64	Barley Oct. 63	Barley Feb. 64	Gram Oct. 63	Gram Feb. 64	Jowar Oct. 63	Jowar Feb. 64	Bajra Oct. 63	Bajra Feb. 64	Maize Oct. 63	Maize Feb. 64
1.	2	3.	4	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Ajmer	41.00	47.00	34.00	43.00	43.00	52.00	26.00	37.00	37.00	42.00	30.00	38.00
2.	Banswara	51.00	62.00	36.00	44 00	44.00	54.00	34 00	44.00	39.00	45.00	32.00	39.00
		42.00	48.00	35.00	35.00	38.00	42.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30 00	38.00
3.	Bharatpur	50.00	60.00	—	—	42.45	45.00					32.50	40 00
		44.00	52.50	36.00	41.00	44.50	54 00	30.00	36.00	32.00	43.00	N R.	39.00
		50.00	65.00	37.50	42 00	—	55 00	—	37.00	—	45.00		40.00
4.	Bhilwara	38.00	52.00	32.00	41.00	42.00	51 00	30.00	34 00	N.R.	N.R.	27.00	37.10
		50.00	60.00	34.00	—	45.00	—	32.00	—			30.0[illegible]	—
5.	Chittorgarh	40.00	50.00	32.00	42.00	40.00	48.00	29.00	36.00	N.R.	N.R	28.00	37.00
		40.00	59.00	32.50	44.00	41.50	51.00	30.00	38.00			30.00	35.50
6.	Dungarpur	43.75	51.25	32.50	36.25	41.25	45 00	N.A.	N.A.	N A.	N.R.	27 50	29.75
		45.00	52.50	35.00	37.50	43.75	47.00					31.25	40 00
7.	Jalore	38.85	39.92	33.00	38.60	38.00	48.00	36 00	40.00	30.00	40.00	36.00	40.00
		50.00	38.00	38.00	44.00	45.00	50.00	42.00	43.00	36.00	48.00	42.00	45 00

1.	2	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	Jhunjhunu	42.00	52.00	28.00	35.00	41.00	51.00	N.R	N.R.	34.00	44.00	N. R.	N. R.
		50.90	60.00	36.50	40 00	41.75	53.50			41.50	45.50		
9.	Jodhpur	43.00	44.00	33.00	40.83	43.00	53.59	31.00	36.00	39.88	44.00	30.62	39.00
		50.00	54.00	35.00	—	46.75	—	36 00	41 00	43.00	46.00	—	41.00
10.	Kota	39.50	59 00	33.00	55.50	41.00	51.00	36.00	30.00	N.A.	42.00	25.50	33.50
		53.00	64.00	36.00	57.50	45.00	55.50	32 00	37.00		44.00	31.50	37.50
11.	Nagaur	42.00	53.60	N.R.	N.R.	46.00	54.00	29.50	37.51	37.50	41.22	N. R	N.R.
		52.00	65.00			—	57.00	34.83	39.50	41.53	46.22		
12.	Tonk	40.00	50.00	32.00	42.00	40.00	50.00	25.00	32.00	30.00	40.00	25 00	34 00
		52.00	60.00	36.00	44.00	44.00	52.00	29.00	36.00	40.00	41.00	32.00	33.00
13.	Udaipur	40 00	51.00	34.00	38 00	43.00	48.00		N.R.	N.R.	N.R.	28 00	39.00
		52.00	66.00	36.00	42.00	44 00	49.00					30.00	—
14.	Jaipur	41.00	50.00	35.00	42.00	42.00	55.00	28.00	N.R.	37.00	43.00	30.00	37.00
		56.00	74.00	38.00	44.00	47.50	56.00	33.00		42.00	44.00	34.00	38.00
15.	Pali	43.00	62.00	32.00	42 00	43.00	51.00	30 00	37 00	32 00	44.00	31.00	41.00
		52.00	68.00	38.00	45.00	46.00	52.00	36.00	42.00	44.00	49.00	35.00	42.00
16.	Ganganagar	39.00	55.00	37.00	N. R.	41.50	48.00	—					
		48.00	61.50	37.00		44.00	51.30						
17.	Jaisalmer	42.00	72.00	N.A.	N. A	51.00	N.R	40.00	N R.	42.00	50.00	N.A.	N.A.
		55.00	75.00	—				42.00		50 00	55.00		

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

भू-राजस्व की बकाया की वसूली--जिला चूरू

७१८. **श्री रावतराम** (सादुलपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिले में भू-राजस्व की बकाया की तरह ५,०००) रु० से ऊपर की बकाया किन २ लोगों में हैं ? आसामियान के नाम व पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) यह रकम संबंधित आसामियान में कब से बकाया पड़ी है ? अब तक वसूली की कार्यवाही सख्ती से न करने का क्या कारण है ? वसूली की कार्यवाही अब किस स्टेज पर है व उनसे कब तक वसूली करली जावेगी ?

(३) जिन लोगों में इतने लम्बे अर्से से सरकारी रकम बकाया पड़ी है उनसे किस दर पर ब्याज वसूल किया जाता है और इस ब्याज से चूरू जिले की आसामियान से कितनी रकम प्राप्त हुई है ?

(४) क्या यह सही है कि छोटे २ गरीब काश्तकारों से मामूली राजस्व बकाया उनका अनाज व पशु कुर्क करके सख्ती के साथ वसूल करली जाती है जबकि जिन लोगों में बड़ी २ रकम बकाया है उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती ? यदि हां, तो सरकार की नीति में यह विरोधाभास क्यों है ?

उत्तर

१. सूची संलग्न कर दी गई है।

२. जिस वर्ष से यह रकम बकाया है वह संलग्न सूची के खाना नं० ४ में दर्ज कर दिया गया है। वसूली न होने के कारण यह हैं कि बाकीदारों की सम्पत्ति पर कुर्की आदि जारी होने पर नियमानुसार आपत्ति-पत्र प्रस्तुत हो जाता है। बाकीदारों का सम्पत्ति पर अधिकार न होने तथा पहले से ही रकम होने के कारण वसूली में देरी हो जाती है। इसी कारण सख्ती करने पर भी वसूली नहीं हो पाती। वसूली जिस स्टेज पर है उसका विवरण संलग्न सूचि में विशेष विवरण में दे दिया गया है।

३. जिन ग्रासामियान में ५,०००) रु० से ऊपर की रकम बकाया पड़ी उनसे ब्याज सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित दर से वसूल किया जाता है। इस जिला में ग्रभी तक ब्याज की कोई रकम प्राप्त नहीं हुई है।

४. जी नहीं। यह गलत है कि छोटे २ काश्तकारों से वसूली राजस्व बकाया उनका ग्रनाज व पशु कुर्क करके किया जाता है तथा बड़ी २ रकम के बाकीदारों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। वसूली सबसे नियमानुसार की जाती है तो इसमें विरोधीभास का प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची आसामियान जिनके जिम्मे राजकोय बकाया है, जिला चूरू

क्र. सं.	नाम बाकीदार	रकम बकाया	विभाग का नाम	तारीख जब से बाकी है।	विशेष विवरण
१.	खेतसीदास पुत्र गोविन्दराम रतनगढ़	१८०६१--३१	इन्कमटैक्स ऑफिसर, बी. वार्ड बीकानेर	२७--७--६३	वास्ते मंजूरी व कुर्की जायदाद उप-जिलाधीश रतनगढ़ के यहां जेर तजवीज है।
२.	शंकरलाल महावीरप्रसाद बाजोरिया रतनगढ़	५७८२७०--३७	कलेक्टर २४ परगना, अलीपुर (प० बंगाल)	१३--६--६३	कलेक्टर २४ परगना को अपना रिप्रेजेन्टेटिव भेजने के लिए लिखा गया है। नीलामी जायदाद की तारीख १०-३-६४ है।
३.	नागरमल बैजनाथ कन्दोई रतनगढ़	६७८८३२--००	इन्कमटैक्स ऑफीसर बंबई, सर्किल नं० १	७--१--६४	बाकीदार की जायदाद पर उजरदार पैदा हो गये हैं स्टे-ऑर्डर के लिए समय दिया गया है।
४.	छगनलाल बागड़ी राजगढ़	६५२०१--००	कलेक्टर २४ परगना बकाया इन्कमटेक्स	२--५--६०	इस केस में मुकदमा राजस्थान हाईकोर्ट में चालू है वसूली १९६० से स्थगित है।
५.	मदनलाल राजगढ़	६२३३७--००	कलेक्टर, इन्कमटेक्स, बंबई	१९५४	वसूली की कार्यवाही जारी है।
६.	मेघसिंह जागीरदार नंब त. राजगढ़	५०३८--००	डिप्टी कलेक्टर जागीर, चूरू	१९६०	वसूली की कार्यवाही जारी है।
७.	कुन्दनमल सेठिया सा० बीदासर तहसील सुजानगढ़	१११६८--५६	इन्कमटेक्स	१५--१--६४	वसूली की कार्यवाही जारी है।

(हिन्दी अनुवाद)

ईंटों पर चुंगी कर--अलवर

७१९. श्री रामानन्द अग्रवाल, (अलवर)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि म्युनिसिपिल कौंसिल, अलवर की अनुसूची चुंगी Sehedule of Octroi) में ईंटों का विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि ईंटों के आयात पर चुंगी (ऑक्ट्रोय) ३७ न० पै० प्रति मन की दर से ली जाती है जिस प्रकार अनुसूची में विशिष्ट रूप से सम्मिलित नहीं की गई अन्य मदों पर ?

(३) क्या किन्हीं उद्योगों ने म्युनिसिपल कौंसिल और साथ ही सरकार से यह प्रतिनिधित्व किया है कि इस बेजाब्तगी (एनामोली) को हटाया जाये तथा ईंटों पर चुंगी कर (Octroi duty) पृथक् से लगाई जाये ?

(४) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उत्तर

१—यह सही नहीं है।

२—यह सही नहीं है।

३—प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

४—प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

काश्तकारों को मुआवजा--सेपउ

७२०. श्री रघुवीरसिंह, (बाड़ी)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सेपउ सब तहसील धोलपुर में गत वर्ष नहरों से पानी फसल खराब होने पर दिया गया ? यदि हां, तो कितनी जमीन में ?

(२) सेपउ में ऐसी कितनी एकड़ जमीन है जिसमें पिलाई वसूल की गई है और जिस जमीन से सतह ऊंची होने से पानी नहीं पहुंच सकता ?

(३) क्या सरकार संबंधित काश्तकारों को मुआवजा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) ऐसी कोई जमीन नही है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

खातेदारों से सरचार्ज की अधिक वसूली

७२१. श्री रविशंकर याज्ञनिक, (पिंडवाड़ा)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा इस वर्ष गर्मियों में राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (सरचार्ज) अमेंन्डमेन्ट एक्ट, १९६३ की धारा ३ (अ), (ब), (स) और उसके प्रोविजो की परवाह न कर खातेदारों से उसमें वर्णित सरचार्ज से कहीं अधिक सरचार्ज वसूल किया गया है ?

(२) यदि हां, तो उन खातेदारों को, जिनसे अधिक सरचार्ज वसूल किया गया है, उन्हें अधिक वसूल की गई रकम को वापस करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और सरकार उन खातेदारों को वह रकम कब तक वापस कर देगी ?

उत्तर

(१) जी हां। केवल एक तहसील सेवर में अधिक वसूल किया गया है।

(२) जी हां। उक्त अधिक वसूल शुदा राशि काश्तकारान से इस वर्ष रबी के लगान की वसूली में मिला देने की कार्यवाही की जा रही है।

खनिज विभाग द्वारा सर्वे--जिला चुरू

७२२. श्री फूलचन्द जैन, (सुजानगढ़)—क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या खनिज विभाग से चुरू जिले का राज्य सरकार ने कोई सर्वे कराया है ? अगर हां तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अगर नहीं, तो क्या

राज्य सरकार सर्वे कराना आवश्यक नहीं समझती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस इलाके में कई स्थानों पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की उपलब्धि की काफी संभावनाएं मौजूद हैं ? अगर हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए है ?

(१) जी हां । भूतपूर्व बीकानेर राज्य के समय में कराया गया था ।

(२) चूरू जिले में तारानगर में और उसके आसपास जिप्सम का पूर्वेक्षण किया गया था । बीदासर के पास तांबे की पुरानी खानों के पूर्वेक्षण के लिये ज्यूलौजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया को कहा गया है अभी उन्होने उसकी जांच के बारे में निर्णय भी कर लिया है । चूरू जिले का अधिक क्षेत्र रेतीले मैदानों में रुका हुआ है अभी बहुत थोड़ी जगह ऐसी है जहां पत्थर की चट्टानें हैं । कोई महत्वपूर्ण खनिज के पाये जाने की रिपोर्ट चूरू से नहीं आई है और न ही पुराने जिले के विवरण में इसका उल्लेख है ।

हाइड्रोलोजिकल सर्वे

७२३. श्री भीमसेन, (लूणकरणसर)—क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में पीने के पानी के सम्बन्ध में क्या आवश्यकतायें हैं तथा सरकार इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य का हाइड्रोलोजिकल सर्वे करवाया है ?

उत्तर

(१) राज्य में पीने के पानी के सम्बन्ध में १३-२० करोड़ की धनराशि की आवश्यकता है धनराशि की उपलब्धि के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को सहायता के लिए लिखा है धनराशि उपलब्ध होने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकती है ।

(२) सरकार ने इस सम्बन्ध में डाइरेक्टर, हाइड्रोलोजिकल सर्वे भारत सरकार देहली को लिखा हुआ है ।

बाड़ा-बंदी--तहसील गंगानगर

७२४. श्री केदार नाथ, (गंगानगर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील गंगानगर मे चक १ जेड में वर्तमान में कोई बाड़ा बन्दी नहीं है ?

(२) इस चक मे बाड़ा वन्दी कब से नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि चक १ जेड के काश्तकार श्री गंगाराम इस चक में बाड़ा बन्दी गाढने हेतु कार्यभारी, अधिशासी अभियंता (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन्-चार्ज) को सन् १९६१ से आवेदन-पत्र देते रहे हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां, उसके आवेदनों पर इच्छानुसार दिनांक १५-१०-६१ व २६-४-६३ को चारी निश्चित कर दी गई थी।

ट्रस्ट द्वारा जमीन के वितरण में विलम्ब--जयपुर

७२५. श्री दुर्गालाल बाढदार, (हवामहल)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर में नगरपालिका तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट दोनों का अधिकार क्षेत्र किस आधार पर कायम किया गया है ?

(२) क्या राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि जयपुर नगर में मकानों का अभाव है ? यदि हां, तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जमीन के वितरण में विलम्ब क्यों करता है ?

(३) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की नगर विकास की कितनी योजनाएं हैं और भूमि प्राप्ति के लिये कितने आवेदन-पत्र इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सामने पेंडिंग हैं ?

(४) क्या भूमि वितरण के या बेचने के कोई नियम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बने हुए हैं ? यदि हां, तो कब बने ? कृपया प्रति सदन के समक्ष रखें।

उत्तर

(१) जयपुर स्वयं ही एक योजनाबद्ध नगर है मुख्यतः नगर की चारदीवारी

के अन्दर की जमीन विकसित है अतः इस क्षेत्र को इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः यह क्षेत्र नगर परिषद् के पास रखा गया व चारदीवारी के बाहर का क्षेत्र इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट को विकास हेतु दिया गया।

(२) जी हां। भूमि वितरण नियमानुसार करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है।

(३) १८ योजनायें हैं और १६००० आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(४) जी हां। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वाटर सप्लाई स्कीम--बीकानेर

७२६. श्री मानिकचन्द सुराणा, (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बीकानेर में पानी सप्लाई करने की स्कीम का काम पूरा हो चुका है? यदि हां तो कितने समय पहले व कितनी लागत का ?

(२) क्या उपरोक्त योजना में पानी के रिजर्वायर बनाये गये है? अगर हां, तो कितने और कितने रिजर्वायर काम में आ रहे हैं व कितने बिना उपयोग के पड़े हैं?

(३) क्या बीकानेर के पानी उप-भोक्ताओं को पानी सप्लाई करने के लिए समय निश्चित किया हुआ है ? अगर नही, तो क्यों और भविष्य में कब तक निश्चित किये जाने की संभावना है ?

(४) पानी उपभोक्ताओं की पाइप लाइन, पानी सर्विस लगाने के बाद किसकी प्रोपर्टी हो जाती है ?

(५) क्या उस लाईन की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी जल विभाग की है ? अगर हां, तो फिर उपभोक्ताओं से मरम्मत के लिये रकम क्यों ली जाती है व रकम न भरने पर उनके कनेक्शन क्यों काट दिये जाते हैं ?

(६) जल विभाग की स्कीम के अनुसार जिनके कनेक्शन बदले जाते हैं उसमें खर्चा किसका लगता है ? अगर उपभोक्ताओं का, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, बीकानेर जल प्रदाय योजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इस पर कुल खर्चा ३९ लाख रुपया हो चुका है।

(२) इस योजना के अन्तर्गत चार ओवरहेड टेन्क (सर्विस रिजर्वायर) व दो ग्राउन्ड वाटर टेन्क नये बनाये गये हैं और सभी ही उपयोग में आ रहे हैं। कोई रिजर्वायर बिना उपयोग के बेकार नहीं पड़ा है।

(३) जी हां, बीकानेर के पानी उपभोक्ताओं को पानी सप्लाई करने के लिए समय निश्चित किया हुआ है।

(४) पानी के कनेक्शन के बाद उपभोक्ताओं द्वारा लगवाई गई लाइन की मरम्मत वगैरह की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं की ही रहती है। मीटर के पहले कोई अवैधानिक कनेक्शन न हो जावे, लाइन की देखरेख विभाग के हाथ में रहती है।

(५) प्राइवेट लाइन की मरम्मत की जिम्मेदारी विभाग की नहीं है। अगर उपभोक्ता लाइन के टूटफूट होने पर उसकी मरम्मत नहीं करवाता है तो पानी की व्यर्थ की बरबादी को रोकने के लिए उसका कनेक्शन काट दिया जाता है।

(६) जब कभी भी उपभोक्ता प्रेशर बढ़ाने के लिए कनेक्शन बदलवाना चाहता है तो उसमें खर्चा उपभोक्ता का ही लगता है।

गिरवा क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टर

७२७. श्री जोधसिंह चौहान. (गिरवा)—क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) गिरवा क्षेत्र के अस्पतालों में कहां डाक्टर नहीं हैं, और कब तक भेजे जायेंगे ?

(२) क्या यह सही है कि कुराबड़ में पहले डॉक्टर था लेकिन अब नहीं है ? क्या वहां शीघ्र डॉक्टर भेजे जाने का विचार है ?

(३) क्या सरकार गिरवा क्षेत्र के गांवों मे कोई चलता फिरता दवाखाना खोलने का भी विचार रखती है ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति गिरवा क्षेत्र (रूरल एरिया) में नेपलो डिस्पेन्सरी में डॉक्टर

नहीं है वहां अति शीघ्र डॉक्टर उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जा सकेगी ।

(२) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरावड़ में डॉक्टर एम० ए० सरपुरिया की नियुक्ति संचालक स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक १०-२-६४ को की जा चुकी है ।

(३) जी नहीं । इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।

नगरपालिका नीम-का-थाना के अध्यक्ष द्वारा रकम का दुरुपयोग

७२८. श्री रामकिशन (वैर)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नगरपालिका नीम-का-थाना ने कोई सड़क नीम-का-थाना व छावनी कस्बे में बनाने का निश्चय किया है ?

(२) क्या रूप इस कार्य को अन्जाम देने के लिए नगरपालिका ने अपनाया ?

(३) क्या यह वाका है कि मेटिरियल के लिए कोई टेन्डर नहीं मंगवाये और न कोई प्रस्ताव नगरपालिका ने पास किया जिसके जरिये कोई रूप निर्धारित किया गया हो ?

(४) क्या यह वाका है कि सड़क निर्माण हेतु कोई ठेका भी किसी एप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया गया ?

(५) क्या यह वाका है कि नगरपालिका के चैयरमैन ने बिना प्रस्ताव के कुल खर्चे की धनराशि नगरपालिका एवं नगरपालिका के खाता बैंक से निकाल कर अपने पास रखली ? अगर हां तो कितनी रकम किस दिन ली और उसके मुताबिक कैश बुक नगरपालिका में कितने दिन तक इन्द्राज नहीं किये ?

(६) क्या सरकार इस कार्यवाही के लिए चैयरमेन के विरुद्ध कोई कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) सड़क का कार्य प्रथम पालिका की देखरेख में व बाद में ठेकेदार से कराया गया।

(३) मैटिरियल के लिये टैन्डर मांगे गये थे व सड़क बनाने हेतु प्रस्ताव भी पास किया गया था।

(४) जी हां।

(५) दिनांक ४-४-६२ को १,६३२) एवं १४-४-६२ को ५,०००) रुपया बैंक से लेकर ठेकेदारों को देना बतलाया है। रोकड़ में इन्दराज दि० ३-५-६२ तक नहीं किया गया।

(६) मामला विचाराधीन है।

परिशिष्ट ४

(कृपया ग्रतारांकित प्रश्न सं० २३५ का उत्तर देखिए)

राजस्थान सरकार

उद्योग खान तथा श्रम विभाग (ख)

विज्ञप्ति

जयपुर दिनांक २५ अप्रेल, १९६०

संख्या एफ ३ (४) (४५) एण्ड (बी) ५९—माइन्स इण्ड मिनरल्स (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट १९५७ (६७ सन् १९५६) की धारा १५ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान सामान्य खनिज समनुदान नियम १९५९ में निम्नांकित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों कि नियम ४ के खण्ड (क) के स्थान मे निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायगा—अर्थात् :-

(क) ऐसे क्षेत्रों से जो किसी पट्टे के सक्रिय गड्डे (Working pits) न हों, इमारती पत्थर तथा सामान्य मिट्टी जिसमें ईंट बनाने की मिट्टी शामिल है, खोदने पर कोई भाटक, अधिशुल्क या अनुमति शुल्क नहीं लिया जायगा, तथा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

जेड० एस० झाला

❀ शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २७ मार्च, १६६४)

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१	६	पदासीन	पदासीन)
,,	६ के बाद		—
,,	८	श्री उदयलाल वरदिया	श्री उदयलाल बर्दिया
,,	अन्तिम	श्री दयाचन्द सोन : (बारा) :	श्री दयाचन्द सोन (बारा) :
३ से २२८	शीर्षक	--२७ मार्च १६६४	–२७ मार्च, १६६४–
३ से ६	,,	ताराकित प्रश्लोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
५	२	(झुंझुन)	(झुंझुनू)
६	अन्तिम से २	श्री दौलतरम सारण	श्री दौलतराम सारण
७	अन्तिम	श्री दोलतराम सारण	,, ,, ,,
८	७	श्रीमती सुामत्रा	श्रीमती सुमित्रा
११	अन्तिम से २	निरंजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
१३	७	श्रा निरंजननाथ आचार्य	,, ,, ,,
१४	अन्तिम से ३	श्रीमती लद्मीकुमारी चूंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
१५	३	श्री निरंजननाथ आचाय	श्री निरंजननाथ आचार्य
२३	२३	श्री सताशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२४	१७,२५	श्री परसराम मदैरणा	श्री परसराम मदेरणा
३०	२३	श्रा परसराम मदेरणा	,, ,, ,,
३२	१८	श्रीमती लक्ष्मीकुमारा चूंडावत	श्रीमती लद्मीकुमारी चूंडावत
३३	१७	श्री मतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी
३५	१६	संबन्धीं	सम्बन्धी

१	२	३	४
३६	शीर्ष	(श्री भेरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
४०	३	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
४२	१६	श्री भरोंसिह	,, ,,
४३	अन्तिम से ६	सरचाज	सरचार्ज
४५	,, ,, ,,	श्री रामनन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
४६	,, ,, ४,५	(श्रा दौलतराम सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
४७	६	श्री भैंरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
५३	शीर्षक	--२० मार्च, १६६४--	--२७ मार्च, १६६४--
५४	२०	श्री मतीशचन्द्र अग्रबाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
५७ से ६४	शीर्षक	उत्तर प्र. वि. सभा संबन्धी विशेषाधिकार-२७ मार्च, १६६४ --प्रश्न पर वाद-विवाद	तारांकित प्रश्नोत्तर--२७ मार्च, १६६४--तारांकित प्रश्नोत्तर
६३	८,१३,२१	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
६४	५	,, ,, ,,	,, ,,
,,	१४	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
,,	अन्तिम	श्री सतीशन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
६६	७	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
६७	शीर्ष	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत)	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
,,	अन्तिम से २	श्रीमती लक्ष्मी कुमरी चूंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
७१	शीष	(श्री दुर्गालाल बाढदार)	(स्वायत्त शासन मंत्री)
७२	अन्तिम	(सादुलपुर)	(सादूलपुर)
७७	५,६	हनुमानगढ में साम्यवादी दल के लोगों पर हमले विषयक स्थगन-प्रस्ताव	हनुमानगढ़ में साम्यवादी दल के लोगों पर हमले विषयक स्थगन-प्रस्ताव
७६	१५	श्री निरंजननाथ आचाय	श्री निरंजननाथ आचार्य

१	२	३	४
८१	शीर्ष	(महारवल श्री लक्ष्मणसिंह्)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
,,	१३	श्री भैंरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम से २	श्री निरंजननाथ आचाय	श्री निरंजननाथ आचार्य
८३	१	श्रा निरंजननाथ आचार्य	,, ,, ,,
८४	४	सम्बन्धी वाद-विवाद	सम्बन्धी
८७	शीर्षक	उउर प्र. .	उत्तर प्र: वि.
८८	अन्तिम से ५	श्री मुकुट बिहारोलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
६८	,, ,, ६	श्री बिजयसिंह झाला	श्री विजयसिंह झाला
१०८	१५	श्री भैंरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	१७	श्री ज्वलाप्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
१०६	८	श्री मथरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
११२	१७	श्रो	श्री
१२१	शीर्ष	(श्रो अध्यक्ष)	(श्री अध्यक्ष)
१२२	६	:(विचार-विमर्श)	(बिचार-विमर्श)
,,	११	श्री छत्रसिह (अहोर)	श्री छत्रसिंह (आहोर)
१२६	२१	प्रशासन :	प्रशासन) :
१४६ से १५१ तक	शीर्षक	विनयोग	विनियोग
१५१	३	श्री बालकृष्ण कोल	श्री बालकृष्ण कौल
१५५	७	(कोटपूतलो)	(कोटपुतली)
१७१	शीर्ष	(श्रा नत्थीसिंह	(श्री नत्थीसिंह)
१७३	,,	(श्री नत्थीसिंह)	(,, ,,)
१७५	,,	(श्री नत्थोसिंह)	(,, ,,)
१७७	,,	(श्री नत्यसिंह)	(,, ,,)
१८५	शीर्षक	--७ मार्च, १६६४	--२७ मार्च, १६६४--
१८६	शीर्षक	विनयोग (सं० २) -२७ माच	विनियोग (सं० २) --२७ मार्च,

१	२	३	४
१९७	,,	बिनयोग	विनियोग
१९८	२१	श्री मान्धातर्सिह	श्री मान्धातासिंह
१९९	शीर्ष	(श्री मान्धातर्सिह)	(श्री मान्धातासिंह)
२०७	१९, २६	श्री बालकृष्ण कोल	श्री बालकृष्ण कौल
२१०	अन्तिम से १	श्री मान्धतासिंह	श्री मान्धातासिंह
२१०	११	(१.०० म .पू.)	(१.०० म. प.)
२१७	शीर्षक	--२ मार्च, १९६४--	--२७ मार्च, १९६४--
२२४	१२	श्री निरंजननाथ आचाय	श्री निरंजननाथ आचार्य
२२८	अन्तिम से ३	म० पू० १ बज कर	म० प० १ बज कर
२२९	शीर्षक	संक्षप्त विवरण	संक्षिप्त--विवरण
२३२	६	विचाराथ	विचारार्थ
२३८	१	बकाया है	बकाया है
२४२	१३	श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल)	श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) :

❀ विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में मुद्रित होगा ।